अजय सिंह नबियाल

संदेश

पशुपालन विभाग, चमोली द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं पशु चिकित्सा सेवाओं की जानकारी पशुपालकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एस्केड योजना के अन्तर्गत पशुपालन दिग्दर्शिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

मुझे विश्वास है कि पशुपालन दिग्दर्शिका पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं संचालित योजनाओं की जानकारी प्रभावी ढंग से पशुपालकों को उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी।

मैं पशुपालन दिग्दर्शिका के सफल प्रकाशन हेतु शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ ।

ह/–
(अजय सिंह नबियाल)
जिलाधिकारी,
चमोली।

मुख्य विकास अधिकारी

संदेश

पशुरोग नियन्त्रण हेतु राज्यों को सहायता योजना के अन्तर्गत पशुपालन विभाग, चमोली द्वारा पशुपालन दिग्दर्शिका का प्रकाशन किया जा रहा है। सीमावर्ती जनपद चमोली में पशुपालक भेड़/बकरी पालन, दुधारू पशुपालन तथा खच्चर पालन अपनाकर जीविकोपार्जन करते हैं। कुक्कुट पालन व्यवसाय में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जिनका समुचित उपयोग नहीं किया गया है। भेड़ पालन व्यवसाय तकनीक हस्तान्तरण एवं विपणन सुविधाओं के अभाव में संकुचित होता जा रहा है जिसे प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। बकरी पालन व्यवसाय बाजार की मांग एवं पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण प्रोत्साहित हो रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पशु चिकित्सा सेवाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पशुपालकों को उपलब्ध कराने, विभिन्न विभागीय योजनाओं में पशुपालकों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से पशुपालन दिग्दर्शिका का प्रकाशन किया जा रहा है। ऐसा मेरा विश्वास है।

पशुपालन दिग्दर्शिका के माध्यम से पशुपालकों को विभागीय कार्यक्रमों की समुचित जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी, ऐसी मुझे आशा है। मैं पशुपालन दिग्दर्शिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

ह0/ **(शैलेश बगौली)**
मुख्य विकास अधिकारी
चमोली।

पशु पालन दिग्दर्शिका

(पशु रोग नियन्त्रण हेतु राज्यों को सहायता योजना के अन्तर्गत प्रकाशित)

पशु पालन विभाग, उत्तराखण्ड

गोपेश्वर–चमोली

पशुपालन दिग्दर्शिका

प्रकाशक :

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी

गोपेश्वर (चमोली)

दूरभाष : 01372–252273

प्रकाशन वर्ष 2006

कापी राइट : सर्वाधिकार सुरक्षित

मुद्रक :
अनिकेत प्रिटिंग प्रेस
गोपेश्वर (चमोली)
दूरभाष : 01372–252905 / 252688

जनपद : चमोली एक दृष्टि में

1. जनपद की स्थापनाः–		24 फरवरी, 1960
2. जनपद मुख्यालयः–		गोपेश्वर
3. राजस्व ग्रामः–	1233	
4. विकास खण्डः–	09	
5. तहसीलः–		06
6. ग्राम पंचायतः–	552	
7. वन पंचायतः–	910	
8. कुल जनसंख्याः–		376,198
(जनगणना 2001)		
(1) ग्रामीण क्षेत्रः–		319,613
(2) नगरीय क्षेत्रः–		49,585
9. कुल पशुधनः–	3,88,931	
(पशुगणना 2003)		
(1) ग्रामीण क्षेत्रः–		3,77,475
(2) नगरीय क्षेत्रः–		12,068
10. कुल क्षेत्रफलः–	7520 वर्ग कि.मी.	
11. जनसंख्या घनत्वः–		48 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
12. पशुधन घनत्वः–		52 पशु प्रति वर्ग कि.मी.
13. ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध पशुधनः–	97 प्रतिशत	
नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध पशुधनः–		03 प्रतिशत
14. चरान चुगान क्षेत्रफल		13,53 हैक्टयर,
15 पशु चिकित्सालय		22
16 पशु सेवा केन्द्र	46	
17. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र		10 विभागीय एवं 10 बायफ
18. भेड़ एवं ऊन विकास		21
19. पशुधन प्रक्षेत्र	पीपलकोटी, केदारकांठा,	बंगाली,भराड़ीसैंण, ग्वालदम।

विषय–क्रम

क्र.	विषय वस्तु
1.	चमोली एक दृष्टि में
2.	पशु बीमारियां एवं उपचार (कविता)
3.	परिचय
4.	पशु चिकित्सा सेवाऐं
5.	पशु रोग नियन्त्रण कार्यक्रम
6.	पशु प्रजनन कार्यक्रम
7.	भेड़ विकास कार्यक्रम
8.	पशुधन प्रक्षेत्र
9.	सूकर पालन
10.	कुक्कुट विकास कार्यक्रम
11.	मानव संसाधन विकास कार्यक्रम
12.	पशु कल्याण कार्यक्रम
13.	भार वाहक पशु विकास कार्यक्रम
14.	विधिक पशु चिकित्सा सेवा
15.	राजस्व प्राप्तियां
16.	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना
17.	चारा विकास कार्यक्रम
18.	सूचना का अधिकार
19.	पशुधन आपदा प्रबन्धन
20.	सहकारिता सहभागिता योजना
21.	सूखा राहत कार्यक्रम
22.	पशुधन संगणना
23.	कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण(आत्मा)
24.	सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम

'

'खुरपका''

लार टपके और बुखार हो पड़ जाये, खुर व मुँह पर छाले,
खाना–पीना छोड़ लगड़ाँकर चले, दूध के फिर पड़ जाये लाले।
रोग खीला कहते हैं इसको, महामारी का यह रूप लेती है,
बीमारी जिस गोठ में पहुँच जाय, किसान को अफा बना लेती है।
क्वार कातिग हो या माह पूस आये, महीना जब चैत में,
टीका खुरपका लगे गाय भैंस पर, जावे बैल तब खेत में।

'गलघोंटू' लंगड़िया

जीवाणु जनित रोग गलघोंटू है लंगड़िया बुखार भी पहचान लो,
गले व पठों पर आती है सूजन जानलेवा रोग है यह जान लो।
जवान पशु बनते हैं इसके शिकार मास असाड़ इसे भाता है,
टीका न लगा हो जिस पशु पर वह काल कवल बन जाता है।
वैशाख जेठ की तपती धूप हो ठंडे में बैठ विचार कर लो,
महीना उचित यह टीके का है नियन्त्रण महामारी पर कर लो।

'रैबीज'

साँप काटे तो इलाज करे कुत्ता काटे और लाइलाज मरे,
रैबीज कहते है इसे कुत्ता सियार बंदर से सरे।
बन जाता है जब कुत्ता कोई पागल पूँछ जीभ लटका कर चलता है,
भौंकता नहीं किसी को देखकर सीधा वार कर जाता है।
टीका लगे कुत्ते को तीन माह पर फिर वर्ष में एक बार लगे,
काट जाय कुत्ता पागल जब कोई फिर तो मैमा छः बार लगे।

''थनैला''

थन बड़ा हो और दूध न उतरे बर्तन जाय खाली सायं या भोर।
पैर फूला हो और पशु लेटा हो सिर किया हो थन की ओर।
पशु दाना पानी छोड़ देता है और मुंह सूख जाता है,
आँखें अंदर धँस जाती है रोग थनैला कहलाता है।
जानलेवा हो सकता है रोग यह भी कैल्शियम की कमी मिकदसक बतलाते हैं,
सम्पर्क करें तुरन्त चिकित्सालय से, विलम्ब नहीं अपनाते हैं।

पी. पी. आर.

तान छोड़ दो बाँसुरी की बात करो अब पैयारों की,
महीना चैत का शुरू है याद आती है बुग्यालों की।
झुण्ड भेड़ों के जब जा रहे हों टीकों की बयार चल दो,
कृमिनाशक को न भूलते कभी पी.पी.आर. अवश्य लगा दो।
एक खुराक हवा भादों में लवा जब आप करा दें,
नहलाना भी है भेड़ों को दवा पान अवश्य करा दें।
घसतोली रूपकुण्ड हो या खिरों मलारी माणा तक आयेंगे।
माँग आपकी हो एक बार, दायित्व आपका निभायेंगे।
मरे पशु जब बीमारी से खुले में न कभी छोड़ जाय,
गड्ढ़ा गहरा बनाकर नमक चूना भी डाला जाय।
स्वयं सुरक्षित रहे व सफाई का भी नित ध्यान रहे,
बीमार पशु का अलग हो खान–पान भी पृथक रहे।
दाना भूसा भरपेट हो, मिले पशु को नित हरा चारा,
समय पर दवा पान व टीका लगे, खुशहाल हो देश हमारा।
जई बरसीम मक्का दें, पशु को संतुलित आहार,
नेपियर किकुई राई ग्रास बना रहे सदा बहार।
भीमल, कुराल, सबबूल, उरू, खड़ीक कहलावें,
मालू, असीन, भाता है पशु को, बड़े चाव से वह खावें।
पहाड़ का हाथी भैंस है, गरीब का धन है भेड़,
टीका, पी.पी.आर. अवश्य लगे, गांव–गांव हों चारा पेड़।
गाय बांधी हो जर्सी, भैंस पाली हो मुर्रा,
कृत्रिम गर्भाधान अपनाया हो, तो किसान बने तुर्रा।
लंगड़िया, रैबीज हो या खुरपका, सबकी एक कहानी,
समय से लगे न गर टीका तो, पशु मरे भरी जवानी।

1.0 परिचय

ब्रिटिश शासन काल में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा संबधी कार्यों का संचालन इन्स्पेक्टर जनरल, सिविल वेटरिनरी डिपार्टमेन्ट, भारत सरकार द्वारा किया जाता था जिसका मुख्यालय शिमला में स्थापित था। वर्ष 1892 में पशुपालन संबधी कार्यों के संचालन हेतु सिविल वेटिरिनरी डिपार्टमेंट द्वारा बाबूगढ मेरठ, में सुपरिटेन्डेण्ट की नियुक्ति निदेशक, कृषि एवं भू–अभिलेख के अधीन की गई। पशुपालन संबधी कार्यों को गति देने के लिये वर्ष 1916 में संयुक्त प्रांत को तीन मण्डलों में विभाजित कर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट की तैनाती की गई। अधीनस्थ कार्मिक जिला परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये। वर्ष 1920 में सुपरिटेन्डेन्ट के स्थान पर वेटरिनरी एडवाइजर्स की नियुक्ति इन्स्पेक्टर जनरल, सिविल वेटरनरी डिपार्टमेंट के अधीन की गई। वर्ष 1922 में डिस्ट्रिक बोर्ड एक्ट लागू होने से पशुपालन संबधी कार्यों के क्रियान्वयन में अनेकों समस्याओं के फलस्वरूप 1929 में निदेशक, सिविल वेटरिनरी डिपार्टमेंट की स्थापना की गई तथा वर्ष 1939 में सिविल वेटरिनरी मैनुअल प्रकाशित होने के बाद समस्त पशुपालन एवं पशु चिकित्सा कार्यों का सम्पादन सिविल वेटरिनरी डिपार्टमेंट द्वारा किया जाने लगा। वर्ष 1947 में सर फ्रेंक वेयर, इम्पीरियल वेटरिनरी सर्विसेज, फैलो रायल कॉलेज ऑफ वेटरिनरी सर्जन्स, लन्दन को संयुक्त प्रांत के पशुपालन विभाग के प्रथम निदेशक के रूप में तैनात किया गया। निदेशक, पशुपालन विभाग के मार्ग निर्देशन में निम्नलिखित कार्य सम्पन्न कराने का दायित्व सौंपा गयाः–

1. पशु प्रजनन एवं पशुधन प्रक्षेत्रों का रख–रखाव।
2. पशुधन गणना एवं पशुधन विपणन कार्यक्रम।
3. कुक्कुट विकास एवं कुक्कुट प्रक्षेत्रों का रख–रखाव।
4. भेड़/बकरी विकास एवं प्रजनन कार्यक्रम।
5. पशु मेला एवं पशु प्रदशर्नियों का आयोजन।
6. सूकर प्रजनन एवं विकास कार्यक्रम।
7. घी एवं दुग्ध योजना।
8. मत्स्य विकास।
9. चारा एवं चारागाह विकास कार्य।
10. सेना के लिये भेड़/बकरी तथा अन्य पशुधन की खरीद।
11. पशु रोग नियन्त्रण कार्यक्रम।

पशुपालन विभाग की स्थापना का मूल ध्येय राज्य में उपलब्ध पशुधन एवं कुक्कुट का संकर प्रजनन के माध्यम से उच्चीकरण कर उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्वि करना है जिससे पशुपालन व्यवसाय पर जीविकोपार्जन करने वाले निर्बल वर्ग के परिवारों के जीवन स्तर को सुधारा जा सके। विभागीय दायित्वों की पूर्ति के लिये संयुक्त प्रांत की सरकार द्वारा 14 नवम्बर, 1930 को जिला परिषद अधिनियम, 1922 के अधीन 171 सहायक पशु शल्यक के पद सृजित किये गये। तीन पशु चिकित्सा अधीक्षक तथा एक निदेशक के पद सृजित किए गए। देहरादून में तीन एवं नैनीताल में दो कुल पांच सहायक पशु शल्यकों की तैनाती पर्वतीय क्षेत्रों में की गई।

वर्तमान में पशुपालन विभाग, राज्य सरकार के अधीन एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदायी संस्था के रूप में स्थापित है। विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये पशु चिकित्सालयों, पशु सेवा केन्द्रों तथा पशु रोग निदान संस्थाओं का विस्तृत आधारभूत ढांचा सृजित किया गया है। पशुपालन विभाग के अधीन पशु चिकित्सा, पशु रोग निदान, पशु रोग नियन्त्रण, पशु प्रजनन, पशु कल्याण, चारा विकास, विधिक पशु चिकित्सा सेवाएं आदि समस्त कार्य सम्मिलित हैं।

जनपद चमोली में पशुपालकों को पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये 22 पशु चिकित्सालयों, 46 पशु सेवा केन्द्रों, 10 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों, 5 पशुधन प्रक्षेत्रों की स्थापना की गई है। राजकीय पशु चिकित्सालयों एवं अधीनस्थ संस्थाओं के माध्यम से निम्नलिखित सुविधाएं पशु पालकों को उपलब्ध करायी जा रही हैं:–

1- पशु चिकित्सा एवं पशु शल्यक्रिया सेवाएं।
2- पशु टीकाकरण कार्य।
3- बधियाकरण कार्य।
4- जर्सी गाय/मुर्रा भैंसा सांड वितरण कार्यक्रम (निःशुल्क)
5- रसियन मैरीनो/रैम्बुले क्रास मेंढा वितरण (निःशुल्क)
6- अंगोरा बकरा वितरण (निःशुल्क)
7- कृत्रिम गर्भाधान कार्य।
8- चारा बीज वितरण कार्य (निःशुल्क)
9- चारागाह विकास कार्यक्रम।
10- पशुपालक पंजीकरण कार्यक्रम (निःशुल्क)
11- बांझपन/चिकित्सा शिविरों का आयोजन।
12- पशु रोग नियन्त्रण गोष्ठियों का आयोजन (निःशुल्क)
13- पशुपालक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन (निःशुल्क)
14- कुक्कुट पालक शिविरों का आयोजन (निःशुल्क)
15- पैरावेट प्रशिक्षण कार्यक्रम (निःशुल्क)
16- नेपियर रूट्स का वितरण (निःशुल्क)
17- विधिक पशु चिकित्सा सेवाएं यथा पशु स्वास्थ्य/शव विच्छेदन प्रमाणीकरण।
18- पशुधन आपदा प्रबन्धन कार्य (निःशुल्क)
19- सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्य।
20- कृमिनाशक दवा एवं दवा स्नान कार्य (निःशुल्क)

21. राष्ट्रीय पशु गणना वर्ष–2007 के अनुसार जनपद चमोली में क्रॉस ब्रीड गाय– 4742, देशी गौवंशीय पशु– 178815, महिषवंशीय पशु– 51957, भेड़– 53536, बकरी– 80648, अश्व– 1138, खच्चर– 3069, गदर्भ– 09, सूकर– 339, शशक– 385, श्वान– 12291 तथा कुक्कुट– 16218 हैं। सीमान्त क्षेत्रों में पशुपालन जीवन निर्वाह का प्रमुख आधार है। निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता नगण्य है। पशुपालकों को पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये विकास खण्डवार निम्नलिखित अवस्थापना सुविधाएं सृजित की गई हैं:–

1. विकास खण्ड दशोली

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान
1.	**पशु चिकित्सालय**	चमोली, गोपेश्वर, बछेर, नन्दप्रयाग ।
2.	**पशु सेवा केन्द्र**	मायापुर, पीपलकोटी, छिनका, गाड़ी, मैठाणा, बैरागना
3.	**कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र**	नन्दप्रयाग, गोपेश्वर, मैठाणा, टंगसा, चमोली
4.	**राजकीय भेड़ प्रजनन केन्द्र**	मानुरा
5.	**भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र**	मैकोट, पाणा,
6.	**गाय सांड वितरित**	
7.	**भैंसा सांड वितरित**	

2. विकास खण्ड जोशीमठ

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान
1.	**पशु चिकित्सालय**	जोशीमठ, तपोवन ।
2.	**पशु सेवा केन्द्र**	लंगसी, हेलंग, पाण्डुकेश्वर, मलारी, सुरोईठोटा, लाता।
3.	**कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र**	जोशीमठ
4.	**राजकीय भेड़ प्रजनन केन्द्र**	उर्गम, हेलंग, बड़ागांव
5.	**भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र**	कलगोठ, झेलम
6.	**याक प्रजनन केन्द्र**	लाता
7.	**गाय सांड वितरि**	
8.	**भैंसा सांड वितरित**	

3. विकास खण्ड पोखरी

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान
1.	**पशु चिकित्सालय**	पोखरी, सरमोला
2.	**पशु सेवा केन्द्र**	त्रिशूला, सौड़ामंगरा, उडामाण्डा, डुंगर, चौण्डी, सिवांई।
3.	**राजकीय भेड़ प्रजनन केन्द्र**	नैल नौली,
4.	**चारा पौधालय**	पोखरी
5.	**गाय सांड वितरित**	
6.	**भैसा सांड वितरित**	
7.	**भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र**	केदारकांठा

4. विकास खण्ड घाट

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान
1.	**पशु चिकित्सालय**	घाट
2.	**पशु सेवा केन्द्र**	मटई, काण्डई
3.	**राजकीय भेड़ प्रजनन केन्द्र**	बूरा
4.	**भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र**	कनोल, भेटी, पगना
5.	**चारा पौधालय**	घाट
6.	**गाय सांड वितरित**	
7.	**भैंसा सांड वितरित**	

5. विकास खण्ड कर्णप्रयाग

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान
1.	**पशु चिकित्सालय**	कर्णप्रयाग, नौटी, नैनीसैंण, गौचर।
2.	**पशु सेवा केन्द्र**	थिरपाक, भटोली, लंगासू, सिदोली, जाख, कनखुल।
3.	**कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र**	कर्णप्रयाग, सिमली, गौचर।
5.	**चारा पौधालय**	कर्णप्रयाग।
6.	**गाय सांड वितरित**	
7.	**भैंसा सांड वितरित**	

6. विकास खण्ड नारायणबगड़

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान
1.	**पशु चिकित्सालय**	नारायणबगड
2.	**पशु सेवा केन्द्र**	कोठली, हरमनी, कण्डवागांव, रैस चोपता
3.	**कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र**	नरायणबगड
4.	**राजकीय मेंढा केन्द्र**	पैतोली
5.	**चारा पौधालय**	नारायणबगड
6.	**गाय सांड वितरित**	
7.	**भैंसा सांड वितरित**	

7. विकास खण्ड थराली

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान
1.	**पशु चिकित्सालय**	थराली, तलवाडी
2.	**पशु सेवा केन्द्र**	केईपैंठी, डुग्री
3.	**कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र**	नारायणबगड
4.	**राजकीय भेड़ प्रजनन केन्द्र**	डुंग्री
5.	**चारा पौधालय**	थराली
6.	**गाय सांड वितरित**	
7.	**भैंसा सांड वितरित**	
8.	**अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र**	ग्वालदम
9	**अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र**	ग्वालदम

8. विकाखण्ड देवाल

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान
1.	**पशु चिकित्सालय**	देवाल, मुन्दोली,
2.	**पशु सेवा केन्द्र**	नलधूरा, बोरागाड़, बलाण
3.	**राजकीय भेड़ प्रजनन केन्द्र**	बलाण
4.	**भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र**	मानमती, मुन्दोली, वाण
5.	**गाय सांड वितरित**	
6.	**भैंसा सांड वितरण**	

9. विकास खण्ड गैरसैंण

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान
1.	**पशु चिकित्सालय**	गैरसैंण, मेहलचौंरी, बछुवाबाण, आदिबद्री।
2.	**पशु सेवा केन्द्र**	घण्डियाल, देवलकोट, सिलपाटा, जंगल चट्टी, चौरासैंण, रोहिड़ा, कूनीगाड़, नैल।
3.	**कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र**	गैरसैंण।
4.	**चारा पौधालय**	गैरसैंण।
5.	**गाय सांड वितरित**	
6.	**भैंसा सांड वितरित**	
7.	**विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र**	भरारीसैंण।

2.0 पशु चिकित्सा सेवाएं

जनपद में उपलब्ध लगभग 4.0 लाख पशुधन की विभिन्न पशु रोगों से ग्रसित होने की स्थिति में पशु चिकित्सा सेवाएं राजकीय पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती हैं। अधिसूचित पशु महामारियों एवं अन्य संक्रामक पशु रोगों की रोकथाम के लिये पशु टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किया जाता है किन्तु पशु चिकित्सालयों में सहयोगी कार्मिकों की कमी तथा सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण समस्त पशुओं को समस्त पशु महामारियों के विरुद्ध टीकाकरण करना अत्यन्त चुनौतीपूर्ण एवं लगभग असंभव सा कार्य है। इसलिये जनपद में प्रत्येक वर्ष पशु महामारियों के कारण पशुधन की क्षति होती है। पशु महामारियां फैलने की स्थिति में पशु चिकित्सा कर पशुधन की क्षति को कम करने का प्रयास किया जाता है। आपात्कालीन परिस्थितियों में पशु चिकित्सा दल गठित कर पशुपालकों को तुरन्त पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं।

जनपद चमोली में अधिसूचित पशु महामारियां जैसे खुरपका–मुँहपका रोग (FMD), लंगड़िया बुखार (BQ), गलघोंटू (HS), शीप प्लेग (PPR) का प्रकोप लगभग प्रतिवर्ष होता है। अन्य पशु रोग जैसे थनेला, मिल्क फीवर और गर्भपात का प्रकोप संकर प्रजाति के पशुओं में अधिक होता है। सामान्य पशुपालक अन्तः और बाह्य परजीवी के प्रकोप से पीड़ित रहते हैं। समस्त विभागीय संस्थाओं पर अन्तः और वाह्य परजीवियों से बचाव हेतु कृमिनाशक दवायें निःशुल्क उपलब्ध हैं। मादा पशुओं में विभिन्न पोषण जनित रोगों के कारण गर्भाशय में सूजन आना, पशु का गर्मी में न आना, गर्भ न ठहरना तथा गर्भपात की समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं जिनके निराकरण के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सा एवं बांझपन निवारण शिविरों का आयोजन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान 108 पशु चिकित्सा एवं बांझपन निवारण शिविरों का आयोजन कर पशुओं की चिकित्सा की गई। पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्रों पर संचालित बाह्य रोगी पंजिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006–07 में कुल 1,18,250 पशुधन एवं कुक्कुट की चिकित्सा की गई है।

1. विकास खण्ड गैरसैंण में राजकीय पशु चिकित्सालयों की स्थापना गैरसैंण, मेहलचौरी, बछुवाबाण एवं आदिबद्री में की गई है। प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये विकास खण्ड गैरसैंण में घण्डियाल, देवलकोट, सिलपाटा, जंगलचट्टी, चौरासैंण, रोहिडा, कुनीगाड एवं नैल में पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है।
2. विकास खण्ड देवाल में राजकीय पशु चिकित्सालयों की स्थापना देवाल एवं मुन्दोली में तथा पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना नलधूरा, बोरागाड तथा बलाण में की गई है।
3. विकास खण्ड थराली में राजकीय पशु चिकित्सालयों की स्थापना थराली एवं तलवाड़ी में तथा पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना केईपेंटी तथा डुंग्री में की गई है।
4. विकास खण्ड नारायणबगड में राजकीय पशु चिकित्सालय की स्थापना नारायणबगड़ में तथा पशु सेवा केन्द्र की स्थापना कोठली, हरमनी, कण्डवालगांव तथा रैंस चोपता में की गई है।
5. विकास खण्ड घाट में राजकीय पशु चिकित्सालय की स्थापना घाट में तथा पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना काण्डई और मटई में की गई है।

6. विकास खण्ड पोखरी में राजकीय पशु चिकित्सालयों की स्थापना पोखरी एवं सरमोला में तथा पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना त्रिशूला, सौड़ामंगरा, उडामाण्डा, डुंगर, चौण्डी तथा सिवाई में की गई है।
7. विकास खण्ड जोशीमठ में राजकीय पशु चिकित्सालयों की स्थापना जोशीमठ एवं तपोवन में तथा पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना लंगसी, हेलंग, पाण्डुकेश्वर, मलारी, सुराइठोटा तथा लाता में की गई है।
8. विकास खण्ड दशोली में राजकीय पशु चिकित्सालयों की स्थापना चमोली, गोपेश्वर, नन्दप्रयाग एवं बछेर में तथा पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना मायापुर, पीपलकोटी, छिनका, गाड़ी, मैठाणा, बैरागणा एवं टंगसा में की गई है।

समस्त राजकीय पशु चिकित्सालयों के कार्यक्षेत्र का विवरण विधिक पशु चिकित्सा सेवाओं के अन्तर्गत दिया गया है। पशुपालक के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना ही पशुपालन विभाग का मुख्य ध्येय है। समस्त ग्राम प्रधानों के अनुरोध पर पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। कृमिनाशक दवा पान शिविरों का आयोजन निःशुल्क कराने हेतु निकटवर्ती राजकीय पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्र में सम्पर्क करें।

3.0 पशु रोग नियन्त्रण कार्यक्रम

उत्तराखण्ड में लगभग 50 लाख पशुधन एवं 20 लाख कुक्कुट हैं। जनपद चमोली में लगभग 4 लाख पशुधन एवं 0.2 लाख कुक्कुट हैं। कुल पशुधन का 97 प्रतिषत ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है। समस्त पशु पालक लघु एवं सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते हैं। पषु पालन व्यवसाय महिला श्रम पर आधारित है। लगभग 90 प्रतिषत पशुधन स्थानीय प्रजाति के हैं और पशुधन की उत्पादकता बहुत कम है। पशु रोगों के कारण 10–15 प्रतिषत पशुधन उत्पाद की क्षति प्रति वर्ष हो जाती है। चमोली जनपद में बड़े पशुओं में प्रति वर्ष खुरपका मुँहपका रोग तथा पी.पी.आर. रोग फैलता है किन्तु विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पशु रोग नियन्त्रण कार्यक्रमों के कारण महामारी फैलने की स्थिति नहीं आती है। त्वरित आपात्कालीन पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराकर रोगों के फैलने पर नियन्त्रण किया जा सकता है। खुरपका मुँहपका रोग से बचाव के लिये टीके प्रति वर्ष जिला योजना एवं एस्केड योजना के अन्तर्गत टीकाकरण षिविर आयोजित कर लगाये जाते हैं। पशु टीकाकरण षिविर राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किये जाते है। संबधित ग्राम प्रधान/पषु पालक ग्राम पंचायत स्तर पर टीकाकरण षिविर आयोजित करने हेतु निकटवर्ती पशु चिकित्सालय/पषु सेवा केन्द्रों में सम्पर्क कर सकते हैं। खुरपका मुँहपका रोग से बचाव हेतु टीकाकरण शुल्क रु. 2.00 प्रति पशु की दर से एस्केड योजना के अन्तर्गत लिया जाता है। स्थानीय गैर सरकारी संस्थायें टीकाकरण शुल्क का भुगतान कर निःषुल्क टीकाकरण षिविरों का आयोजन करा सकते हैं। डॉ. मनीष पटेल, पशु चिकित्साधिकारी, गैरसैंण एवं श्री भुवनेष्वरी महिला आश्रम (एक गैर सरकारी संस्था) गैरसैंण के वित्तीय सहयोग से निःषुल्क पशु टीकाकरण षिविरों का आयोजन नवम्बर–दिसम्बर 2006 में किया गया। यह एक अनुकरणीय उदाहरण है तथा अन्य पशु चिकित्साधिकारी भी स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओं के वित्तीय सहयोग से निःषुल्क पशु टीकाकरण षिविरों का आयोजन कर सकते हैं। छोटे पशुओं यथा भेड़/बकरी में खुरपका–मुँहपका रोग के टीकाकरण करने पर विभागीय शुल्क रु. 1.00 प्रति पशु लिया जाता है।

जनपद में विगत तीन वर्षों से प्रति वर्ष भेड़ एवं बकरी प्रजाति के पशुओं में पी.पी.आर. रोग पशु महामारी के रूप में फैल रहा है। पी.पी.आर. रोग के नियन्त्रण हेतु प्रति वर्ष संवेदनषील क्षेत्रों में टीकाकरण किया जाता है। पशु रोग नियन्त्रण, पशु चिकित्सा व्यवसाय का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पशु महामारियों को फैलने से रोकने तथा यदि पशु महामारियां फैल जायें तो उनके नियन्त्रण एवं निगरानी हेतु आवष्यक व्यवस्थायें सुनिष्चित कराना, पशु पालन विभाग का प्रमुख दायित्व है। जनपद की पशु पालन पद्धतियां सदियों पुरानी हैं। अनादि काल से चरवाहे पशु पालक उच्च हिमालयी क्षेत्र की अत्यधिक ठंड से पशुओं को बचाने के लिये प्रति वर्ष अक्टूबर–नवम्बर में मैदानी इलाकों में चले जाते हैं तथा मई–जून में उच्च हिमालयी क्षेत्रों के बुग्याल में पशु चरान–चुगान के लिये लौट आते हैं। चरवाही पशु पालन पद्धतियां पशु रोग नियन्त्रण में एक बड़ी चुनौती है। मैदानी क्षेत्रों में प्रवास के दौरान पशु स्थानीय पशुओं के सम्पर्क में आते हैं तथा प्रवर्जन मार्गों पर आवाजाही एवं रात्रि विश्राम के दौरान संक्रामक पशु रोगों के संक्रमण की पूर्ण संभावना रहती है। मैदानी प्रवास के बाद बुग्याल में चरान–चुगान के लिये लौटे पशु अपने साथ संक्रमण ले आते हैं। विगत वर्ष विकास खण्ड जोशीमठ के बुग्याल में पी.पी.आर. रोग संक्रमण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। पशु रोग नियन्त्रण हेतु निम्नलिखित कार्य योजना निर्धारित की गई है जिसे पशु पालकों की सक्रिय सहभागिता से जनपद में कियान्वित किया जा रहा है।

पशु रोग नियन्त्रण कार्य योजनाः–

1. समस्त ग्राम प्रधानों के सहयोग से अधिसूचित संक्रामक पशु महामारियों के फैलने तथा पशुधन की क्षति संबंधी आधारभूत आंकड़े एकत्र किये गये हैं।

2. अधिसूचित संक्रामक पशु महामारियों के फैलने की अतीत की घटनाओं की संभावना एवं पशुधन की क्षति के आधार पर समस्त ग्राम पंचायतों को उच्च पशु रोग संभावना क्षेत्र में चिन्हित किया गया है तथा समस्त ग्राम पंचायतों को उच्च/मध्यम/निम्न पशु रोग सम्भावना क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है।
3. उच्च पशु रोग सम्भावना क्षेत्रों का पशु चिकित्साधिकारी द्वारा गहन सर्वेक्षण कर पशु रोगों का विस्तृत विवरण संकलित करने हेतु निर्देष दिये गये हैं।
4. विस्तृत पशु रोग विवरण के आधार पर संभावित पशु रोगों की पहचान की जायेगी।
5. उच्च पशु रोग सम्भावना क्षेत्रों में चिन्हित पशु रोगों के विरूद्ध सघन पशु टीकाकरण कार्यक्रम संचालित कर 70–80 प्रतिषत पशुओं को टीके लगवाना सुनिष्चित किया जा रहा है।
6. उच्च पशु रोग सम्भावना क्षेत्रों में पशु रोग नियन्त्रण कार्यक्रम संचालित करने में स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओं, जन–प्रतिनिधियों तथा प्रगतिषील पशु पालकों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।
7. पशु महामारियों के फैलने तथा पशुधन की क्षति का पूर्ण अभिलेख पशु चिकित्सालय पर रखे जाने के निर्देष दिये गये हैं।
8. पशु रोग नियन्त्रण कार्य योजना एवं कार्यक्रम की जानकारी स्थानीय पशु पालकों, जन–प्रतिनिधियों एवं प्रेस को उपलब्ध कराई जा रही है।

जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में पशु रोग नियन्त्रण एवं निगरानी समिति का गठन कर पशु रोग नियन्त्रण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाया जा रहा है।

उच्च पशु रोग सम्भावना क्षेत्रों का विवरण

क्र.	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों का नाम
1	नारायणबगड़	हरमनी तल्ली, बैनोली, मींग, पालछुनी, नारायणबगड, केवर।
2	थराली	ब्रह्मताल, रतगांव, बूंगा, बुरसोल, डुंग्री, चैपडों, त्रिकोट, बुडजोला, ग्वालदम।
3	देवाल	मुन्दोली, सूया, ल्वाणी, वाण, बलाण, हिमनी, घेस, फल्दियागांव।
4	कर्णप्रयाग	गौचर, नोली, झिरकोटी।
5	चमोली	गोपेश्वर, देवरखडोरा, गंगोलगांव, सगर, ग्वाड़, देवलधार, बैरागणा, सिरौली, टंगसा, काण्डई, गैर।
6	गैरसैंण	सेंजी, सिंगरानी, दाड़िमडाली, भौसाण, सिन्दोली, गडोली, कोनियाणा, गैड, धारगैड, टैटोडाक, सरानीतल्ली, बछुवाबाण, तोतरिया, देवपुरी, कण्डारीखोड, गडौत, बाटाधार, हरगढ़, धुनारघाट, स्यूडी मल्ली।
7	पोखरी	नैल, नौली, जखमाला, गंनियाला, डूंगर, तोणजी।
8	घाट	घूनी, रामणी, कनोल, भेटी, ल्वाणी।
9	जोशीमठ	नीती, बाम्पा, माणा, कैलाष्सपुर, गणाई, जखोला, जोषीमठ, भ्यूंडार, पाण्डुकेष्वर।

प्राथमिक पशु रोग सर्वेक्षण के आधार पर उच्च पषु रोग संभावित ग्राम पंचायतें चिन्हित की गई हैं। चिन्हित ग्राम पंचायतों में संभावित पशु रोग के विरूद्ध शत प्रतिषत टीकाकरण करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे पशु रोग नियन्त्रण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से संचालित किया जा सके। अन्य क्षेत्रों में भी ग्राम प्रधान एवं पशु पालकों के अनुरोध पर टीकाकरण कराया जा रहा है। विगत पांच वर्षों में मुख्य रूप से खुरपका मुहपका एवं पी.पी.आर. से सर्वाधिक पशु संक्रमित हुये हैं। अतः खुरपका मुँहपका एवं पी.पी.आर. रोग के विरूद्ध टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। फरवरी, 2007 तक एफ.एम.डी.–21,676,

पी.पी.आर.–32,266, एच.एस.–3,477, बी.क्यू.–1,301, ए.आर.बी– 1,481 और शीप पाक्स 9,941 टीके लगाये लगाये जा चुके हैं।

बुग्यालों की सूची

क्र.सं.	बुग्याल का नाम	ऊंचाई	क्षेत्रफल(हैक्टेयर में)
1	औली गुरसों	10,000	200
2	क्वांरी	12,000	200
3	माणा	10,000	40
4	नीती	12,000	112
5	द्रोणागिरी	12,000	60
6	बड़ाहोती	14,000	200
7	बेदनी	14,000	280
8	ब्रह्मताल	10,000	60
9	मुन्दोली	12,000	50
10	रुद्रनाथ	12,000	120

नीती घाटी के नीचे के प्रवासी मार्गः–

1- गेल्ढुंग बुग्याल से नीती, मलारी, सुराईठोटा, लाता, औली, चमोली, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, चौखुटिया, भिक्यासैंण, कोटद्वार भाबर, कालागढ़ भाबर तथा हल्द्वानी।

2- कालजाबर बुग्याल से गमसाली, मलारी, लाता, तपोवन, क्वांरीपास, नारायणबगड़, दिवा खाल, कोटद्वार भाबर तथा कालागढ़ भाबर।

3- रिमखिम से लपथल बुग्याल से सोमना, मलारी, सुराईठोटा, आली, कर्णप्रयाग, कोटद्वार भाबर।

माणा घाटी से नीचे की और प्रवासी मार्गः–

1. रताकोंणा बुग्याल से माणा, बद्रीनाथ, विष्णुप्रयाग, थेंग, उर्गम, रूद्रनाथ, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, भतरोंजखान।
2. रताकोंणा बुग्याल से माणा, बद्रीनाथ, विष्णुप्रयाग, हेलंग, कर्णप्रयाग, दिवालीखाल, भिक्यासैंण, बेतालघाट, रामनगर भाबर।

शीतकालीन कैम्पिंग स्थल निम्न हैंः–

1. रामनगर– बेतालघाट, भतरोंजखान, भिक्यासैंण (रामगंगा कोसीगाड घाटी) कोटद्वार भाबर, कालागढ़।
2. हल्द्वानी– ग्वालापार, कालाढुंगी।

शीतकालीन प्रवास के बाद ऊपर बुग्याल की ओर जाने वाले प्रवासी मार्ग भी उपरोक्त ही हैं। इसके साथ ही रास्ते में पड़ने वाले स्थानीय लोगों की भेड़ें भी बुग्याल इन्हीं मार्गों से जाती हैं।

भेड़ रोग नियन्त्रण कार्य योजना

1. आव्रजन मार्गों का चयन

जनपद में ग्रीष्म कालीन प्रवास एवं चरान–चुगान हेतु पशुपालक 15 अप्रैल से 30 जून तक विभिन्न बुग्यालों की ओर प्रस्थान करते हैं। विभिन्न प्रव्रजन मार्गों पर पशुपालकों के रात्रि विश्राम स्थलों के निकट पशु रोग नियन्त्रण चौकियों की स्थापना की जा रही है।

पशु रोग नियन्त्रण चौकियों का विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.	बुग्याल का नाम	तहसील	चौकियां
1	औली / गुरसों / नीती / माणा / क्वारी	जोशीमठ	गुरसों, पांडुकेषर
2	प्रव्रजन मार्ग गैरसैंण	गैरसैंण	मेहलचौंरी,
3	प्रव्रजन मार्ग कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	गौचर
4	प्रव्रजन मार्ग घाट	चमोली	संगोला बगड़
5	बेदनी / ब्रह्मताल बुग्याल	थराली	मुन्दोली
6.	पोखरी	पोखरी	मोहनखाल

प्रत्येक पशु रोग नियन्त्रण एवं निगरानी चौकी में निम्नलिखित कार्मिकों की तैनाती की जायेगी :

1. पशु चिकित्साधिकारी– एक
2. पशुधन प्रसार अधिकारी– दो
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी– तीन

निकटवर्ती पटवारी चौकी में तैनात राजस्व विभाग के पटवारी तथा पुलिस चौकी / थाने में तैनात एक नियमित पुलिस कान्सटेबिल की तैनाती के निर्देष उप जिलाधिकारी / थानाध्यक्ष द्वारा जारी किये जायेंगे। समस्त पशु रोग नियन्त्रण चौकियां 15 अप्रैल से 30 जून तक प्रभावी रहेंगी।

जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी, चमोली की अध्यक्षता में जिला पषु रोग नियन्त्रण एवं निगरानी समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया है :–

1– मुख्य विकास अधिकारी, अध्यक्ष
2– मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदस्य
3– उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मुख्यालय) सदस्य
4– उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) सदस्य
5– उप प्रभागीय वनाधिकारी (नोडल) सदस्य
6– पषु चिकित्सा अधिकारी, गोपेष्वर सदस्य

सचिव

समिति मासिक अन्तराल पर बैठक आयोजित कर जनपद में पशु रोग नियन्त्रण एवं निगरानी कार्यों की समीक्षा करेगी। सम्बन्धित उप जिला अधिकारी, तहसील स्तर पर स्थापित पषु रोग नियन्त्रण चौकियों के नियन्त्रक अधिकारी होगे तथा समय समय पर निरीक्षण कर आवष्यक दिषा निर्देष जारी करेगें। पशु महामारी फैलने की स्थिति में आपातकालीन व्यवस्थाये सुनिष्चित करनो के उद्देष्य से सचल पशु रोग नियन्त्रण एवं निगरानी दल का गठन पशु चिकित्साधिकारी,गोपेश्वर के दिषा निर्देशन में कार्य करेगा। सचल दल के आवा गमन हेतु बुलेरो वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

रेबीज रोग नियन्त्रण कार्य योजना

गोपेष्वर, जोषीमठ एवं गौचर नगरीय क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज संक्रमण का खतरा दिसम्बर–जनवरी में सर्वाधिक पाया गया है। उप जिलाधिकारी, जोषीमठ तथा अधिषासी अधिकारी, नगरपालिका, जोषीमठ के सहयोग से लगभग 20 संक्रमित आवारा कुत्तों को मारा गया। पशु पालकों एवं पशुओं की सुरक्षा के लिये नगर क्षेत्र में समस्त पशुपालकों के पशुओं का टीकाकरण किया गया है तथा रेबीज के बारे में जागरूकता अभियान संचालित किया गया। वित्तीय वर्ष 2006–07 में 1481 पशुओं को रेबीज के विरुद्ध टीके लगाये गये।

रोग का संक्रमणः– रेबीज पागल कुत्तों के काटने से फैलने वाला, एक विषाणु जनित रोग है। पागल कुत्तों के अतिरिक्त जंगली पशु जैसे गीदड़, लोमड़ी, चमगादड़, नेवला, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से भी रेबीज संक्रमण का खतरा बना रहता है। रेबीज संक्रमित पशुओं द्वारा अन्य पशुओं यथा गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि एवं मनुष्य को काटने पर रेबीज फैलता है।

रोगी पशु के लक्षण एवं संक्रमणः–

1. संक्रमित पशु के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और वह खाना–पीना बन्द कर देता है।
2. संक्रमित कुत्ते की आंख देर से झपकती है। कुत्ते का व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। कीट–पंतगों को खाने के लिये झपटता है तथा लकड़ी, पत्थर, ईंट, मिट्टी कपड़ा आदि खाने का प्रयास करता है।
3. संक्रमित कुत्ते के शरीर में कंपकंपाहट एवं ऐंठन होती है व संक्रमण के 10–15 दिन के अन्दर उसकी स्वतः मृत्यु हो जाती है।
4. संक्रमित कुत्ते का व्यवहार आक्रामक हो जाता है। भौंकने की आवाज में परिवर्तन आ जाता है। मुंह से लार टपकती रहती है। अक्सर काटने का प्रयास करता है।
5. संक्रमित कुत्ते की लार कटे स्थान पर लगने से रेबीज होने की संभावना बढ़ जाती है। संक्रमित दुधारू पशु के दूध का सेवन नहीं करना चाहिये। दूध निकालने वाली महिला के हाथ में घाव/चोट लगी होने पर रेबीज संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

उपचार :

1. संक्रमित कुत्ते के काटने के तुरन्त बाद पशु अथवा मनुष्य को टीके लगाने से संक्रमण को रोका जा सकता है।
2. संक्रमित कुत्ते के काटने के स्थान को साबुन व साफ पानी में पोटेषियम परमैंग्नेट/डेटॉल आदि मिलाकर धोना चाहिये।
3. पोस्ट वाइट टीके 0, 3, 7, 14 व 30 वें दिन पर तथा बूस्टर टीका 90 दिन बाद लगाना चाहिये।

बचाव :

1. समस्त पालतू कुत्तों को प्रीवाइट रेबीज के टीके लगवाने से रेबीज संक्रमण से सुरक्षा होती है। कुत्तों में पहला टीका 45 दिन की आयु पर तथा तदोपरान्त प्रति वर्ष टीकाकरण कराना चाहिये।
2. आवारा कुत्तों से सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। पालतू कुत्तों को आवारा कुत्तों से न मिलने दें।
3. आवारा कुत्तों को संक्रमण की स्थिति में टीके लगाने चाहिये। टीकाकरण संभव न होने की दषा में उसे मार देना चाहिये।
4. संक्रमित कुत्ते द्वारा आक्रमण करने की दषा में भयभीत न हों, बल्कि डंडा/छड़ी से कुत्ते को दूर भगाने का प्रयास करना चाहिये।
5. संदिग्ध कुत्ते द्वारा काटने पर 10 दिन तक कुत्ते को निरीक्षण में रखना चाहिये। संक्रमित कुत्ते की 10 दिन में मृत्यु होने पर टीकाकरण अवष्य कराना चाहिये।

पी. पी. आर.. रोग नियन्त्रण

पी.पी.आर. रोग (पेस्टीडस पैटिटस रूमिनेन्टस) बकरियों एवं भेड़ों में एक विषाणुजन्य रोग है। लाक्षणिक रूप से यह रिंडरपेस्ट रोग से मिलता जुलता है।, बकरियों में रोग के लक्षण भेड़ की अपेक्षा तीव्र होते हैं। रोग से लगभग 10–100 प्रतिषत पशु ग्रसित हो जाते हैं तथा ग्रसित पशुओं में से 50 से 100 प्रतिषत पशु मर जाते हैं। गाय, भैंसों में इस विषाणु से लाक्षणिक रोग नहीं होता परन्तु ये विषाणु–संवाहक का कार्य कर सकते हैं। भारत में इस रोग की पुष्टि वर्ष 1989 में की गई तथा उत्तर प्रदेष/उत्तराखण्ड में यह रोग वर्ष 1994 से परिलक्षित हुआ है।

रोग के लक्षण :

विषाणु संक्रमण के लगभग एक सप्ताह में संक्रमित भेड़ व बकरी में प्रारम्भ में 105–107 डिग्री फा. तीव्र ज्वर होता है। पशु सुस्त हो जाता है। नाक से पानी गिरता है, जो बाद में गाढ़ा लसिला हो जाता है। कभी–कभी इसमें रक्त के थक्के भी हो जाते हैं। होंठ, मुख के अन्दर के भाग, मसूढ़ों आदि पर छोटे–छोटे सतही घाव होते हैं तथा इन पर भूसी जैसा पदार्थ जम जाता है। होंठ कुछ लटके हुये होते हैं। न्यूमोनिया के लक्षणों के साथ सांस लेने में तकलीफ होती है। आंखों से पानी आना, आंखों की सूजन तथा अतिसार होना, अन्य प्रमुख लक्षण हैं। अतिसार में रक्त भी हो सकता है। रोग के कुछ पुराना पड़ने पर तथा अतिसार के कारण शरीर में पानी एवं लवण अल्पता के लक्षण होते हैं। मृत्यु अतिसार तथा न्यूमोनिया से होती है।

मृत्योपरान्त परीक्षण में मुंह के घावों के अतिरिक्त विषाणुजन्य न्यूमोनिया, पेट के सभी भागों में रक्त का छलकना, ऐबोमेजम में रक्त तथा आंखों में रक्त अधिकता के साथ जैबरा मारकिंग के लक्षण होते हैं। रोगी भेड़ एवं बकरी में अन्य कीटाणु संक्रमण तथा आंत्र परजीवी–प्रोटोजोआ आदि के कारण रोग की गंभीरता तथा मृत्यु दर बढ़ जाती है। गर्भित भेड़–बकरियों में गर्भपात हो जाता है।

रोग का फैलाव :

रोग के विषाणु रोग ग्रसित पशु के सम्पर्क में आने पर स्वांस द्वारा दूषित चारे व पानी द्वारा फैलता है। अतः किसी भेड व बकरी समूह में रोग के लक्षण दिखाई देने पर अन्य स्वस्थ पशुओ को अलग रखना चाहिये। रोग वर्ष भर किसी भी मौसम में हो सकता है।

रोग का निदान :

अनुभवी पशु चिकित्सक लक्षणों के आधार पर रोग का निदान कर सकते हैं। चूंकि रोग के लक्षण भेड़/बकरी के रिंडरपेस्ट से मिलता है। अतः प्रयोगषालीय निदान अत्यावष्यक है। विभिन्न टेस्ट विषेष प्रयोगषाला में ही किये जा सकते हैं। इसके लिये पशु चिकित्सक को मृत्यु पशु के विभिन्न अवयव जैसे मीजैकन्ट्रक लिम्फग्रंथी, प्लीहा, आंत, फेफड़े, पुरानी रोगी पशु से रक्त सीरम आदि एकत्र कर बर्फ के ऊपर रखकर विषेष संवाहक द्वारा प्रयोगषाला को भेजना चाहिये जहां विभिन्न परीक्षणों द्वारा रोग का निष्चयात्मक निदान किया जाता है।

रोग की चिकित्सा तथा रोकथाम :

रोगी पशु का निर्जलीकरण से बचाव प्रमुख है। अतः सर्वप्रथम इलैक्ट्रोलाइट द्वारा निर्जलीकरण का इलाज किया जाना चाहिये। साथ ही जीवाणुओं का प्रकोप रोकने के लिये पांच–सात दिन तक एन्टीबायोटिक दिया जाना चाहिये। इसी प्रकार अतिसार की भी चिकित्सा की जाती है। अतिसार यदि कोक्सीडिया या आंत्र परजीवी द्वारा अधिक है तो उनके लिये भी समुचित दवा दी जानी चाहिये। समुचित इलाज द्वारा 50–60 प्रतिषत रोगी पशुओं को बचाया जा सकता है। अन्य स्वस्थ पशुओं के बचाव के लिये विषेष टीका पी.पी.आर. को लगाना चाहिये। वहीं रिंडरपेस्ट सैल कल्चर वैक्सीन इस रोग का बचाव करती है। यहां पर यह बात विषेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है कि वर्तमान में रिंडरपेस्ट उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है तथा उत्तर भारत में रिंन्डरपेस्ट पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से परिलक्षित नहीं हुआ है। रिंडरपेस्ट के

सीरो सर्वेक्षण कार्य के कारण भारत सरकार ने रिंडरपेस्ट टीके का उपयोग प्रतिबन्धित कर रखा है। अतः केवल पी.पी.आर. को उद्वेग होने पर भेड़/बकरियों में रिंडरपेस्ट सैल कल्चर वैक्सीन का उपयोग तभी किया जा सकेगा, जब समुचित प्रयोगषाला द्वारा पी.पी.आर. होने की पुष्टि हो जाय। इसलिये यह अत्यन्त आवष्यक है कि भेड़ एवं बकरियों में पी.पी.आर. रोग का अंदेषा होने पर पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारियों को तुरन्त सूचित किया जाय। जिससे समुचित चिकित्सा एवं बचाव के प्रबन्ध किये जा सकें।

खुरपका–मुँहपका रोग

खुरपका मुँहपका रोग को खुरिया, खुरहा, डपका, खडवा के नाम से जाना जाता है।

प्रभावित पशु– गोवंषीय, महिष वंषीय, भेड़–बकरी एवं सूकर (सूकर में मृत्यु दर अधिक)

रोग का कारण– विषाणु जनित रोग है। विषाणु सात प्रकार का होता है। भारत में एषिया 1, 2, 3 प्रकार का मिलता है। यही कारण है कि एक प्रकार के विषाणु से आक्रान्त किया हुआ पशु ठीक होकर पुनः दूसरे प्रकार के विषाणु से प्रभावित हो जाता है।

रोग का संचार

1. निकट सम्पर्क।
2. दूषित चारा, पानी, दूध, फर्ष, परिचालकों के कपड़े।
3. उड़ने वाली चिड़िया के पैरों में, जो जानवरों के ऊपर बैठती है।

रोग के लक्षण

1. शरीर का तापक्रम 40 से 41 डिग्री सेन्टीग्रेड।
2. मुंह, खुर एवं थनों पर छाले।
3. लगातार बहुत अधिक मात्रा में लार गिरना।
4. मुंह में चपचपाहट की आवाज।
5. एक या अधिक पैरों से लंगड़ाना।
6. पैरों को बार–बार झटकना। कभी–कभी कीड़े भी पड़ जाते हैं।
7. सूकरों में मलज तथा स्नायु में छाले।
8. डाले पड़ने के बाद बुखार कम।
9. पशु की खाने तथा चलने पर मृत्यु भी हो सकती है।
10. अग्रिम अवस्था के गर्भ भी गिर जाते हैं।

रोग निदानः– लक्षणानुसार पषु चिकित्सा की जाती है।

चिकित्साः– निकटवर्ती पशु चिकित्सालय से सम्पर्क करें।

बचाव हेतु टीकाकरणः– इस रोग से बचने के लिये टीकाकरण एक उत्तम साधन है।

बछड़ों को 1–3 माह बाद की उम्र पर तथा भेड़/बकरियों में 4 माह की आयु पर तथा बाद में प्रत्येक 6 माह के अन्तराल पर टीकाकरण करना चाहिये। पषुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने तथा अधिक उत्पादन प्राप्त करने पषुपालन गतिविधियों का माहवार कलेण्डर तैयार किया गया है। समस्त पषु पालक विभिन्न वर्णित गतिविधियों को माहवार सम्पन्न कर पषुओं से अधिक आय अर्जित कर सकते है।

पशुपालन कलेण्डर
(आवष्यक कार्य जो किये जाने हैं)

1. अप्रैल (चैत्र)

1. खुरपका–मुँहपका रोग से बचाव का टीका लगवायें।
2. जायद के हरे चारे की बुआई करें, बरसीम चारा बीज उत्पादन हेतु कटाई कार्य करें।
3. अधिक आय के लिए स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करें।
4. अन्तः एवं बाह्य परजीवी का बचाव दवा स्नान/दवा पान से करें।

2. मई (बैषाख)

1. गलाघोंटू तथा लंगड़िया बुखार का टीका सभी पशुओं में लगवायें।
2. पशुओं को हरा चारा पर्याप्त मात्रा में खिलायें।
3. पषु को स्वच्छ पानी पिलायें।
4. पषु को सुबह एवं सायं नहलायें।
5. पषु को लू एवं गर्मी से बचाने की व्यवस्था करें।
6. परजीवी से बचाव हेतु पषुओं में उपचार करायें।
7. बांझपन की चिकित्सा करवायें तथा गर्भ परीक्षण करायें।

3. जून (जेठ)

1. गलाघोंटू तथा लंगड़िया बुखार का टीका अवषेष पषुओं में लगवायें।
2. पषु को लू से बचायें।
3. हरा चारा पर्याप्त मात्रा में दें।
4. परजीवी निवारण हेतु दवा पशुओं को पिलवायें।
5. खरीफ के चारे मक्का, लोबिया के लिए खेत की तैयारी करें।
6. बांझ पषुओं का उपचार करायें।
7. सूखे खेत की चरी न खिलायें अन्यथा जहर वाद का डर रहेगा।

4. जुलाई (आषाढ़)

1. गलाघोंटू तथा लंगड़िया बुखार का टीका षेष पषुओं में लगवायें।
2. खरीफ चारा की बुआई करें तथा जानकारी प्राप्त करें।
3. पषुओं को अन्तः कृमि की दवा पान करायें।
4. वर्षा ऋतु में पषुओं के रहने की उचित व्यवस्था करें।
5. ब्रायलर पालन करें, आर्थिक आय बढ़ायें।
6. पषु दुहान के समय खाने को चारा डाल दें।
7. पषुओं को खड़िया का सेवन करायें।
8. कृत्रिम गर्भाधान अपनायें।

5. अगस्त (सावन)

1. नये आये पषुओं तथा अवषेष पषुओं में गलाघोंटू तथा लंगड़िया बुखार का टीकाकरण करवायें।
2. लिवर फ्लूक के लिए दवा पान करायें।
3. गर्भित पषुओं की उचित देखभाल करें ।
4. ब्याये पषुओं को अजवाइन, सोंठ तथा गुड़ खिलायें। देख लें कि जेर निकल गया है।
5. जेर न निकलनें पर पषु चिकित्सक से सम्पर्क करें।
6. भेड़/बकरियों को परजीवी की दवा अवष्य पिलायें।

6. सितम्बर (भादौ)–

1. उत्पन्न संतति को खीस (कोलेस्ट्रम) अवष्य पिलायें।
2. अवषेष पषुओं में एच.एस. तथा बी.क्यू. का टीका लगवायें।
3. मुँहपका तथा खुरपका का टीका लगवायें।
4. पषुओं की डिवर्मिंग करायें।
5. भैंसों के नवजात षिषुओं का विषेष ध्यान रखें।
6. ब्याये पषुओं को खड़िया पिलायें।
7. गर्भ परीक्षण एवं कृत्रिम गर्भाधान करायें।
8. तालाब में पषुओं को न जाने दें।
9. दुग्ध में छिछड़े आने पर थनैला रोग की जाँच अस्पताल पर करायें।
10. खीस पिलाकर रोग निरोधी क्षमता बढ़ावें।

7. अक्टूबर (क्वार/आष्विन)

1. खुरपका–मुँहपका का टीका अवष्य लगवायें।
2. बरसीम एवं रिजका के खेत की तैयारी एवं बुआई करें।
3. निम्न गुणवत्ता के पषुओं का बधियाकरण करवायें।
4. उत्पन्न संततियों की उचित देखभाल करें
5. स्वच्छ जल पषुओं को पिलायें।
6. दुहान से पूर्व अयन को धोयें।

8. नवम्बर (कार्तिक)

1. खुरपका–मुँहपका का टीका अवष्य लगवायें।
2. कृमिनाषक दवा का सेवन करायें।
3. पषुओं को संतुलित आहार दें।
4. बरसीम तथा जई अवष्य बोयें।
5. लवण मिश्रण खिलायें।
6. थनैला रोग होने पर उपचार करायें।

9. दिसम्बर (अगहन/मार्गषीर्ष)

1. पषुओं का ठंड से बचाव करें, परन्तु झूल डालने के बाद आग से दूर रखें।
2. बरसीम की कटाई करें।
3. वयस्क तथा बच्चों को पेट के कीड़ों की दवा पिलायें।
4. खुरपका–मुँहपका रोग का टीका लगवायें।
5. सूकर में स्वाईन फीवर का टीका अवष्य लगायें।

10. जनवरी (पौष)

1. पषुओं का षीत से बचाव करें।
2. खुरपका–मुँहपका का टीका लगवायें।
3. उत्पन्न संतति का विषेष ध्यान रखें।
4. बाह्य परजीवी से बचाव के लिए दवा स्नान करायें।
5. दुहान से पहले अयन को गुनगुने पानी से धो लें।

11. फरवरी (माघ)

1. खुरपका–मुँहपका का टीका लगवाकर पषुओं को सुरक्षित करें।
2. जिन पषुओं में जुलाई अगस्त में टीका लग चुका है, उन्हें पुनः टीके लगवायें।
3. बाह्य परजीवी तथा अन्तः परजीवी की दवा पिलवायें।
4. कृत्रिम गर्भाधान करायें।
5. बांझपन की चिकित्सा एवं गर्भ परीक्षण करायें।
6. बरसीम का बीज तैयार करें।
7. पशुओं को ठण्ड से बचाव का प्रबन्ध करें।

12. मार्च (फागुन)

1. पशुशाला की सफाई व पुताई करायें।
2. बधियाकरण करायें।
3. खेत में चरी, सूडान तथा लोबिया की बुआई करें।
4. मौसम में परिवर्तन से पशु का बचाव करें।

4.0 पशु प्रजनन कार्यक्रम

उत्तराखण्ड में लगभग 22 लाख गौ वंशीय, 12 लाख महिष वंशीय, 03 लाख भेड़ तथा 12 लाख बकरी प्रजाति के पशु उपलब्ध हैं। जनपद में लगभग 1.90 लाख गौ वंशीय, 55 हजार महिष वंशीय, 45 हजार भेड़ तथा 78 बकरी प्रजाति के पशु उपलब्ध हैं। चमोली जनपद में 90 प्रतिशत पशुधन स्थानीय प्रजाति के है तथा स्थानीय पशुधन की संकर प्रजनन के द्वारा नस्ल सुधार कर उत्पादकता सुगमता पूर्वक बढ़ाई जा सकती है। गौ एवं महिष वंशीय पशुओं की नस्ल सुधार का दायित्व उत्तरांचल पशुधन विकास परिषद को सौंपा गया है।

1. **कृत्रिम गर्भाधान कार्यः–** वर्तमान में जनपद में गाय तथा भैंस की नस्ल सुधार हेतु पशुपालन विभाग द्वारा 10 पैरावेट योजना के अन्तर्गत कृत्रिम केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र चमोली, नन्दप्रयाग, गौचर, गैरसैंण, कर्णप्रयाग, सिमली, जोशीमठ, गोपेश्वर, टंगसा, मैठाणा में तथा बायफ द्वारा 10 केन्द्र क्रमशः आदिबद्री, चमोली, देवाल, गैरसैंण, घाट, लंगासू, पोखरी, जोशीमठ, पीपलकोटी, थराली में कुल 20 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हैं। पशुपालक रु. 50.00 कृत्रिम गर्भाधान शुल्क जमा कर अपने पशु को कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गर्भित करा सकता है।

2. नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रमः– जनपद के सीमान्त क्षेत्रों में पशु प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने में पशुपालन विभाग द्वारा नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना की गई थी जिसे वित्तीय वर्ष 2002–03 में समाप्त कर नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों पर स्थापित गाय/भैंसा सांडों को संबधित ग्राम प्रधानों को हस्तान्तरित कर दिया गया है। यह सर्वविदित है कि पशुपालन उत्तराखण्ड की ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था की धुरी है। यह न केवल उत्तरांचल के बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार का एक उत्तम साधन है वरन् इससे उनको जीविकोपार्जन हेतु आय भी होती है। उत्तराखण्ड में उपलब्ध दुधारू पशु आनुवांशिक रूप से बहुत निम्न श्रेणी के है इस कारण उनकी उत्पादक क्षमता बहुत कम है तथा अत्यधिक शारीरिक श्रम के बावजूद पशुपालकों को इससे अधिक लाभ नहीं होता है। आनुवंशिक स्तर पर इन पशुओं की नस्ल सुधार द्वारा ही इनकी उत्पादक क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। ऐसे में जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा नही हैं, वहां नैसर्गिक अभिजनन ही नस्ल सुधार का सुलभ साधन है। इस परिपेक्ष्य में उत्तरांचल पशुधन विकास परिषद द्वारा नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रम को दारिन्दा के माध्यम से पुनर्जीवित करके स्वरोजगार उपलब्ध कराने वाली योजना के रूप में कार्यान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रो में गाय/भैंस पालन सर्वाधिक प्रचलित पशु पालन व्यवसाय है। ग्रामीण पशु पालक बाजार के लिये कम और अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिये पशु पालन अधिक करते हैं। पशुधन की उत्पादकता अत्यन्त न्यून है जिससे पशु पालकों की घरेलू जरूरतें भी ठीक से पूरी नही हो पाती है। पशु पालको की आय बहुत कम है। तकनीकी हस्तान्तरण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। पशु पालन में पूंजी निवेश नगण्य है आधुनिक पशु पालन पद्धतियों का प्रचार–प्रसार बहुत कम हुआ है। ऐसी स्थिति में पशुपालन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने एवं लाभप्रद बनाने का सबसे सुगम उपाय संकर प्रजनन के द्वारा पशुओं का आनुवांशिक उच्चीकरण करना है। पशु प्रजनन कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत को एक गाय तथा एक भैंसा सांड उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है किन्तु सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण वर्तमान में केवल 47 ग्रामों में गाय सांड तथा 46 ग्रामों में भैंसा सांड उपलब्ध कराये गये हैं।

इस प्रकार नैसर्गिक अभिजनन के माध्यम से लगभग 30 प्रतिशत गाय व भैंस प्रजाति के पशुधन को आच्छादित किया जा रहा है।

विकास खण्डवार निम्न विवरण इस प्रकार है :

विकास खण्ड का नाम	गाय सांड	भैसा सांड

1. जोशीमठ	3	5
2. दशोली	10	9
3. घाट	0	6
4. कर्णप्रयाग	4	4
5. पोखरी	13	3
6. गैरसेंण	3	6
7. नारायणबगड़	6	3
8. थराली	8	8
9. देवाल	0	2

कार्य योजना :

1. ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण कर पशु प्रजनन हेतु उपलब्ध गाय सांड/भैंसा सांड की आवश्यकता की स्पष्ट विवरण संकलित किया जाय।
2. समस्त ग्राम पंचायतों को पशु प्रजनन सुविधायें उपलब्ध हैं/नही हैं की श्रेणी में स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है।
3. ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जिनमें पशु प्रजनन सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, का निरीक्षण कर गाय/भैंसा सांड की मांग सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
4. पशु प्रजनन आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्र में गाय/भैंसा सांड पालने हेतु सम्बन्धित ग्राम प्रधान के सहयोग से दारिन्दाओं का चयन किया जायेगा।
5. पशु प्रजनन कार्य योजना के अनुरूप गाय एवं भैंसा सांडो की आपूर्ति चरणबद्ध तरीके से उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद के माध्यम से की जायेगी।
6. सांडों की आपूर्ति पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर की जायेगी।

दारिन्दा के चयन की प्रक्रिया :

1. दारिन्दा का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जाये।
2. सांड पालक निजी व्यय पर सांड पालने में सक्षम होना चाहिये।
3. प्रगतिशील पशुपालकों को दारिन्दा के चयन में वरीयता दी जायेगी।
4. सांड का बीमा उत्तरांचल पशुधन विकास परिषद द्वारा कराया जायेगा।
5. दारिन्दा को रु. 100 के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर सांड के समुचित रख–रखाव एवं स्थानीय पशुपालकों को नैसर्गिक प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सहमति पत्र हस्ताक्षरित करना होगा।

3. पैरावैट प्रषिक्षण कार्यक्रम :

ग्रामीण षिक्षित बेरोजगार युवकों हेतु पैरावैट प्रषिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकेंगी। साथ ही षिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रषिक्षण प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी को विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडियेट उत्तीर्ण होना चाहिये। उक्त अर्हता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी प्रषिक्षण के लिये आवेदन पत्र को ग्राम प्रधान की संस्तुति करवा कर निकट के पषु चिकित्सालय में जमा कर दें। प्रषिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व अभ्यथी को सूचित किया जायेगा। प्रषिक्षण पूर्ण होने पर अभ्यर्थी पैरावैट को उसके इच्छित स्थान पर कृत्रिम गर्भाधान कार्य करने के लिये अधिकृत कर दिया जाता है तथा इसके लिये आवष्यक उपकरण तथा सीमन स्ट्रा नियमित रूप से कार्य स्थल पर पशुधन विकास परिषद द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। उत्तराखण्ड में 10 जनपद पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित हैं, जहां जीवन अत्यंत कठिन व रोजगार के अवसर अत्यंत न्यून हैं। राज्य सरकार का प्रयास नवयुवकों को पशुपालन के प्रति प्रोत्साहित कर रोजगार के नये अवसर सृजित करना है। प्रदेश में गौ एवं महिष वंशीय पशुओं की संख्या क्रमशः 21.30 एवं 10.60 लाख है परंतु गौवंशीय पशुओं में 95 प्रतिशत देशी

या अवर्गीकृत श्रेणी के हैं, जिनका औसत दुग्ध उत्पादन 1.95 लीटर प्रतिदिन है जबकि शेष 5 प्रतिशत उन्नत नस्ल का दुग्ध उत्पादन 6.22 लीटर प्रतिदिन है। उच्च कोटि के सांडों से प्राप्त वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा उत्पन्न संतति प्राप्त कर राज्य के औसत दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर पशुपालन के प्रति नवयुवकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिये ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के द्वार पर प्रजनन सुविधायें पहुंचाये जाने की आवश्यकता है।

उत्तराखण्ड, पशुधन विकास परिषद द्वारा संपादित कार्यः–

1. पशुपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम (पशुलोक)
2. वीर्य उत्पादन कार्यक्रम (श्यामपुर)
3. कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम
4. नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रम
5. चारा उत्पादन कार्यक्रम, चारा बीज, नैपियर रूट्स वितरण
6. काम्पैक्ट फीड ब्लाक्स का निर्माण (श्यामपुर)
7. चारागाह विकास कार्यक्रम
8. राष्ट्रीय पशुधन बीमा कार्यक्रम हरिद्वार, उधमसिंह नगर
9. फील्ड परफॉरमेन्स रिकार्डिंग कार्यक्रम उधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून।
10. भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम उधमसिंह नगर, नैनीताल।

5.0 भेड़ विकास कार्यक्रम

उत्तराखण्ड एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसका उदय देष के 27वें राज्य के रूप में 09 नवम्बर, 2000 को हुआ। उत्तराखण्ड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53483 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या 84,79,562 है। इनमें से 13,572 भेड़ पालक हैं, जिनके पास कुल भेड़ों की संख्या 3,10,705 है। उत्तराखण्ड के 13 जनपदों में से 10 जनपद पूर्णतया पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित हैं जहां का जीवन अत्यन्त कठिन एवं रोजगार के अवसर बहुत ही कम हैं।

भेड़ पालन का मुख्य उद्देष्य ऊन उत्पादन तथा ऊनी वस्त्रों का निर्माण है। उत्तराखण्ड की जाड़, भोटिया, मार्छा आदि अनुसूचित जनजातियां भेड़ पालन का कार्य पारम्परिक रूप से करती आई हैं। इन्हीं के द्वारा ऊनी वस्त्रों, षाल, कम्बल, बिछौने, ओढने आदि के वस्त्रों का निर्माण भी किया जाता है।

भेड़ पालकों की संख्या विगत वर्षों से निरन्तर कम होती आ रही है, जिसके प्रमुखकारण निम्नवत हैं :

- भेड़ पालकों का आधुनिक सुख–सुविधाओं के कारण व्यवसाय से पलायन।
- रोजगार साधनों का विविधीकरण।
- भेड़ पालकों में षिक्षा का व्यापक प्रसार होना।
- भेड़ पालकों को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से हेय माना जाना।
- वनों एवं चारागाहों की कमी।
- विभिन्न वन्य जीव अभ्यारणों के कारण चरान–चुगान क्षेत्र को प्रतिबन्धित करना।
- बुग्यालों की स्थिति में उत्तरोत्तर गिरावट आना।
- वन अधिनियम द्वारा चरान–चुगान क्षेत्रों को प्रतिबन्धित करना।

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास परिषद की स्थापना : भेड़ पालकों की विभिन्न समस्याएं तथा उनकी मांग को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन किया गया है।

उद्देष्य :

- भेड़ों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम।
- भेड़ों की बीमारियों की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य रक्षा एवं टीकाकरण कार्यक्रम।
- भेड़ों में नस्ल सुधार कार्यक्रम।
- भेड़ पालकों के जीवन स्तर को सुधारने में सहयोग देना।
- उत्पाद विपणन में सहयोग देना।
- नई तकनीकों का प्रषिक्षण देना।
- भेड़ पालकों को भेड़ पालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना।
- भेड़ पालकों के स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग देना।
- भेड़ों की संख्या में आ रही कमी को रोकने हेतु विभिन्न योजनाएं तैयार करना।
- हथकरघा, उद्योगों की स्थापना हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना ।
- भेड़/बकरी पालकों एवं पषु पालन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा गैर सरकारी समितियों को प्रषिक्षण देना ।
- भेड़/बकरी पालन कार्यक्रम में लगे पषु पालन एवं अन्य विभागों से समन्वय एवं सहयोग करना ।

उपरोक्त वर्णित उद्देष्यों को ध्यान में रखते हुए रु. 242.39 लाख की योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002–03 में तैयार कर केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय (भारत सरकार)

जोधपुर (राजस्थान) को प्रेषित की गई, जिसके सापेक्ष वर्ष 2003–04 में रु. 76.12 लाख षत् प्रतिषत वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम : स्वीकृत धनराषि रु. 30.00 लाख के अन्तर्गत उत्तराखण्ड की भेड़ों में मृत्यु दर में कमी लाने तथा उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भेड़ों में दवापान, चिकित्सा, बधियाकरण, टीकाकरण आदि कार्यक्रमों को सम्पादित किया जा रहा है।

2. नस्ल सुधार कार्यक्रम : प्रगतिषील भेड़ पालकों को नस्ल सुधार कार्यक्रमानुसार भेड़ों में प्रजनन हेतु निःषुल्क मेढ़ों का वितरण किया जायेगा जिसके लिए वित्तीय सहायता रु. 5.62 लाख दी जायेगी।

- प्रगतिषील भेड़ पालक को निःषुल्क एक मेंढ़ा उनकी 50 भेड़ों में प्रजनन हेतु दिया जायेगा।
- उत्तराखण्ड के भेड़ बाहुल्य वाले जनपदों में पषुपालन विभाग में स्थित भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों/भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध नर मेमनों/मेंढ़ों को प्रगतिषील भेड़ पालकों को पुस्तकीय मूल्य के आधार पर वितरित किया जायेगा तथा दिये गये मेंढ़े का बीमा रु. 2500 के आधार पर कराया जायेगा।
- भेड़ पालक से मेंढ़े का भली प्रकार से भरण–पोषण करने तथा मेंढ़े का दुरुपयोग न करने के लिए रु. 100 के नान ज्यूडिषियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र भरवाया जायेगा।
- वितरित मेंढ़ों की प्रगति, स्वास्थ्य रक्षा आदि की सूचना संकलन क्षेत्र में स्थित भेड़ विकास संस्थाओं में उपलब्ध अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा समय–समय पर सूचना संकलित कर बोर्ड को प्रेषित की जायेगी ।

3. उत्पादकता विकास कार्यक्रम : भेड़ पालकों को उनकी भेड़ों से प्राप्त होने वाली ऊन का उचित मूल्य दिलाये जाने के उद्देष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जायेगा। यह कार्य ऊन कतरन के समय ही सम्पादित किये जायेंगे। इस कार्यक्रम के लिए रु. 2.50 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

4. दवा स्नान (डिपिंग) : भेड़ों को ऊन कतरन से 20–25 दिन पूर्व नहलाया जाय, जिससे भेड़ों की ऊन की अच्छी कीमत प्राप्त हो सके। प्राप्त होने वाली ऊन साफ हो, इसके लिए रु. 1.50 प्रति भेड़ प्रोत्साहन राषि उपलब्ध करायी जायेगी।

5. ऊन की ग्रेडिंग : प्रगतिषील भेड़ पालकों को प्राथमिक ग्रेडिंग के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे विभिन्न प्रकार की ऊन अर्थात छोटी, बड़ी स्कर्टिंग आदि को अलग–अलग करते हुये ऊन में लगे वर, घास–फूस, झाडियों आदि के तिनकों को भी अलग कराया जायेगा। इस कार्यक्रम को सम्पादित करने के लिए प्रत्येक भेड़ पालक को रु. 0.50 प्रति किलोग्राम ऊन के हिसाब से प्रोत्साहन राषि दी जायेगी।

6. मषीन द्वारा ऊन कतरन : भेड़ पालकों को अपनी भेड़ की ऊन का कतरन मषीन द्वारा कराये जाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि भेड़ों में अधिक ऊन के साथ–साथ अधिक लम्बाई की ऊन प्राप्त हो सके, जिसके लिए प्रत्येक प्रगतिषील भेड़ पालक को रु. 3.00 प्रति किलोग्राम ऊन के अनुसार प्रोत्साहन राषि का भुगतान भेड़ पालकों को किया जायेगा।

7. ऊन विपणन में कार्यक्रम : भेड़ पालकों की भेड़ों से उत्पादित होनें वाली ऊन के विपणन में प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देष्य से ऊन को भण्डारित करने तथा स्थल तक परिवहन के लिए रु. 2.00 प्रति किग्रा. की दर से आर्थिक सहायता भेड़ पालकों को प्रदान की जायेगी।

8. प्रषिक्षण कार्यक्रम : 15 प्रषिक्षण कैम्पों के माध्यम से प्रति कैम्प 20 प्रगतिषील भेड़ पालकों के तीन दिवसीय भेड़ पालन प्रषिक्षण कार्यक्रम किये जायेंगे। प्रत्येक भेड़ पालक के आने–जाने व रहने का व्यय रु. 350.00 तथा साहित्य, प्राथमिक उपचार किट आदि भी वितरित किये जायेंगे। इसके लिए भारत सरकार द्वारा रु. 1.50 लाख की धनराषि प्रदान की गई है। प्रषिक्षण कार्यक्रम

के माध्यम से नवीनतम तकनीकों की जानकारी, प्रबन्धन, प्रमुख रोग, उनका निदान एवं मषीन द्वारा ऊन कतरन आदि का प्रषिक्षण समीप के ग्राम/ब्लाक स्तर पर भेड़ पालकों को प्रदान किया जायेगा।

9. स्वयं सहायता समूह तथा गैर सरकारी संस्थाओं का गठन : वित्तीय सहायता रु. 3.00 लाख के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के भेड़ बाहुल्य जनपदों में पूर्व में गठित स्वयं सहायता समूह/गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने और नये संगठन स्थापित करने के उद्देष्य से विकास खण्ड/भेड़ बाहुल्य क्षेत्रों के स्थल पर प्रषिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

10. बहुउद्देषीय सेवा केन्द्रों की स्थापना : भेड़ पालन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के उद्देष्य से भेड़ पालकों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागीय सुविधाओं के साथ–साथ विपणन की सुविधायें दिये जाने के उद्देष्य से पांच नये बहुद्देषीय सेवा केन्द्रों की स्थापना रु. 32.50 लाख के अन्तर्गत की जायेगी, जिसमें दो कमरों का निर्माण, एक कार्यालय, डीपिंग टैंक आदि का निर्माण कराया जायेगा। जनपद चमोली में नये बहुउद्देषीय सेवा केन्द्र की स्थापना ग्वालदम में की जा रही है। तथा एक बहुउद्देषीय सेवा केन्द्र, घाट में कार्यरत है।

11. भेड़/बकरी इकाई की स्थापना : जनपद चमोली में वित्तीय वर्ष 2006–07 में 30 बकरी/भेड़ पालन इकाईयों की स्थापना समाज कल्याण विभाग के सहयोग से अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों के लिये संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत विकास खण्ड दषोली के 10 प्रगतिषील भेड़ पालकों का प्रषिक्षण अल्मोड़ा में आयोजित किया गया। प्रत्येक लाभार्थी को 04 भेड़ एवं 01 मेंढा निःषुल्क दिया जायेगा तथा पशुधन के रख–रखाव एवं बीमा कराने का उत्तदायित्व लाभार्थी का होगा। विकास खण्ड घाट तथा जोषीमठ के 20 भेड़ पालकों का प्रषिक्षण अल्मोड़ा में कराने के उपरान्त प्रत्येक भेड़ पालक को 04 भेड़ें तथा 01 मेंढ़ा निःषुल्क वितरित किया जा रहा है। घाट दषोली तथा जोषीमठ से 20 बकरी पालकों को अल्मोड़ा में 19 मार्च, 2007 से प्रषिक्षण हेतु भेजा गया है तथा अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र ग्वालदम से एक–एक अंगोरा बकरा निःषुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

6.0 पशुधन प्रक्षेत्र

जनपद में पशुपालन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के उद्देष्य से पशुधन प्रक्षेत्रों की स्थापना की गई है। जनपद में स्थापित पशुधन प्रक्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :

1. विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, भराड़ीसैंण, विकास खण्ड, गैरसैंण।
2. अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, ग्वालदम, विकास खण्ड, थराली।
3. अंगोरा शषक प्रजनन प्रक्षेत्र, ग्वालदम, विकास खण्ड, थराली।
4. भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, बंगाली, विकास खण्ड घाट।
5. भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, केदारकांठा, विकास खण्ड, पोखरी।
6. भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र, पीपलकोटी, विकास खण्ड, दषोली।

1. विदेषी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, भराड़ीसैंण की स्थापना 1980–81 में 60 जर्सी गाय तथा 02 जर्सी सांड डेनमार्क से आयात की गई थी। प्रक्षेत्र पर 30 स्थानीय नस्ल की गायें संकर प्रजनन के उद्देष्य से रखी गयी थीं। प्रक्षेत्र की स्थापना का मुख्य उद्देष्य प्रक्षेत्र पर उत्पन्न बछड़ों को नैसर्गिक प्रजनन हेतु स्थानीय पशुपालकों को उपलब्ध कराना तथा अनुत्पादक गायों की नीलामी कर स्थानीय पशुपालकों को उपलब्ध कराना है। वर्तमान में प्रक्षेत्र पर 461 एकड़ भूमि उपलब्ध है। प्रक्षेत्र पर 199 पशु हैं जिनके भरण–पोषण के लिये प्रति वर्ष लगभग 1800 कुन्तल संतुलित पशु आहार एवं 300 कुन्तल गेंहू का भूसा क्रय किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु संतुलित पशु आहार की आपूर्ति आंचल पशु आहार निर्माणषाला, रुद्रपुर से रु. 590 प्रति कुन्तल की दर से की जा रही है। गेहूँ के भूसे की आपूर्ति टेंडर आमंत्रित कर की जाती है। वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु भूसा की आपूर्ति रु. 347 प्रति कुन्तल की दर पर श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, गैरसैंण द्वारा की जा रही है। प्रक्षेत्र पर उत्पादित दुग्ध की आपूर्ति दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, चमोली को की जा रही है किन्तु संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 से दूध के मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है। इस प्रकार लगभग रु. 8 लाख का भुगतान संघ के स्तर पर लम्बित है।

प्रक्षेत्र पर प्रभारी अधिकारी एवं पशु चिकित्साधिकारी का पद विगत 4–5 वर्षों से रिक्त चल रहा है जिससे प्रक्षेत्र के कार्यों को संचालित करने में कठिनाई हो रही है।

डा. रणवीर सिंह, आई. ए. एस., सचिव, पशुपालन, सहकारिता, दुग्ध एवं मत्स्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 13 नवम्बर 2006 को प्रक्षेत्र का भ्रमण कर निम्नलिखित निर्देष दिये गयेः–

1. सुरक्षा दीवार का निर्माणः– प्रक्षेत्र के पशुधन एवं अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिये मुख्य सड़क मार्ग के साथ चेन फेन्सिंग करायी जाय।
2. प्रक्षेत्र पर वर्तमान में 02 हैक्टर भूमि पर जई की फसल बोई गई है। 02 हैक्टर भूमि पर उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद के माध्यम से बहुवर्षीय चारा घासों का रोपण किया गया है। चारागाह विकास हेतु 10 हैक्टर भूमि का चयन किया गया है, जिसमें रोटेषनल ग्रेजिंग की व्यवस्था विकसित कर प्रक्षेत्र पर उपलब्ध पशुधन को हरा चारा उपलब्ध कराया जायेगा। लगभग 40 हैक्टर भूमि में बांज का जंगल है। शेष 100 हैक्टर भूमि पर राष्ट्रीय गारंटी योजना के अन्तर्गत रोटेषनल ग्रेजिंग हेतु चारागाह विकसित करने की योजना प्रस्तावित है।
3. अनुपयोगी पशुधन का निस्तारणः– प्रक्षेत्र पर उपलब्ध अनुपयोगी पशुओं के रख– रखाव के कारण व्यय भार बढ़ रहा है। अनुपयोगी पशुओं की विक्री जनपद चमोली के पशुपालकों को नीलामी द्वारा करने हेतु प्रस्तुत करने के निर्देष दिये गये।
4. अनुपयोगी उपकरण/वाहन का निस्तारणः– प्रक्षेत्र पर उपलब्ध अनुपयोगी उपकरण एवं वाहन का निस्तारण करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देष दिये गये।
5. सांडों का वितरणः– प्रक्षेत्र पर उपलब्ध 02 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 16 जर्सी एवं जर्सी क्रॉस सांडों का वितरण उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद के सहयोग से कराने के निर्देष दिये गये।
6. बछियों का वितरणः– बछिया पालन योजना के अन्तर्गत 16 बछियाओं का वितरण गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की खुली बैठक में चयनित अनुसूचित जाति के पशुपालकों को करने के निर्देष दिये गये।

7. वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माणः– प्रक्षेत्र पर उपलब्ध लगभग 500 टन जैविक खाद को सुगमता पूर्वक वर्मी कम्पोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
8. कम्पेक्ट फीड व्यक्स की आपूर्तिः– वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रक्षेत्र पर उपलब्ध पशुधनों/कम्पैक्ट फीड व्यस्क उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाय।
9. दूर संचार व्यवस्थाः– प्रक्षेत्र पर दूरसंचार व्यवस्था स्थापित करने के लिये डब्लू. एल.एल. संयोजन प्राप्त किये जाय।
10. दुग्ध विपणन व्यवस्थाः– प्रक्षेत्र पर उत्पादित दूध की विक्री निविदा आंमत्रित कर की जाय।
11. पौधालय का निर्माणः– उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकरण जलागम विकास परियोजना, गैरसैंण, के सहयोग से 02 हैक्टर भूमि पर पौधषाला स्थापित करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।
12. प्रक्षेत्र का विस्तारीकरणः– प्रक्षेत्र पर 136 मादा पशु उपलब्ध हैं। प्रक्षेत्र पर उपलब्ध भूमि के आधार पर 400 प्रजनन योग्य पशु रखे जा सकते हैं। प्रक्षेत्र की पूर्व की भांति 30 स्थानीय प्रजाति के चयनित पशु क्रय कर रखे जायें तथा प्रक्षेत्र के विस्तारीकरण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।
13. जलापूर्ति व्यवस्थाः– प्रक्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें।

सचिव, महोदय द्वारा दिये गये निर्देषों को मूर्त रूप देने के लिये कार्यवाही की जा रही है। उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद, द्वारा 10 हैक्टेयर भूमि पर चारागाह विकास हेतु योजना स्वीकृत की जा चुकी है। अन्य कार्यवाही प्रगति पर है।

2. अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, ग्वालदम, विकास खण्ड, थरालीः– प्रक्षेत्र की स्थापना वित्तीय वर्ष 1955–56 में की गई थी। प्रक्षेत्र पर स्वीकृत पशुधन की संख्या 500 है। मुख्य प्रक्षेत्र के साथ–साथ एक उप प्रक्षेत्र धुमाकुडी में स्थापित किया गया है। प्रक्षेत्र स्थापना का मुख्य उद्देष्य स्थानीय बकरी पालकों को पुस्तकीय मूल्य/अंषदान पर अंगोरा बकरे उपलब्ध करा कर नस्ल सुधार करना है। प्रक्षेत्र पर 55 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है जो कि असिंचित है। कुल 01 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण किया गया है। कुल 10 हैक्टेयर भूमि वनाच्छादित है। शेष भूमि पर चारागाह विकास कार्यक्रम संचालित किया जा सकता है। डॉ. रणबीर सिंह, सचिव, पशुधन, सहकारिता, डेरी एवं मत्स्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, द्वारा दिनांक 14 नवम्बर, 2006 को प्रक्षेत्र का भ्रमण कर निम्नलिखित निर्देष दिये गयेः–
1. प्रक्षेत्र पर उपलब्ध पशुधन अंतः प्रजनन को नियन्त्रित करने हेतु आवष्यक कार्य योजना प्रस्तुत की जाय। यदि आवष्यक हो तो प्रजनन योग्य बकरे अन्य प्रान्तों से आयात कर स्थापित किये जायें।
2. प्रक्षेत्र पर उपलब्ध आवासीय एवं अनावासीय भवनों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें।
3. प्रक्षेत्र पर उपलब्ध भूमि में चारागाह विकास हेतु कार्य योजना बनाई जाये।

सचिव, महोदय द्वारा दिये गये दिषा निर्देषों का अक्षरषः अनुपालन सुनिष्चित करने हेतु आवष्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रक्षेत्र पर अंगोरा बकरा सांड एवं प्रजनन योग्य मादा पुस्तकीय मूल्य पर प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक बकरी पालक संबधित ग्राम प्रधान अथवा क्षेत्र समिति की संस्तुति सहित प्रार्थना पत्र पशु चिकित्साधिकारी प्रस्तुत कर अंषदान/पुस्तकीय मूल्य पर बकरा सांड प्राप्त कर सकते हैं।

3. अंगोरा शषक प्रजनन प्रक्षेत्र ग्वालदम, थरालीः– प्रक्षेत्र की स्थापना 1988–89 में की गई है। प्रक्षेत्र पर स्वीकृत अंगोरा शषक की संख्या 100 के सापेक्ष मात्र 70 शषक उपलब्ध है। प्रक्षेत्र पर कुल 0.2 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है जिसमें आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण किया गया है। निकटवर्ती ग्रामों में शषक पालकों की संख्या 20–25 है तथा प्रत्येक शषक पालक के पास 2 से 4 शषक उपलब्ध हैं। अंगोरा ऊन का कुल उत्पादन होने के कारण शषक पालन

आर्थिक गतिविधि के रूप में स्थापित नहीं हो पाये हैं। हाईफीड रानीचौंरी के सहयोग से अंगोरा शषक पालन को गति प्रदान करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

4. भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, केदारकांठा, विकास खण्ड, पोखरी:– प्रक्षेत्र की स्थापना 1959 में की गई थी। प्रक्षेत्र पर स्वीकृत पशुधन संख्या 350 है तथा रैम्बुलेट, रसियन, मैरिनो षुद्ध एवं क्रॉस ब्रीड की भेड़ें रखी गयी हैं। प्रक्षेत्र समुद्र तल से 7000 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्रक्षेत्र पर 38 हैक्टेयर भूमि वनाच्छादित है। अवषेष 06 हेक्टेयर भूमि पर चारागाह विकसित किया जा सकता है। प्रक्षेत्र पर पानी, बिजली एवं दूर संचार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रक्षेत्र पर उपलब्ध भवन मरम्मत योग्य हैं। प्रक्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में 48 भेड़ पालकों के परिवार निवास करते हैं।

5. भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र बंगाली, विकास खण्ड, घाटः– प्रक्षेत्र की स्थापना 1965 में की गई थी। प्रक्षेत्र पर स्वीकृत पशुधन संख्या 500 के सापेक्ष 402 पशुधन उपलब्ध है। प्रक्षेत्र समुद्र तल से 7500 फिट की ऊंचाई पर स्थित है। प्रक्षेत्र पर रसियन, मैरिनो नस्ल एवं क्रॉस ब्रीड भेड़ें रखी गयी हैं। प्रक्षेत्र पर कुल 53.6 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है। जिसमें से 11.6 हैक्टेयर वनाच्छादित है। 02 हैक्टर भूमि पर आवासीय/अनावासीय भवन निर्मित किये गये है। 20 हैक्टेयर भूमि पर चारागाह विकसित किया जा सकता है तथा शेष 20 हैक्टेयर भूमि पथरीली है। प्रक्षेत्र पर दूरसंचार एवं विद्युत की व्यवस्था नहीं है। जलापूर्ति की व्यवस्था 02 कि.मी. दूरी पर स्थित जल स्रोत से की जा रही है।

7.0 सूकरपालन कार्यक्रम

हमारे देश भारत में प्रति वर्ष जनसंख्या में लगातार वृद्धि से कृषि योग्य क्षेत्रफल कम हो रहा है जिससे अनाजों की उपज घट रही है। साथ–साथ गरीबी और बेरोजगारी की समस्या भी विकट होती जा रही है। इस का समाधान सूकर पालन द्वारा किया जा सकता है। अच्छी नस्ल के सूकर वैज्ञानिक विधि से पाले जायें तो सर्वाधिक आर्थिक लाभ होता है।

सूकर खराब अनाज जो मनुष्य के लिये उपयोगी न हो, मांस उद्योग में बचे हुए बाई प्रॉडक्ट्स, होटलों/मैसों का अवषेष भोजन, सब्जी मंडियों से प्राप्त खराब सब्जियां, गुड़ की भेली आदि को खाकर मांस उत्पन्न करते हैं। यह बहुत षीघ्र बढ़ता है और 6 माह में लगभग 50–75 कि.ग्रा. वजन का हो जाता है। सूकर का मांस के अलावा बाल, चर्बी आदि भी उपयोगी होते हैं। सूकर के जीवित भार की तुलना में उपयोगी भाग 65 से 80 प्रतिषत तक होता है।

सूकर प्रजनन– सूकर प्रजनन में अच्छी नस्ल के नर और मादा सूकरों में ही प्रजनन करना चाहिये जिससे अच्छी नस्ल की संतति उत्पन्न हो। अच्छी नस्ल की सूकरियों में प्रथम बार गर्मी में आने के लक्षण 6 माह में प्रकट हो जाते हैं। यह लक्षण दो दिन से तीन दिन तक मादा सूकरियों में रहते हैं। यदि सूकरियां किन्हीं कारणों से नर सूकर से इस बीच गाभिन नहीं होती हैं तो फिर ठीक 21 दिन बाद दुबारा गर्मी में आती है।

सूकरियां प्रायः दो साल में वयस्क हो जाती हैं परन्तु उससे अधिक से अधिक बच्चे लेने के लिये उसे आठ माह या नौ माह में अवष्य नर से गर्भित करा देना चाहिये जिससे वह एक साल में प्रथम ब्यांत में औसतन 9 से 12 बच्चों को जन्म दे सके। सामान्य तौर पर मादा सूकरियों का गर्भ काल 112 दिन होता है। अच्छी नस्ल की सूकरियों की ठीक प्रकार खिलाई–पिलाई तथा बीमारी की रोकथाम की जाये तो सूकरियों से एक साल में दो ब्यांत तक लिये जा सकते हैं और 14 माह में मादा सूकरी दो बार बच्चे देती है। अधिक से अधिक बच्चे लेने के लिये मादा सूकर को माह अगस्त–सितम्बर में नर से गर्भित करा दिया जाना चाहिए जिससे माह दिसम्बर तथा जनवरी में वे ब्या जावें। इसी प्रकार फिर दुबारा उसी वर्ष फरवरी तथा मार्च में गर्भित करा कर जुलाई तथा अगस्त में दूसरी ब्यांत ली जा सकती है। मादा सूकरियों का अच्छी खिलाई पर अधिक ध्यान देने के साथ–साथ उसे हल्का व्यायाम भी देना चाहिए जिससे उसमें मोटापा नहीं चढ़ पाए। मोटापा सूकरियों को बांझ बना देता है। अधिक बच्चे देने वाली सूकरियों के पेट के बाहरी भाग में कम से कम 12 से 14 तक की संख्या में छोटे–छोटे थन होने चाहिये जो एक दूसरे से बराबर की दूरी पर दो लाइन में पेट के ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक स्थित होते हैं। सूकरियों को ब्याने के पन्द्रह दिन पूर्व अलग बाड़े में रखना चाहिये। सूखा और स्वच्छ घास–फूस व पुआल की 6'' मोटी बिछावन होनी चाहिये, जहाँ स्वच्छ वायु व षुद्ध जल उपलब्ध हो तथा ब्याने वाली सूकरियों को घूमने–फिरने की सुविधा हो। बच्चे देते समय एक व्यक्ति सूकर पालक का रहना अत्यंत आवष्यक है जिससे नवजात बच्चों को दूध पिलाने में सहायता की जा सके तथा बच्चों की दुर्घटना से रक्षा की जा सके। मादा के ब्याते ही बच्चे की नाल तुरन्त दूर अन्य स्थान पर गाड़ देनी चाहिये जिससे उसे सूकरियां न खा सकें। नवजात षिषुओं को मां का प्रथम दूध (खीष) अवष्य देना चाहिये जिससे वे बीमारी से बचे रहें और स्वस्थ रहें। यदि उत्पन्न नवजात षिषुओं की संख्या इतनी अधिक हो कि मां का दूध नवजात षिषुओं को पर्याप्त नहीं हो पाता है तो उन्हें अन्य सूकरियों अथवा गाय का दूध पिलाना चाहिये। बच्चों को आठ से दस सप्ताह तक मां के दूध पर रखा जाना चाहिये। दूध छुड़वाने से पूर्व उन्हें 'स्वाईन फीवर' संक्रामक रोग से बचाव का टीका अवष्य लगवा देना चाहिये। दूध छुड़वाने पर बच्चों को स्वच्छ पानी, राषन तथा मुलायम हरा चारा दिन में तीन बार देना चाहिये। दूध छुड़वाने के लगभग एक सप्ताह बाद मादा सूकरियां गर्मी में आ जाती हैं। तब उन्हें पुनः गर्भित कराया जा सकता है।

सूकर बाड़े– सूकर बाड़े ऐसे स्थान पर बनाने चाहिए जहां पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाष हो, षुद्ध वायु हो और फैक्ट्री, गन्दे नालों से दूर हो, पर आने–जाने का मार्ग सुगम हो। प्रत्येक बाड़े में वयस्क सूकर के लिये 3 वर्ग मीटर जगह तथा 5 वर्ग मीटर का सूकरियों का प्रजनन कक्ष अलग–अलग बना होना चाहिये। फर्ष सीमेन्ट, कंक्रीट से बनाना चाहिये। छत 8 से 9 फीट

ऊंची तथा उसमें एक फुट का ढ़लान होना चाहिये। छत घास–फूस, खपरैल, टिन, एस्बेस्टस आदि जो सुलभ हों, से बनायी जा सकती है। चारों ओर खिड़कियां डेढ़ से दो फीट फर्ष के ऊपर मोटी लोहे की जाली से बनी होनी चाहिये जिससे षुद्ध वायु तथा सूर्य का प्रकाष बाड़े में आता–जाता रहे और फर्ष सूखा रहे। एक ओर बाहर जाने के लिये 4 ग 5 फीट का दरवाजा होना चाहिये जो आंगन में खुलता हो। आंगन कम से कम बाड़े के बराबर होना चाहिये, जो चारों ओर से ऊँची दीवार से घिरा हो तथा ऊपर खुला हो। उत्तराखण्ड में 17 वीं राष्ट्रीय पशुधन संगणना–2003 के अनुसार 32,712 सूकर प्रजाति के पशु उपलब्ध है।चमोली जनपद में सूकर प्रजाति के कुल 374 पशु पशुधन संगणना–2007 के अनुसार 32,712 सूकर प्रजाति के पशु उपलब्ध है।चमोली जनपद में सूकर प्रजाति के कुल 374 पशु गोपेश्वर, कर्णप्रयाग एवं गौचर के उप नगरीय क्षेत्रो तक सीमित है। सूकर प्रजाति के पशुओ को पालने का कार्य मुख्य रूप से वाल्मिक समुदाय के द्वारा किया जाता है। समस्त सूकर पालक परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है। किन्तु उप नगरीय क्षेत्रो में निवास करने के कारण सूकर पालको को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ नही मिल पाता है। पशु पालन विभाग द्वारा सूकर पालन योजनाऐ संचालित की जा रही है। जिनमें सूकर पालको का चयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है तथा चार सूकरी तथा 01 सूकर बाईट याक शायर नस्ल का निःषुल्क उपलब्ध कराया है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में चमोली जनपद के उप नगरीय क्षेत्रो में सूकर पालन योजना संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

8.0 कुक्कुट विकास कार्यक्रम

जनपद में कुक्कुट विकास को गति प्रदान करने के लिये सघन कुक्कुट विकास परियोजना संचालित की जा रही है। परियोजना मुख्यालय कर्णप्रयाग में पशु चिकित्सालय परिसर में स्थापित किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 30 कुक्कुट पालकों हेतु 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं तथा बैक्यार्ड पद्धति से पालने के लिये 25 चूजे निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।

क्र0सं0	प्रशिक्षण कार्यक्रम	वितरित किये गये चुजो की संख्या

बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना

वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को 50 कुक्कुट चूजे निःशुल्क उपलब्ध करा कर 321 कुक्कुट इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विकास खण्डवार कुक्कुट इकाइयों के लक्ष्य निम्न प्रकार है :

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	इकाइयों की स्थापना
1.	जोशीमठ	17
2.	दशोली	40
3	घाट	30
4	कर्णप्रयाग	60
5	पोखरी	37
6	नारायणबगड़	32
7	थराली	30
8	देवाल	30
9	गैरसैंण	45
	योग	321

योजना का स्वरूप– जनपद के अनुसूचित जाति व जनजाति के चयनित लाभार्थियों को कुक्कुट पालन द्वारा आय के सस्ते व सुलभ स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना शुरू की गई है। एक ग्राम से बीस लाभार्थी उक्त योजना के लिये चयनित किये गये और प्रत्येक लाभार्थी को पचास क्रॉयलर चूजों (एक दिन आयु वाले) की एक यूनिट पशुपालन विभाग के श्यामपुर (ऋषिकेश) स्थित हैचरी से उपलब्ध करायी गई है।

योजना की अवधि– वित्तीय वर्ष 2006–2007

योजना का कार्यक्षेत्र– जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड के अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य ग्राम।

योजना का वित्तीय स्वरूप– योजना में शतप्रतिशत लाभार्थियों को अनुदान दिया जायेगा। तत्पश्चात दो माह बाद लाभार्थी प्राप्त आय से चूजे क्रय कर क्रमिक कुक्कुट पालन व्यवसाय अपनायेंगे।

योजना से स्वरोजगार सृजन– प्रति ग्राम बीस लाभार्थी ।

लाभार्थी का चयन– प्रत्येक ग्राम में लाभार्थी चयन हेतु निम्न समिति होगी–

1. ग्राम प्रधान– अध्यक्ष,
2. ग्राम विकास अधिकारी सदस्य,
3. पशुधन प्रसार अधिकारी सदस्य सचिव।

प्रति यूनिट व्यय–

(1) 50 क्रॉयलर चूजे / रु.10 प्रति चूजा		रु. 500.00
(2) चूजों का लाभार्थी के द्वार तक ढुलान		रु. 100.00
(3) तार–बाड़ तैयार करने हेतु सहायता		रु. 200.00
(4) दो सप्ताह तक चूजा आहार (20ग्रा. प्रति चूजा 50ग14) कुल 14 कि.ग्रा. आहार दर रु.10.00 प्रति कि.ग्रा.	रु.140.00	
(5) अन्य व्यय		रु. 60.00
योग–	**रु.1000.00**	

इस प्रकार कुक्कुट पालन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप 32130= 351 बेरोजगार कुक्कुट पालकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

9.0 मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

पशुपालन विभाग में सेवारत कार्मिकों के विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, पशुपालक गोष्ठियों तथा कार्य शालाओं का आयोजन किया जाता है।

1. पशु चिकित्साधिकारी,
2. पशुधन प्रसार अधिकारी/वेटरिनरी फार्मसिस्ट,
3. पशुपालक

मानव संसाधन विकास हेतु कार्यक्रम संचालित करना पशुपालन विभाग का महत्वपूर्ण दायित्व है। प्रान्तीय पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के अधिकारियों को पशु चिकित्सा व्यवसाय के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद का गठन किया गया है। उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद का मुख्य दायित्व पशु चिकित्सावदों का पंजीकरण करना तथा उनके व्यवसायिक हितों की रक्षा करना है। उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। पशु चिकित्सावदों की क्षमता विकास के लिये राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता के लिये नामित किया जाता है।

1. बर्ड फ्लू की कार्यशाला – पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, पंत नगर।
2. बर्ड फ्लू की कार्यशाला – पशुलोक,ऋषिकेश, देहरादून।
3. पशु रोग नियन्त्रण कार्यक्रम– पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, पंत नगर।
4. बर्ड फ्लू की कार्यशाला – जिला पंचायत सभागार, गोपेश्वर।
5. पशु प्रजनन कार्यशाला– पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, पंत नगर।

जनपद स्तर पर विभिन्न विकासोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जनपद एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों को नामित किया जाता है। उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रम में दिनांक 18 से 23 दिसम्बर 2006 में डॉ. पी. एस. यादव, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा सहभागिता की गई।

पशु प्रजनन के क्षेत्र में भ्रूण प्रत्यारोपण प्रशिक्षण केन्द्र ब्रीडिंग (गुजरात) तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड प्रशिक्षण केन्द्र जालंधर तथा केरल पशुधन विकास परिषद में पशु चिकित्साधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है।

पशु चिकित्सा फार्मसिस्ट, पशु चिकित्सालयों पर पदस्थ अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्मिक है तथा समस्त औषधियों, टीके एवं उपकरण पंजिकाओं आदि के रखरखाव का उत्तरदायित्व पशु चिकित्सा फार्मसिस्ट के द्वारा किया जाता है। जनपद चमोली में तैनात पशु चिकित्सा फार्मसिस्टों को तीन माह का प्रशिक्षण पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक, विश्व विघालय पंतनगर में निम्न तालिका के अनुसार आयोजित किया गया है

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण अवधि
1	श्री नारायणसिंह रावत	27.12.06 से 27.3.07
2	श्री गब्बरसिंह कठैत	1.4.07 से 30.6.07
3	श्री आर. एस. राणा	1.4.07 से 30.6.07
4	श्री बी. के. रावत	1.4.07 से 30.6.07
5	श्री एल. एन. नैनवाल	1.4.07 से 30.6.07
6	श्री आर. पी. जोशी	1.7.07 से 30.9.07
7	श्री मक्खन लाल	1.7.07 से 30.9.07
8	श्री बी. एस. रावत	1.7.07से 30.9.07

पशुधन प्रसार अधिकारियों को मुख्य रूप से कुक्कुट पालन, तथा कृत्रिम गर्भाधान के प्रशिक्षण हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण संस्थाओं में नामित किया जाता है। प्रांतीय पशु चिकित्सा

सेवा नियमावली 1998 के अनुसार प्रांतीय पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग की कुल संख्या के 2 प्रतिशत पद पशुधन प्रसार अधिकारियों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पशुधन प्रसार अधिकारी से पशु चिकित्साधिकारी के पद पर प्रोन्नति के पूर्व बी. बी. एस. सी. एण्ड ए. एच. का 5 वर्षीय पाठ्यक्रम सरकारी व्यय पर सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद चमोली से किसी पशुधन प्रसार अधिकारी का चयन नहीं किया गया है। सांड सेवक, ड्रेसर, वैक्सीनेटर, इन्सेमिनेटर आदि हेतु लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम पशुधन विकास परिषद द्वारा आयोजित किये जाते हैं। पशुपालकों के लिये लघु अवधि के कार्यक्रम पशु पालन एवं चारा विकास के क्षेत्र में उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। भेड पालकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से उत्तरा खण्ड भेड़ एवं ऊन विकास परिषद द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

पशु चिकित्साधिकारियों की क्षमता विकास एवं स्नात्तकोत्तर पाठयक्रमों को सरकारी व्यय पर पूरा करने के लिये शासनादेश संख्या 26/XV/पशुपालन– 13/2005, देहरादून, दिनांक 23 अप्रैल, 2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नामित किया जाता है। डॉ. विपाशा, पशु चिकित्साधिकारी, गोपेश्वर ने अवैतनिक अवकाश पर स्नात्तकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम, भारतीय अनुसंधान संस्थान, बरेली से सितम्बर, 2006 में पूरा किया है।

10.पशु कल्याण कार्यक्रम

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम? 1960 एवं तद्विषयक यथा संशोधित नियमो का उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से 23 नवम्बर, 2004 को उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, एक केन्द्रीय अधिनियम है तथा अधिनियम की धारा (4) के अन्तर्गत भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना की गई है। वर्तमान में परिषद के अध्यक्ष तथा सचिव डा. आर. बाला सुब्रमन्यन है। डॉ. राजीव गुप्ता आई.ए. एस. परिषद की कार्यकारिणी के सदस्य हैं।

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार/पशु कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं। डॉ. आर. पी. बहुगुणा, उत्तराखण्ड पशु कल्याण परिषद के सचिव हैं। भारतीय पशु कल्याण परिषद, चेन्नई द्वारा निम्नलिखित कार्य संचालित किये जा रहे हैं :

1. वर्तमान में जनपद चमोली में भारतीय पशु कल्याण परिषद के सहयोग के द्वारा डॉ. योगानन्द, सगर आश्रम, गोपेश्वर में पशु शरणस्थली का निर्माण किया जा रहा है।
2. डॉ. योगानन्द द्वारा संचालित पशुशरण स्थली में पशु उपलब्ध हैं।
3. पीपल फार एनीमल्स (P F A) के वित्तीय सहयोग से विकास खण्ड थराली (चमोली) में पशु शरणस्थली संचालित की जा रही है। जिसमें पशु हैं।
4. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा–32 एवं 34 के अन्तर्गत मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारियों को पशुओं पर किये जा रहे अपराध के मामले में पुलिस की भांति तलाशी एवं अधिग्रहण हेतु अधिकृत किया गया है।
5. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों एवं प्रभागीय वनाधिकारियों को जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
6. जनपद स्तर पर संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पशु क्रूरता निवारण समितियों का गठन किया गया है।
7. दूरभाष संख्या 0135–2672588 पर पशु सहायता सेवा (Animal Helpline Services) शुरू की गई है। भारतीय पशु कल्याण परिषद तथा उत्तराखण्ड पशु कल्याण परिषद से निम्न पतों पर सम्पर्क किया जा सकता है :

सचिव
भारतीय पशु कल्याण परिषद,
13/1 सीवार्ड रोड, बाल्मीकि नगर
तिरूवनमियूर, चेन्नई–600041
तमिलनाडु (भारत)
सचिव
उत्तरांचल पशु कल्याण परिषद,
जोगीवाला चौक, मसूरी बाईपास रोड, नत्थनपुर,
देहरादून–248001
दूरभाष– 0135–2672588

पशु कल्याण परिषद के उद्देश्य

1. पशुओं के प्रति निर्दयता के निवारण के लिये राज्य सरकार को परामर्श देना।
2. पशुओं के प्रति बरती जा रही क्रूरता को स्थानीय प्रशासन के सहयोग से रोकना।
3. पशुक्रूरता निवारण के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं के पंजीकरण में सहयोग करना।
4. भारतीय पशु कल्याण परिषद, चेन्नई द्वारा राज्य में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का निरीक्षण करना।
5. भार वाहक पशुओं के कल्याण हेतु पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना।
6. पशु परिवहन के दौरान पशु क्रूरता निवारण हेतु नियम बनाना।
7. पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना दिये जाने से रोकने के प्रयोजनार्थ स्थापित संस्थाओं के साथ सहयोग करना।
8. पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराना।

पशु कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु पशु पालन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। वर्तमान में डॉ. आर. पी. बहुगुणा संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) परिषद के सचिव हैं। पशु क्रूरता निवारण समिति नियम, 2000 की व्यवस्थाओं के अनुरूप जनपद में जिलाधिकारी, चमोली की अध्यक्षता में जिला पशु क्रूरता निवारण समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक प्रत्येक चार माह के अंतराल पर आयोजित की जाती है। समिति की पिछली बैठक दिनांक : 21 नवम्बर, 2006 को श्री शैलेश बगोली, मुख्य विकास अधिकारी, चमोली की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी जिसमें निम्न प्रस्ताव पारित किए गए :

1. अनधिकृत पशु परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु समस्त उप जिलाधिकारियों एवं पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिये जाये।
2. जिला पशु क्रूरता निवारण समिति के पंजीकरण कराया जाये।
3. काँजी हाउस के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

नगरीय एवं उपनगरीय क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्या अन्य जनपदों की भांति चमोली जनपद में भी विद्यमान है। आवारा पशुओं की समस्या मुख्य रूप से गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, गौचर एवं जोशीमठ नगरीय क्षेत्रों में विद्यमान है। पशु अतिचार अधिनियम, 1871 के अन्तर्गत स्थानीय निकाय/नगर पालिकाओं को काँजी हाउस स्थापित करने तथा उनका रख–रखाव करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। जनसंख्या के बढते दबाव के कारण नगरीय क्षेत्रों में भूमि की कमी को देखते हुये काँजी हाउस की व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। जनपद चमोली में श्री योगानन्द, सदस्य, जिला पशु क्रूरता निवारण समिति द्वारा सगर आश्रम में नगर पालिका के सहयोग से काँजी हाउस के संचालन हेतु सहमति प्रदान की गई है। काँजी हाउस में पशुओं को अधिकतम 15 दिनों तक रखा जा सकता है। तदोपरान्त नीलामी के द्वारा बिक्री करने का प्राविधान है अथवा जिलाधिकारी के मन्तव्य के अनुसार स्थानीय गौशालाओं में पशुओं को हस्तान्तरित किया जा सकता है।

गौशाला अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जनपद में गौवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये गौशालाएं स्थापित करने तथा गौशालाओं के पंजीकरण का प्राविधान है। विकास खण्ड दशोली में पंजीकृत अनसूया गौशाला है। विकास खण्ड थराली में एक गैर सरकारी पंजीकृत गौशाला है जो कि People for Animals द्वारा मान्यता प्राप्त है। पशु पालक अनुपयोगी पशुओं को स्थापित गौशालाओं में भेज सकते हैं। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नयी गौशालाएं स्थापित कर पंजीकरण हेतु आवेदन निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड को स्थानीय पशु चिकित्साधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, पशु अतिचार अधिनियम एवं गौशाला अधिनियम के अन्तर्गत विस्तृत जानकारी के लिये निकटवर्ती पशु चिकित्सालयों में सम्पर्क करें।

11. भार वाहक पशु विकास कार्यक्रम

पर्वतीय क्षेत्र में सडक परिवहन का विकास नगरीय क्षेत्रो तक है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की आपूर्ति तथा ढांचागत विकास की आवश्यकताओं के लिए भवन निर्माण सामग्री तथा दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति अश्व एवं खच्चर प्रजाति के पशुओं के द्वारा की जाती है। झब्बू तथा याक भी सीमान्त क्षेत्रों में भार वाहक पशु के रूप में कार्य करते हैं। भार वाहक पशु ग्रामीण परिवेश में उत्पादित बेमौसमी सब्जी, तथा फलों को पहुंच मार्ग तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में चमोली जनपद में याक प्रजनन केन्द्र, लाता(जोशीमठ) में संचालित किया जा रहा है जिसमें 03 मादा तथा 02 नर याक उपलब्ध हैं। वर्तमान में कोई भी पशु पालक याक नही पालता है।

जनपद में वर्ष 2003 की पशु गणना के आधार पर 1246 घोडे, 3762 खच्चर तथा 07 गदर्भ सांड उपलब्ध हैं। देवाल, थराली, जोशीमठ और घाट विकास खण्डों में भार वाहक पशुओं पर निर्भरता सबसे अधिक है। मुन्दोली (देवाल) क्षेत्रान्तर्गत गदर्भ सांड उपलब्ध करा कर खच्चर उत्पादन कार्य किया जा रहा है। अश्व प्रजनन एवं खच्चर उत्पादन सहकारी समिति, गठित कर व्यवसायिक स्तर पर खच्चर प्रजाति के पशुओं की आपूर्ति स्थानीय रूप से की जा सकती है। खच्चर पालको के स्वयं सहायता समूह बनाकर वित्त पोषण किया जा सकता है। वर्तमान में खच्चर प्रजाति के पशुओं की आपूर्ति नजीबाबाद, मेरठ, हापुड़ आदि क्षेत्रों के पशु पालकों के द्वारा की जाती है। गदर्भ सांड की आपूर्ति अश्व प्रजनन प्रक्षेत्र, पशुलोक (ऋषिकेश) तथा राष्ट्रीय अश्व प्रजनन संस्थान, हिसार (हरियाणा) से की जा सकती है। जोशीमठ विकास खण्ड में हेमकुण्ड यात्रा के दौरान खच्चर/अश्व प्रजाति के पशुओं की बहुत मांग रहती है। पाण्डुकेशर में पशु पालन विभाग, चमोली तथा ब्रुक इन्टरनेशनल,लन्दन, (गैर सरकारी संस्था) के सहयोग से प्रति वर्ष अश्व चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है। जनपद में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन थराली एवं मुन्दोली में कर भार वाहक पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा की जा सकती है।

पशुओं को पैदल परिवहन नियम, 2000 के अन्तर्गत भार वाहक पशुओं के लिये भार–ढुलान तथा दूरी तय करने के मानक निर्धारित किये गये हैं जो कि निम्न प्रकार हैः–

पशु की जाति	तय की गई अधिकतम दूरी/दिन/घंटा	चले दिनों /घंटों की अधिकतम संख्या	विश्राम की अवधि (अंतराल)	तापमान की रेंज (अधिकतम न्यूनतम)
गाय/बैल	30 कि.मी. प्रति दिन 4 कि.मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक 2 घंटे बाद पानी के लिये तथा 4 घंटे बाद भोजन के लिये	12 डिग्री सेन्टीग्रेट से 30 डिग्री सेन्टीग्रेड तक
भैंस	25 कि.मी. प्रति दिन 3 कि.मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक 2 घंटे बाद पानी के लिये तथा 4 घंटे बाद भोजन के लिये	12 डिग्री सेन्टीग्रेट से 30 डिग्री सेन्टीग्रेड तक
गाय और भैंस का बछड़ा	16 कि.मी. प्रति दिन 2.5 कि.मी. प्रति घंटा	6 घंटे	प्रत्येक 1.5 घंटे बाद पानी के लिये और प्रत्येक 6 घंटे बाद भोजन के लिये।	15 डिग्री सें. 30 डिग्री सें.
घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधे	45 कि.मी. प्रति दिन 6 कि.मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक 3 घंटे बाद पानी के लिये तथा प्रत्येक 6 घंटे बाद भोजन के लिये	12 डिग्री सें. 30 डिग्री सें.
अल्प वयस्क	25 कि.मी. प्रति दिन	6 घंटे	प्रत्येक 2 घंटे बाद	15 डिग्री सें.

	4 कि.मी. प्रति घंटा		पानी के लिये तथा प्रत्येक 4 घंटे बाद भोजन के लिये	25 डिग्री सें.
बकरियां तथा भेड़	30 कि. मी. प्रति दिन तथा 4 कि. मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक 2 घंटे बाद पानी के लिये तथा 4 घंटे बाद भोजन के लिये	12 डिग्री सें. 30 डिग्री सें.
मुनमुन और मेमने	16 कि.मी. प्रति दिन 2.5 कि.मी. प्रति घंटा	6 घंटे	प्रत्येक डेढ़ घंटे बाद पानी के लिये तथा 3 घंटे बाद भोजन के लिये	15 डिग्री सें. 25 डिग्री सें.
सूकर	15 कि.मी. प्रति दिन तथा 2 कि. मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक डेढ़ घंटे बाद पानी के लिये तथा 3 घंटे बाद भोजन के लिये	12 डिग्री सें. 25 डिग्री सें.
घंटे/यात्रा अवधि	10 कि.मी. प्रति दिन 1.5 कि.मी. प्रति घंटा	6 घंटे	प्रत्येक डेढ़ घंटे बाद पानी के लिये तथा 3 घंटे बाद भोजन के लिये	15 डिग्री सें. 25 डिग्री सें.

12. विधिक पशु चिकित्सा सेवाएं

विधिक पशु चिकित्सा सेवाऐं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद चमोली में 22 पशु चिकित्सालयों की स्थापना की गई है। प्रत्येक पशु चिकित्सालय पर पदस्थ पशु चिकित्साधिकारी को अपने विधिक कार्य क्षेत्र की सीमा में विधिक पशु चिकित्सा सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये

अधिकृत किया गया है। विधिक पशु चिकित्सा सेवाओं में पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पशु धन की क्षति की स्थिति में पशु शव विच्छेदन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना सम्मिलित है। जनपद में स्थापित 22 पशु चिकित्सालयों के कार्य क्षेत्र का विवरण ग्राम पंचायतवार संलग्नक में उपलब्ध है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत वन्य जीवों की मृत्यु की स्थिति में पशु शव विच्छेदन कराया जाना अनिवार्य है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत विकास खण्ड थराली एवं दशोली में सर्वाधिक पशु शव विच्छेदन प्रमाण पत्र पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा जारी किये जाते हैं। वन्य जीवों के द्वारा पशु पालकों के पशु धन की क्षति की स्थिति में भी संबंधित पशु चिकित्साधिकारी द्वारा पशु पालक के अनुरोध पर पशु शव विच्छेदन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है जिसके आधार पर वन विभाग द्वारा पशुपालकों को वन्य जीवों द्वारा पशु धन की क्षति की प्रति पूर्ति की जाती है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत विधिक पशु चिकित्सा सेवाओं (Vetero – legel services) के लिये पशु चिकित्साधिकारी को विषय विशेषज्ञ के रूप में न्यायालय में उपस्थित होकर राय व्यक्त करने तथा अभिमत देने हेतु प्राधिकृत किया गया है। पशुओं की पहचान करने के लिये भी भारतीय पुलिस संहिता के अन्तर्गत पशु चिकित्साधिकारियों को अभिमत व्यक्त करने हेतु न्यायालय द्वारा बुलाया जाता है। पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा प्रदत्त पशु चिकित्सा सेवाऐ उपभोक्ता फोरम एवं लोक अदालत की परिधि में सम्मिलित की गई है। जनपद में विधिक पशु चिकित्सा सेवाओं के लम्बित प्रकरणों पर कार्यवाही की जा रही है।

पशु पालन विभाग में पदस्थ पशु चिकित्सा अधिकारी, अपने विधिक कार्य क्षेत्र की सीमा में संचालित विभिन्न पशु पालन व्यवसाय से संबधित योजनाओं के क्रियान्यवयन के लिये पशु स्वास्थ्य/पशु शव विच्छेदन प्रमाण पत्र जारी करते हैं। राष्ट्रीकृत बैंक एवं अन्य सूक्ष्म कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं, जिनमें ऋण लेकर पशु क्रय किये जाने का प्राविधान है, में पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एक संवैधानिक अनिवार्यता है। पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र रु. 50.00 मात्र शुल्क भुगतान कर पशु चिकित्सालय पर प्राप्त किया जा सकता है। समस्त पशु चिकित्साधिकारी अपने विधिक कार्य क्षेत्र में पशु स्वास्थय प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये अधिकृत है। छोटे पशु यथा भेड, बकरी, सूकर के लिये स्वास्थय प्रमाण पत्र शुल्क रु. 25.00 की दर से जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। पशु स्वास्थय प्रमाण पत्र के आधार पर पशु का मूल्यांकन तथा पहचान की जाती है। जो कि बीमा करने तथा बीमा क्लेम के निर्धारण में सहायक होता है। जनपद में कार्यरत पशु चिकित्साधिकारियों की सूची संलग्नक में उपलब्ध है। पशु पालकों को सलाह दी जाती है, कि बीमित पशु की मृत्यु हो जाने पर निकटवर्ती पशु चिकित्साधिकारी को तुरन्त सूचित करें तथा पशु शव विच्छेदन करवायें। बिना पशु शव विच्छेदन प्रमाण पत्र के बीमा कम्पनी दावा निस्तारण नहीं करती है जिससे पशु पालक को पशु बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में स्वयं सहायता समूहों को वर्ष 2006–07 में वित्त पोषित किया गया है जिसमें डेरी, खच्चर पालन, बकरी/भेड़ पालन व्यवसाय शामिल है। पशु पालन विभाग का यह दायित्व है कि राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पशु क्रय योजनाओं हेतु पशु स्वास्थ्य/पशु शव विच्छेदन प्रमाण पत्र जारी किये जाये।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत किसी वन्य जीव की हत्या/अस्वाभाविक मृत्यु होने की स्थिति में स्थानीय पशु चिकित्साधिकारियों से मृत्यु के कारण जानने के लिये शव विच्छेदन प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। पशु चिकित्साधिकारी का मन्तव्य एवं मृत्यु के कारण संबंधी निर्णय अन्तिम माना जाता है। जनपद में तैनात पशु चिकित्साधिकारी, वन्य जीव–जन्तुओं की असमय मृत्यु का प्रमाण पत्र वन विभाग के अनुरोध पर जारी करते हैं।

गौ वध निवारण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जनपद में पदस्थ पशु चिकित्साधिकारी गौ हत्या के मामलों में मांस का नमूना एकत्र कर फॉरेन्सिक जांच के लिये वेटरीनरी फॉरेन्सिक

प्रयोगशाला, मथुरा अथवा रसायनिक परीक्षण प्रयोगशाला, आगरा को पुलिस विभाग के सहयोग से प्रेषित करते हैं। जनपद में गौ वध निवारण अधिनियम, के अन्तर्गत कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है जबकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में प्रति वर्ष 15 से 20 पशुओं के शव विच्छेदन प्रमाण पत्र तथा लगभग 3500 पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं।

उत्तराखण्ड गौषाला अधिनियम, 2002

उत्तराखण्ड में गौषालाओं के अच्छे प्रबन्ध और नियन्त्रण की व्यवस्था करने के लिये उत्तराखण्ड गौषाला अधिनियम, 2002 बनाया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत गौषाला का तात्पर्य ऐसे धमार्थ संस्था से है, जो पशु रखने, उनका अभिजनन करने,पालन या भरण–पोषण करने में प्रयोजन के लिये, अथवा दुर्लभ, बूढे, अषक्तया रोगी पशुओं को भर्ती करने और उनका उपचार करने के प्रयोजन से स्थापित की गयी हों। इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त निबन्धक राज्य में संचालित गौषालाओं का पंजीकरण करेगा। निबन्धक को वही अधिकार होंगे, जो निम्नलिखित विषयों के संबध में किसी वाद पर विचार करते समय कोर्ट आफ सिविल प्रासिजर, 1908 (एक्ट सं. पांच 1908) के अधीन किसी न्यायालय में चिन्हित होते हैं :

1. किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर बयान देना।
2. कोई लेख प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना।
3. किसी साक्षी का बयान लेने या लेख की जांच करने के लिये कभी जानकारी करना।
4. एसी अन्तरिम आज्ञाएं देना जो न्याय की दृष्टि से आवष्यक हों।

जनपद चमोली में इस अधिनियम के अन्तर्गत, अनसूया गौषाला, पंजीकृत है।

उत्तराखण्ड गौवध निवारण अधिनियम, 2002

उत्तराखण्ड में गाय और गौवंष के प्रतिबन्ध तथा निवारण करने के उद्देष्य से गौ वध निवारण अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई व्यक्ति उत्तरांचल राज्य में किसी स्थान में–

(क) गाय का अथवा

(ख) सांड या बैल का, जब तक कि उसने उस क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी से जहां कि उस सांड या बैल का वध किया जाय, उसके संबंध में यह लिखित प्रमाण–पत्र कि वह वध करने योग्य है, प्राप्त न कर लिया हो, न तो वध करेगा, न वध करवायेगा, न उसे वध के लिये प्रस्तुत करेगा या करवायेगा। भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि से कोई बात हो अथवा कोई प्रतिकूल रूढ़ि अथवा प्रथा हो।

गौ मांस बेचने पर प्रतिबन्ध

कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में गौ मांस अथवा तत्जन्य पदार्थ न बेचेगा, न परिवहन करेगा न बेचने अथवा परिवहन के लिये प्रस्तुत करेगा और न ही बिकवायेगा अथवा परिवहन करवायेगा। कोई भी व्यक्ति, यदि अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करे, अथवा उल्लंघन का प्रयास करे तो ऐसे अपराध का दोषी होगा, जो कठिन कारावास के दण्ड, जो दो वर्ष तक का हो सकता है। अथवा अर्थदण्ड द्वारा जो रु. 1000 तक का हो सकता है, अथवा दोनों द्वारा दण्डनीय होगा। इसके लिए निम्न अधिनियम भी मौजूद है :–

गौ वध निवारण अधिनियम, 1955

कैटिल ट्रेसपास अधिनियम, 1871

काँजी हाउस, 1954 (काँजी हाउस का निर्माण सगर में प्रस्तावित है)

अतः समस्त पशु पालकों के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि उन्हें जनपद में विधिक पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से स्थापित पशु चिकित्सालयों के कार्यक्षेत्र की जानकारी हो। जनपद में स्थापित पशु चिकित्सालय तथा उनके कार्य क्षेत्रांतगर्त ग्राम पंचायतों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.	पशु	ग्राम पंचायत

	चिकित्सालय	
1	गैरसैंण	गैरसैंण, धारगैड़, ग्वाड़, सलियाणा, मरोड़ा, परवाड़ी, सारकोट, फरकण्डे, घण्डियाल मल्ला घण्डियाल, रामणा मल्ला, गांवली, मथकोट, पज्याणा, डुंग्री, अन्द्रपा, सानियाणा, सिलंगी, रिखोली।
2	मैहलचौंरी	स्यूणीमल्ली, आगर, जिनगैड, मैहलचौरी, स्यूणी तल्ली, मैखोली, सिलंगा, कण्डारीखोड, गोगना मल्ला, कुनीगाड मल्ली, कोठा, कल्याण तल्ला, बज्याणी, लखोड़ी, कोयलख, सुमेरपुर, रोहिड़ा, कुणखेत, हरगढ़गोल, बीना, पंचाली, मालकोट, कोलानी कालीमाटी, टेटुड़ा, नैणी।
3	बछुवाबाण	बछुवाबाण, कोट, कलचुण्डा, कुसरानी, लामबगड़, झूमाखेत, उत्तरी दिवाधार, कण्डारी खोड़, जलचौंरा मल्ला, नैल, देवपुरी।
4	आदिबद्री	पुनगांव, मालसी, बैडी तल्ली, सिराणा, चौरण, प्यूरा, भटग्वाली, जखेट, किमटा, सिलपाटा, आदिबद्री, खालकुमखेडी, कफलोडी, नगली। ढमकर, भलसों, खेती, आली मज्याडी, कांसूवा, बूंगा, खेता, मज्याडामल्ली, पिण्डवाली, बडेथ, किरसाल, ऐरोली, मलेठी, मालई, बिसौंणा।
5	नैनीसैंण	कण्डारा, कुनेथ, जस्यारा, किमोली, नौसारी, कणसोली, कोलाडुंग्री, कनखुल तल्ला, कनखुल मल्ला, सुखतोली, खत्याडी, सेरागाड, सुरांई।
6	कर्णप्रयाग	गनोली, सिंलंगी, सुनाली, कण्डारा, थिरपाक, कमेडा, खडगोली, तेफना, मंगरोली, बातोली, सेनला, डुंगल्वाली, बैडाणु, लंगासू, उत्तरो, चमोली, मैखुरा, स्वर्का, कालेष्वर, उम्मटा, जयकण्डी, मज्याडी, चमोला, सेनू, डिम्मर, नाकोट, भटोली, तोप, सेम, मठोली, चूलाकोट, बड़ागांव, बसम्वाली, धारकोट, रेतूड़ा, एरवाड़ी, घण्डियाल, कोलसों, थापली, सलियाणा, सीरी, कोटी, मटियाला, धतोड़ा, बगोली, चूला, गबनी, ऐण्ड।
7	नौटी	दियारकोट, पुडियाणी, जाख, चौण्डली, नौटी, कनौट, नैणी, छाँतोली, कल्याणी, धानियातोली, बैनोली, डुंग्री, जसपुर,
8	गोपेश्वर	गोपेश्वर नगरपालिका क्षेत्र, ग्वाड़, देवलधार, सिरोली, बैरागणा, मण्डल, खल्ला, बणद्वारा, दोगड़ी, काण्डई, बमियाला, टंगसा, कठुड, देवर खडोरा।
9	बछेर	बछेर, सोनला, टेड़ा खनसाल, रोपा, घुड़साल,
10	चमोली	स्यूण, बैमरू, हाट, जैसाल, बौंला, छिनका, कोंजपोथनी, कुजौं, मैकोट, डुंग्री, नैलकुड़ाव, पिलंग, सैकोट, पलेठी, मैठाणा, रोपा, सेमडुंग्रा, मजोठी, लासी, रांगतोली, गोलिम, खेनुरी, माडी, सेंजी, निजमूला, गोणा, दुर्मी, पगना, पाणा, इराणी, दिगोली, ल्वांह, वाटुला, गडोरा, किरूली, सतला रैंतोली।
11	नन्दप्रयाग	नगरपंचायतनन्दप्रयाग,देवरक नेरी, मासों, धारकोट, सरतोली, भतिंग्याला, पुरसाड़ी,
12	देवाल	सेलखेला, कैल, हाट कल्याणी, अटटू, देवासारी, कोठी, सल्दिरकोट, पूर्णा, धरातल्ला, बैराधार, उलंग्रा, काण्डई, फल्दियागांव, औसारी, सवाड़।
13	मुन्दोली	मुन्दोली, रहनी, ल्वाणी, ताजपुर, सुटया, कुलिंग, बांक, बानुडी, घेस, बाण, हिमनी, बलाण, पिनाऊं, लिगड़ी, पदमला, मेलमिण्डा, पलवरा, औडर, चौड, कोटेडा, मोपाटा, नलधूरा, मलखेत, चोटिंग, हरमल, झलिया, तोर्ती, रामपूर, खेतामानमती।
14	घाट	उस्तोली, लांखी, सेंती, फाली, स्यारी बंगाली, भेटी, सरपानी, बांजबगड, मोखमल्ला, मोखतल्ला, धुर्माकुण्डी, बिजार, बूरा, रामणी, पेरी, सुतोल, कन्नोल, आला, घूनी, पडेरगांव, वादुक, गुलाड़ी, नारंगी, फरखेत, मथकोट, कुमजुग, सूंग, ल्वाणी, चरबंग, लुणतरा, जाखणी, कुरूड़, सेमाचाका, सकण्ड, नौला, बनाला, गण्डासू, बैरों, मटई,

		काण्डई, माणखी, चोपडारों, पगना, खुनाणा, भेरणी, राजबगठी।
15	तपोवन	मलारी, कोषा, झेलम, द्रोणागिरी, नीति, गमसाली, बाम्पा, फरकिया, कैलासपुर, तपोवन, भंग्यूल रेगड़ी, करछौं, रिंगी, सुभांई, भल्लागांव, रेंणी, लाता, तोलमा, ढाक, बडागांव, मिरग।
16	जोशीमठ	उर्गम, ल्याणी थैणा, भर्की, हेलंग, सेलंग, पैनी, पगनौं, सलुड़डुंग्रा, मोल्टा, लंगसी, गुलाबकोटी, माणा, लामबगड़, भ्यूंडार, चाईं, थैंग, पाण्डुकेषर, गणाई, ढुमक, टंगणी तल्ली, टंगणीमल्ली, द्वीगतपौण, पाखी, कलगोठ, जखोला, किमाणा, पोखनी।
17	नारायणबगड़	नारायणबगड, पालछुनी, डुंग्री, जाख, कड़ाकोट, जुनेर, बेडुला, विनायक, बैनोली, इठियामल्ला हंसकोटी, सीरी, कौव, असेड़, मरोडा, मींग, नैणी, कनसोला, भगोती, मौणा, मनोणा, झेकुड़ा, कण्डवालगांव, बमियाला, झिंझोड़ी, कफोली, नलगांव, गडसीर, बूंगा, किमोली, केवर, हरमनी, तल्ला, त्यूंला, नामतोल, गैरवारम, धारवारम, जबरकोट, भेटा, मटियाणा, आलकोट, बजवाड पासतोली, कुलसारी, ढालू, डांगतोली, निताडी, माल, अंगोठ, मैतूरी, खैनोली, चोपता, मंगोठा रैंस, लोछला, कफार तीर, चिरखुन, जाखपाटयूं, कोठली, कोट, भटियाणा, सुनभी, भुल्कवाणी।
18	तलवाड़ी	ग्वालदम, काखरा, किमनी, चिडिंगामल्ला, तलवाड़ीस्टेट, तलवाड़ीखालसा, तुंगेष्वर, त्रिकोट, थाला, लोल्टी, बुड़जोला, देवाराड़ा।
19	थराली	देवलकोट, चौण्डा, बैनोली, भेटा, मालबज्वाड, सुनला, सुनाडमल्ला, सेरा, विजयपुर, कुराड कुनीपार्था, कैईपेंठी, नाखोली, पैठाणी, पैनगढ, बनैला, सिमली, रैगांव, सणकोट, सूना, गोढियाला दुर्गाखोली, चेपडों, थराली, हरनिगर, बुड़सोल, गुगर, बूंगा, रतगांव, कोलकुंडी, बैना, रूइसाना, डुंग्री, सिलुड़ी, चिडिंगा तल्ला, कोटा, देवलग्वाड, सुनाऊं तल्ला।
20	पोखरी	आली, थालाबैंण्ड, खन्नी, वली, पोगठा, रौता, मज्याड़ी, सिमलासू, सेरा मालकोटी, हरिषंकर, ब्राह्मण थाला, ताली, कन्स्यारी, चौण्डी, सटियाना, किमोठा, कलसीर, सलना, श्रीगढ, पाटी, जखमाला, खालबजेठा, रडुवा, डुंगर, बंगथल, तोणजी, बीना, गुडम, मसोली, नौली, नैल, जौरासी, बिसाल, भिकोना, पोखरी, ढामक, देवर वल्ला, त्रिषूला, सरणाचांई, तिमुण्डी, पाब, सेमसांकरी, भदुड़ा, गुन्याला, नैलऐथा, सौड़ा मंगरा, बिरसण सेरा, देवस्थान, काण्डई।
21	सरमोला	सिमखोली, सिनाऊँ, पल्ला, सिनाऊँ मल्ला, काण्डईखोला, खाल, बिनगढ, रानौं, करछूना, सूगी, बमोथ, क्वींठी, सरमोला, पैनी, कुजासू, जिलासू, झिलोटी, सिवाई, पैणी, गिरसा, ऐरास, उत्तरों।
22	गौचर	नगर पंचायत गौचर, चौकी, ढमढमा, बणसोली, सिदोली, खरसांई, गैथी, बौंला, सिरण, सुनाक, देवल, सिरकोटी, सिन्द्रवाणी।

13 राजस्व प्राप्तियां

पशुपालन एक आर्थिक गतिविधि है। पशु चिकित्सा व्यवसाय के क्षेत्र में सेवा प्रदायी संस्था के रूप में पशुपालन विभाग का एकाधिकार है। समस्त पशु पालक विधिक पशु चिकित्सा सेवाओं से लेकर प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवाओं यथा टीकाकरण, बधियाकरण, बांझपन निवारण, आदि कार्यों के सम्पादन हेतु निकटवर्ती पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों से सम्पर्क करते हैं। कुक्कुट की चिकित्सा निःशुल्क की जाती है। अन्य समस्त सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा शुल्क निर्धारित किये गये हैं। विश्व बेंक द्वारा पित्त पोषित कृषि विविधीकरण परियोजना (D A S P) के क्रियान्यवयन के पूर्व पशु चिकित्सा शुल्क काफी कम था, किन्तु

डास्प परियोजना की मूल्य प्रत्यावर्तन नीति के अन्तर्गत समस्त पशु चिकित्सा शुल्क की वसूली पशु पालक से करने का निर्णय किया गया। वर्तमान में प्रचलित दरों पर पशु चिकित्सा शुल्क की वसूली निम्न प्रकार की जा रही है :

क्र. सं.	सेवायें	वर्तमान दरें (रु.)	संषोधित दरें (रु.)
1.	**अतिहिमीकृत वीर्य आपूर्ति** (प्राइवेट ए.आई. कर्ताओं हेतु विक्रय दर)	10.00 प्रति सीमेन डोज / स्ट्रा	10.00 प्रति सीमेन डोज / स्ट्रा
2.	**कृत्रिम गर्भाधान सेवा षुल्क** (राजकीय ए.आई. केन्द्रों हेतु षुल्क वसूली दर)	50.00 प्रति ए. आई. प्रति सीमेन स्ट्रा	प्रति सीमेन? स्ट्रा
3.	**प्राकृतिक सेवाएं (प्रति सेवा)**		
क.	गाय / भैंस	83.00	80.00
ख.	घोड़ा / गधा	110.00	100.00
ग.	हिरन (नर)	6.00	5.00
घ.	सूअर (नर)	6.00	5.00
4.	**बधियाकरण**		
क.	बड़े पषु (मुख्यालय)	16.00	15.00
ख.	बड़े पषु (लाभार्थी के द्वार पर)	23.00	25.00
ग.	छोटे पषु (मुख्यालय)	12.00	10.00
घ.	छोटे पषु (लाभार्थी के द्वार पर)	15.00	15.00
5.	**उपचार**		
क.	पषु (बड़ा)	11.00	10.00
ख.	भेड़ / बकरी / सूअर	6.00	5.00
ग.	कुत्ता / बिल्ली	45.00	40.00
6.	**टीकाकरण**		
क.	आर.पी.	2.00	1.00
ख.	फाउल पॉक्स (एम.पी.) / आर.डी.	1.00	1.00
ग.	स्वाइन फीवर	8.00	2.00
घ.	एन्टेरोटाक्सीमिआ	5.00	1.00
ड.	ष्षीप पॉक्स	4.00	1.00
च.	एच.एस. / बी.क्यू.	3.00	1.00
छ.	एफ.एम.पी.	7.93 या 8.00	2.00
ज.	पि.पी.आर.	2.00	1.00
7.	**षव विच्छेदन**		
क.	बड़े पषु	110.00	100.00
ख.	छोटे पषु	22.00	20.00
8.	**स्वास्थ्य परीक्षण**		
क.	बड़े पषु	55.00	50.00
ख.	छोटे पषु	22.00	20.00
9.	**जांच सेवायें**		
क.	रक्त	11.00	10.00
ख.	म्ल	6.00	5.00
ग.	मूत्र	6.00	5.00

इस प्रकार राज्य स्तर पर लगभग रु. 3 करोड़ तथा जनपद चमोली में लगभग रु. 7 लाख की राजस्व प्राप्तियां होती हैं।

14 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

यह भारत सरकार की योजना है, जो 75 प्रतिषत केन्द्र सरकार व 25 प्रतिषत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है ।

योजना का उददेष्य–

बी. पी. एल. परिवार के लोगों को आंतरिक ऋण, सूक्ष्म वित्त उद्यम द्वारा स्वरोजगार से जोड़ना तथा उनका आर्थिक उन्नयन करना योजना का मुख्य उद्देष्य है।

क्रियान्वयन–

सर्वप्रथम किसी क्षेत्र विषेष में बी.पी.एल. परिवार के व्यक्तियों का समूह बनाया जाता है जिसके सदस्यों की संख्या न्यूनतम? व अधिकतम बारह हो सकती है। समूह का कोई व्यक्ति बकायादार (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिये। इस समूह को अधिकतम 25 हजार रुपये का रिवोल्विंग फंड उपलब्ध कराया जाता है तथा प्रति व्यक्ति प्रति माह एक निष्चित राषि समूह के खाते में जीम की जाती है, जिससे समूह का एक आर्थिक आधार तैयार होता है। यह धन समूह की आंतरिक ऋण व्यवस्था का निर्माण करता है। जरूरत के वक्त समूह का सदस्य एक निर्धारित अल्प ब्याज पर आवष्यक धन समूह से ऋण के रूप में ले सकता है। यदि समूह के सदस्यों की प्रतिमाह किस्त अदायगी तथा ऋण अदायगी सही है तो जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा समूह की द्वितीय ग्रेडिंग की जाती है। इसमें समूह अपनी व्यावसायिक गतिविधि का चयन करते है तथा संबधित समूह का व्यावसायिक प्रस्ताव संबधित बैंक को भेजा जाता है । समूह अपनी गतिविधि एवं आवष्यकतानुसार बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं। जिसमें से अधिकतम रु. 125000.00 की अनुदान राषि होती है तथा शेष ऋण सामान्य कृषि ऋण दरों की ब्याज के साथ समूह को अदा करनी होती है।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक विभिन्न मदों में स्वयं सहायता समूह वित्त पोषित किये जा चुके हैं :

गतिविधि	स्वयं सहायता समूहों की संख्या	कुल वित्त पोषित गतिविधि
1. दुधारू पशु	877	354
2. खच्चर	41	3
3. मुर्गी पालन	21	1
4.मोन पालन	6	5
5. भेड़ पालन	12	3

विषेष– चूँकि इस योजना में अधिकतम दुग्ध व्यवसाय का चयन किया जाता है, अतः पषुपालन विभाग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पषु चिकित्साधिकारी, क्रय किये गये पषु की जांच कर उसे स्वास्थ्य प्रमाण पर जारी करता है तथा तदुपरान्त बैंक से अभ्यर्थी को अनुदान एवं ऋण की राषि जारी की जाती हैं। अतः पषु चिकित्साधिकारी, इस योजना के सही एवं सफल क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।

बछिया पालन योजना– यह योजना अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये है।

लाभार्थियों के चयन हेतु समिति–

क्षेत्र में तैनात पशु चिकित्साधिकारी	अध्यक्ष
खण्ड विकास अधिकारी का प्रतिनिधि	सदस्य
दुग्ध विकास विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य

चयन की प्रक्रिया–

संबंधित ग्राम के पशुपालक, विधवायें एवं परिवार के मुखिया महिला को प्राथमिकता दी जायेगी। प्रयास यह किया जायेगा कि प्रगतिशील पशुपालकों का चयन किया जाये। लाभार्थियों का चयन क्लस्टर (समूह) में किया जाना चाहिये जिससे दुग्ध विपणन में कठिनाई न हो। पशुधन प्रसार अधिकारी ग्राम में प्रचार– प्रसार करके एक तिथि का निर्धारण करेंगे। इस तिथि को ग्राम में ग्राम प्रधान की उपस्थिति में खुली बैठक करके लाभार्थियों का चयन करेंगे व चयन सूची संबंधित पशु चिकित्साधिकारियों प्रेषित करेंगे। विकास खण्ड स्तर पर चयन समिति में सभी लाभार्थियों के प्रस्ताव रखकर अन्तिम चयन सूची बनायी जायेगी।

पशु क्रय– योजना के अन्तर्गत लाभर्थियों को प्रथम ब्यांत की लगभग 10 लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादित करने वाली क्रसब्रीड बछिया उपलब्ध करायी जायेगी। पशुओं क्रय सर्वप्रथम राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कालसी/भराड़ीसैंण से किया जायेगा। यदि वहाँ बछिया उपलब्ध नहीं होती तो समीपस्थ राज्यों हरियाणा/हिमाचल/उत्तर प्रदेश से किया जायेगा या निकटस्थ मंडियों/पशु मेलों/हाट से किया जायेगा। क्रय से पूर्व बछिया के दो बार के दूध की नाप एवं जॉच की जायेगी ।

पशु क्रय समिति–

1. सम्बंधित क्षेत्र के पशु चिकित्साधिकारी
2. दुग्ध संघ के पशु चिकित्साधिकारी
3. सम्बंधित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी या उनका प्रतिनिधि
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी के प्रतिनिधि
5. लाभार्थी

पशु बीमा– योजनान्तर्गत क्रय किये गये पशु का बीमा तीन वर्ष हेतु कराया जायेगा जो कि क्रय स्थल पर ही संबंधित पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निर्धारित बीमा कम्पनी से कराया जायेगा।

इकाई लागत–

1. दुधारू पशु का मूल्य	रु.15000.00 2.
पशु परिवहन व्यय	रु. 2000.00
3. पशु बीमा व्यय	रु. 750.00
4.पशु आहार (दो माह के दाने पर व्यय)	रु. 1250.00
योग	**रु.19000.00**

योजना का वित्तीय स्वरूप–

1. लाभार्थी अंश (पशु मूल्य का 25 प्रतिशत)	रु. 3750.00
2. अनुदान राशि (75प्रतिशत)	रु. 15250.00
योग	**रु. 19000.**

15 चारा उत्पादन कार्यक्रम

पशुओं की 70 प्रतिषत उत्पादन क्षमता सन्तुलित पशु आहार एवं प्रबन्धकीय व्यवस्थाओं पर निर्भर है। सन्तुलित पशु आहार हरे/सूखे चारे, लवण, कैटिल फीड, खली, चोकर, दाना, आदि को संन्तुलित मात्रा में मिश्रित कर बनाया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पशुओं की उत्पादकता कम होने का सबसे बडा कारण पशुओं को सन्तुलित पशु आहार का उपलब्ध न होना है। वैज्ञानिक पशु पोषण पद्धतियों का प्रचलन नगण्य है। अधिकांष पशु हरे चारे व दाने के अभाव में कुपोषण का षिकार है और सम्पूर्ण जीवन काल में कुपोषित रहते हुये कृषि कार्य एवं उत्पादन करते हैं। उत्तराखण्ड में हरे चारे का नितान्त अभाव है। भूमि की जोत छोटी होने के कारण कृषक पशु तो पालते है, किन्तु कृषि योग्य भूमि पर पशु चारा बहुत कम उगाते हैं। सामान्यतयाः पशुपालक पशु आहार के लिये पशु चराई व्यवस्था पर आश्रित रहते हैं तथा दुधारू पशुओं को

दूध देने के समय हरा–चारा खिलाते हैं। जो कि सामान्यतया निकटवर्ती जंगल से एकत्र किया जाता है।

संतुलित पशु आहार

जिस तरह फसलों में अधिक उत्पादन के लिये रसायनिक उर्वरकों एवं जैविक खादों की सही मात्रा लगाना आवष्यक होता है, ठीक उसी तरह गाय–भैंस से दूध की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिये उन्हें समुचित मात्रा में पौष्टिक आहार देना जरूरी होता है। फसल को उर्वरकों की अतिरिक्त मात्रा देना भी बर्बादी है और इससे लाभकारिता घटता है। आम तौर पर देखा गया है कि पशुपालक कम आयु के पषुओं को आहार नहीं देते हैं, जिसके फलस्वरूप समुचित आहार न मिलने के कारण उनमें प्रौढ़ता देर से आती है तथा लम्बी अवधि तक बिना किसी प्राप्ति के उनका लालन–पालन करने के परिणाम स्वरूप खर्च भी बढ़ता है। इसी प्रकार सूखे गर्भित पषुओं को कम तथा दूध देने वाले पषुओं को अतिरिक्त खिलाना भी सरासर गलत है। यह गलती इस धारणा का परिणाम है कि अनुत्पादक पषुओं अर्थात औसर तथा सूखे पषुओं को खिलाना पैसे की बर्बादी है। तथ्य यह है कि पषु की दुग्ध उत्पादन क्षमता और सामान्य स्वास्थ्य जीवन काल की हर अवस्था पर की गई देख–रेख और खिलाई गयी दुधारू गाय या भैंस को बाद में अतिरिक्त मात्रा खिलाने से भी कोई लाभ नहीं होता और इससे केवल राषन की बर्बादी ही होती है।

पषुओं की वृद्धि, स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन तथा जीवन निर्वाह के लिये, जो आहार दिया जाता है, वह सन्तुलित आहार कहलाता है। उसमें पषु की आवष्यकतानुसार सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा एवं अनुपात में विद्यमान होते हैं। किसी भी पोषक तत्व की मात्रा आवष्यक्ता से कम अथवा अधिक होने पर पषु को हानि हो सकती है।

पषुओं को खिलाये जाने वाले खाद्य पदार्थों में एक अकेला कोई भी खाद्य मिश्रण ऐसा नहीं होता, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा एवं अनुपात में उपस्थित हों। अतः पषु आहार को सन्तुलित करने के लिये आवष्यक है कि उसमें हरे चारे, सूखे चारे एवं दाना मिश्रण, खनिज एवं नमक सम्मिलित हो और पषु को पानी इच्छानुसार उपलब्ध रहे।

कॉम्पेक्ट फीड ब्लॉक

उत्तराखण्ड में पशुओं को काम्पैक्ट फीड ब्लॉक खिलाने की प्रथा नवीनतम है। इसके निर्माण में भूसा एवं पुआल आदि जैसे सेल्यूलोजिक पदार्थ, संतुलित पशु आहार, खनिज लवण मिश्रण तथा शीरा को निर्धारित अनुपात में भली भांति मिश्रण कर ब्लॉक निर्माण मषीन में डाला जाता है। मषीन हाइड्रोलिक पद्धति से 425 किलो प्रति वर्ग सेन्टीमीटर दबाव से चारा मिश्रण को संपीडित कर चारे के मूल आयतन को तीन–चौथाई तक कम कर देती है जिसके कारण इसे पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में बहुत आसानी से मनुष्यों, घोडे–खच्चरों, भेड़ तथा बकरियों की पीठ पर रखकर परिवहन किया जा सकेगा।

1. विषेषताएंः–

1. फीड ब्लॉक स्वादिष्ट, पौष्टिक, रूचिकर व सन्तुलित पशु आहार है।
2. दूध उत्पादक गायों व भैंसों तथा बैलों के लिये फीड ब्लॉक उपयुक्त है।
3. काम्पैक्ट फीड ब्लॉक में दाना व चारा की उपयुक्त मात्रा है।
4. फीड ब्लॉक में प्रोटीन एवं ऊर्जा का सन्तुलित स्तर है।
5. फीड ब्लॉक में दूध उत्पादन तथा पशु प्रजनन के लिये सहायक खनिजों की भरपूर मात्रा है।
6. फीड ब्लॉक दूध उत्पादन एवं दूध वसा में वृद्वि करता है तथा ब्यांतों के अन्तराल को कम करता है।

2. उपयोगिताः–

1. काम्पैक्ट फीड ब्लॉक का आयतन भूसे का 1/4 होने के कारण दूरस्थ एवं दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में इसका परिवहन व्यय कम हो जाता है।

2. फीड ब्लॉक के भण्डारण में अपेक्षाकृत कम स्थान की आवष्यकता होती है तथा भण्डारण व्यय में बचत होती है।
3. कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक के विभिन्न अवयवों में स्थानीय आवष्यकतानुसार परिवर्तन करके भिन्न–भिन्न गठन वाले फीड ब्लाक निर्मित किये जा सकते है।
4. कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक खिलाने से रोमन्थिक पशुओं के रूमेन (प्रथम आमाषय) का सूक्ष्म जीवाणु वातावरण स्थायी बना रहता है।
5. बाढ़ पीडित एवं सुखा ग्रस्त पशुओं के लिये फीड ब्लॉक एक प्रमुख सहारा है।
6. फसल अवषेषों की क्षति न्यूनतम होती है।
7. कठोर तथा बडे आकार वाले आहार पदार्थों की उपयोगिता में फीड ब्लॉक द्वारा वृद्धि लायी जा सकती है।
8. पशुओं द्वारा चयनित आहार ग्रहण करने को रोकने में फीड ब्लॉक सहायक होता है।
9. कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक में संपीड़न से आहार पदार्थ कोमल हो जाता है, जिससे पशुओं द्वारा ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होती है।
10. पशु आहार पदार्थों की हैंडलिंग सुविधाजनक होने के साथ ही पशुओं को चारा खिलाने में श्रम एवं समय की बचत होती है।
11. फीड ब्लॉक में जहां पर्वतीय क्षेत्रों में चारे की समस्या का हल होगा वहीं ग्रामीण महिलाओं द्वारा वनों से चारा संग्रह करने में, जो समय लगता है, उसमें पर्याप्त बचत होगी, जिसका उपयोग अन्य महत्वपूर्ण कार्यों तथा परिवार की देख–रेख में कर सकेंगी।

यूरिया–षीरा–खनिज चाटन ब्लाक

जैसा कि नाम से स्पस्ट है कि यह एक चाटन भेली है जिसमें यूरिया, विटामिन, खनिज लवण एवं अन्य बहुपोषण पदार्थो के साथ पर्याप्त मात्रा में षीरा तथा साधारण नमक रहता है। चाटन भेली में सभी महत्वपूर्ण अवयव सान्द्र अवस्था में रहते हैं। इस ब्लाक के द्वारा पशुओं को उनके लिये वे सभी आवष्यक खाद्य अवयव अत्यन्त अल्प मूल्य पर उपलब्ध कराये जा सकते हैं जो सामान्य पशु आहार में अनुपलब्ध रहते हैं। प्रति चाटन ब्लॉक का भार सामान्यतया 2.5 कि.ग्रा. होता है जिससे इसकी पैंकिंग, भण्डारण तथा परिवहन अत्यन्त आसान है एवं इसे पशुओं को खिलाना भी अत्यन्त सुविधाजनक है।

उपयोगिता :–

1. चाटन ब्लाक, पशु आहार आपूर्ति का एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा एक सीमित आकार एवं भार के अन्तर्गत उन सभी आवष्यक पदार्थों को एक साथ उपलब्ध कराया जा सकता है जो विविध प्रकार के आहारों में अलग–अलग पाये जाते हैं। विविध श्रेणी के पशुओं जैसे दुधारू, गाभिन अथवा ब्याने के पष्चात, शुष्क पशु, कार्य करने वाले पशु, बछड़े–बछियां तथा सांडों आदि को आवष्यकतानुसार पोषण पदार्थों का मिश्रण तैयार कर आपूर्ति किया जा सकता है।
2. शीरा पौधों के रस से तैयार किया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो ऊर्जा में समृद्ध होने के साथ ही इसमें लगभग सभी ट्रेस तत्व एवं विटामिन्स विद्यमान होते हैं।

16 सूचना का अधिकार

राज्याधीन स्थापित एवं संचालित विभिन्न सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संस्थाओं की गोपनीयता एवं नियन्त्रण की संस्कृति को खुलेपन और सहभागिता की संस्कृति में बदलने के उद्देष्य से सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 केन्द्रीय अधिनियम के रूप मे 15 जून, 2005 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। सूचना का अधिकार मात्र एक कानून नहीं, बल्कि कानून से कहीं अधिक एक प्रक्रिया है, एक माध्यम है, एक अवधारणा है और जीवन के प्रति एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 द्वारा विकसित गोपनीयता की संस्कृति बड़ी मजबूत है जो हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली है। यह गोपनीयता की आड़ में समस्त शासकीय कामकाज पर पर्दा डालने का कार्य करती है। सूचना का अधिकार कानून, सूचना पर

इस नियन्त्रण को समाप्त करने के लिये, एक वैधानिक संरचना और प्रक्रिया प्रदान करता है। उच्च अधिकारियों के प्रति जबाबदेही के लिये समस्त संस्थाओं में पहले से ही एक कुषल व्यवस्था बनी हुई है परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी होने की तिथि से यह जबाबदेही अब जनता के प्रति हो गई है। कानून ने आवष्यक तैयारियों के लिये 120 दिनों का समय दिया है। वांछित सूचना उपलब्ध न कराने पर दण्ड का प्राविधान किया गया है। जिस का आषय सरकारी व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त करना है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। समस्त नागरिको को पशुपालन विभाग की विभिन्न गतिविधियों एवं कार्य–कलापों से संबधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिये लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी नामित किये गये हैं। कोई भी नागरिक रु. 10 मात्र जमा कर सूचना प्राप्त कर सकता है। किसी भी लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में रु. 10 जमा करने के उपरान्त तीस दिन के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराना बाध्यकारी है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों से सूचना उपलब्ध कराने हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

पशु पालन विभाग जनपद चमोली के निम्नलिखित अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी/ अपीलीय प्राधिकारी नामित किया गया है :

क्र.सं.	संस्था	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	पशु सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत/न्याय पंचायत	पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु चिकित्साधिकारी संबधित
2	पशु चिकित्सालय	पशु चिकित्साधिकारी	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
3	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	मण्डलीय उप निदेषक,
4	विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भराड़ीसैण	प्रभारी अधिकारी	अपर निदेषक, पशुपालन विभाग,

17 पशुधन आपदा प्रबन्धन

चमोली जनपद उत्तराखण्ड में प्राकृतिक आपदाओं के लिये अत्यधिक संवेदनषील जनपद के रूप में चिन्हित किया गया है। यह भूकम्पीय जोन–5 के अन्तर्गत आता है। जनपद में 9 विकास खण्ड, 6 तहसील एवं 6 नगर क्षेत्र हैं। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 751955 वर्ग कि.मी. है, कुल जनसंख्या घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. तथा कुल पशुधन घनत्व 54 पशुधन (4,07,795/7520) प्रतिवर्ग कि.मी. है। प्राकृतिक आपदाओं के लिये अत्यन्त संवेदनषील जनपद होने तथा विगत वर्षो में रिक्टर पैमाने पर 6.6–6.8 की तीव्रता के भूकम्प आने के कारण यहाँ जान–माल एवं पशुधन की काफी क्षति हुई थी। भू–गर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार वर्ष 1991 में

उत्तरकाषी तथा वर्ष 1999 में चमोली में आये भूकम्पो के कारण थ्रस्ट लाइन क्रियाषील होने से जनपद चमोली का सम्पूर्ण क्षेत्र अत्यन्त संवेदनषील हो गया है।

विगत 35 वर्षों में जनपद चमोली में प्राकृतिक आपदाओं की मुख्य घटनायें निम्न प्रकार है :

1. वर्ष 1970 अलकनन्दा नदी में आई बाढ़ में 29 व्यक्ति बह गये थे तथा जोषीमठ तहसील के ग्राम ड्रुंग्री, बरोसी, मोल्ठा, आदि में व्यापक भूस्खलन के कारण भारी क्षति हुई।
2. वर्ष 1973 में तहसील चमोली में बादल फटने के कारण आई बाढ़ से व्यापक क्षति हुई।
3. वर्ष 1980 में थराली तहसील के हरमनी ग्राम में भूकम्पीय झटकों से जान–माल की काफी क्षति हुई।
4. वर्ष 1981, 1982 एवं 1983 में विभिन्न दैवीय आपदाओं के कारण जनहानि, पशुहानि एवं भूमि कटाव से काफी क्षति हुई थी।
5. वर्ष 1986 से 1998 तक प्रति वर्ष जनपद में हुई भीषण वर्षा एवं भू–स्खलन के कारण जनहानि, पशुहानि एवं आवासीय भवनों की क्षति हुई।
6. 28–29 मार्च, 1999 की रात्रि में 6.8 रिक्टर पैमाने की तीव्रता वाले विनाषकारी भूकम्प से 1256 गांव प्रभावित हुये थे तथा व्यापक स्तर पर जन हानि एवं पशुधन की क्षति हुई थी जिसमें 63 व्यक्तियों एवं 239 पशुधन की मृत्यु हुई तथा निजी एवं शासकीय सम्पत्ति की व्यापक क्षति हुई।
7. वर्ष 2006, में दषोली विकास खण्ड में वर्षा व भूस्खलन से व्यापक क्षति हुई थी।

इस विवरण से स्पष्ट है कि जनपद चमोली सदैव से ही दैवीय आपदाओं, भू– स्खलन, भूकम्प, बादल फटना, अतिवृष्टि, सड़क दुर्घटना, पशु महामारी आदि आपदाओं से ग्रसित रहा है। कतिपय प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाकर बचाव के प्रयास कर होने वाली जन हानि एवं पशु हानि को कम किया जा सकता है।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्धन का दायित्व मुख्य रूप से राजस्व एवं पुलिस प्रषासन द्वारा निर्वहन किया जाता है। आपदा प्रभावित परिवारों को जन हानि तथा पशु हानि के लिये राहत राषि तुरन्त वितरित की जाती है किन्तु पशुधन गणना के स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध न होने की स्थिति में पशुधन की हानि हेतु सहायता राषि वितरित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय राजस्व/पुलिस प्रषासन के साथ विभिन्न विभागों के कार्मिक सहयोग कर आपदा की त्रासदी को कम कर सकते हैं।

मुख्य दायित्व :–

1. आपदाग्रस्त क्षेत्र में प्रभावित पशुधन के बचाव एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना।
2. पशुधन क्षति का आंकलन करना।
3. जीवित/घायल पशुधन को सुरक्षित स्थान पर भेजना।
4. सुरक्षित पशु आश्रमों/गौ सदनों की व्यवस्था करना।
5. पशु आश्रमों/गौ सदनों/गौषालाओं में पशु आहार आदि की व्यवस्था करना।
6. पशु महामारी से बचाव हेतु पशु टीकाकरण कार्य संपादित करना।
7. पशुधन हानि के लिये अहेतुक सहायता राषि वितरण में सहयोग करना।

उत्तरदायित्व केंन्द्रों का निर्धारण :–

पशुधन आपदा प्रबन्धन हेतु विभिन्न स्तरों निम्न प्रकार उत्तरदायित्व केन्द्रों का निर्धारण किया गया है:–

1. **न्याय पंचायत स्तरः–** प्राकृतिक आपदा की स्थिति में न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र में तैनात पशुधन प्रसार अधिकारी को पशुधन आपदा प्रबन्धन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। समस्त पशु पालकों को सूचित किया जाता है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में न्याय पंचायत स्तर पर तैनात पशुधन प्रसार अधिकारी से सम्पर्क करें।

2. **विकास खण्ड/तहसील स्तरः–** विकास खण्ड/तहसील स्तर पर पदस्थ पशु चिकित्साधिकारियों, की सूची, संस्थाओं पर उपलब्ध दूरसंचार सुविधाओं का विवरण पशु पालन दिग्दर्षिका में उपलब्ध है। विकास खण्ड/तहसील स्तर पर तैनात पशु चिकित्साधिकारी, विधिक कार्य–क्षेत्र की सीमान्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में नोडल अधिकारी होंगे तथा पशु शव विच्छेदन तथा पशु शवों का विधिवत निस्तारण करने तथा पशु महामारियों के नियन्त्रण हेतु टीकाकरण कार्य सुनिष्चित करायेंगे। पशुधन की क्षति का आंकलन संबंधित क्षेत्र के पशु चिकित्साधिकारी द्वारा सुनिष्चित किया जायेगा।
3. **जनपद स्तरः–** जनपद स्तर पर तैनात मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपदा नियन्त्रण हेतु विभागीय नोडल अधिकारी होंगे। तथा विभिन्न स्तरों पर टीम गठित कर प्रभावी कार्यवाही सुनिष्चित करायेंगें। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में जनपदीय हेल्प लाइन सेवा दूरभाष संख्या 01372–251382 पर उपलब्ध रहेगी। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जनपदीय नोडल अधिकारी, सीधे आपदा प्रबन्धन अधिकारी/राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी पशुलोक, ऋषिकेष, के सम्पर्क में रहेंगे तथा टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। जनपदीय नोडल अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी विभिन्न उपलब्ध सुविधाओं एवं पशुधन हानि की अद्यावधिक स्थिति से प्रति दिन अवगत करायेंगे।
4. **राज्य स्तरः–** निदेषक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, कैम्प कार्यालय पशुलोक ऋषिकेष, देहरादून के अधीन उप निदेषक, पशुपालन विभाग, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, पशुलोक ऋषिकेष देहरादून को आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है। राज्य स्तरीय आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण केन्द्र का दूरभाष नम्बर 0135– 2453398 है। राज्य आपदा नियन्त्रण कक्ष में सम्पर्क कर अद्यावधिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

पशुधन आपदा प्रबन्धन कार्य योजनाः–

1. पशु सेवा केन्द्र/राजकीय पशु चिकित्सालय स्तर पर राष्ट्रीय पशुधन गणना–2003 के अनुसार आंकड़े सुरक्षित रखना।
2. दैवीय आपदा के लिये संवेदनषील क्षेत्रों को चिन्हित करना।
3. अति संवेदनषील क्षेत्रों में पशु महामारी फैलने से रोकने के लिये प्रति वर्ष अप्रैल से जून के मध्य ब्प् के मानकों के अनुसार 70 से 80 प्रतिषत पशुधन को टीकाकरण करना।
4. समस्त सूचनाओं एवं कार्यक्रमों से राजस्व/पुलिस/पशु चिकित्सा प्रषासन से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराना।
5. गम्भीर रूप से घायल पशुओं की चिकित्सा यथास्थान की जायेगी। निराश्रित/प्राथमिक उपचार पशु चिकित्सा षिविर आयोजित कर किया जायेगा।
6. पशु चिकित्सा षिविरों में पीने का पानी तथा पशु आहार की व्यवस्था जनपदीय प्रभारी अधिकारी द्वारा सुनिष्चित की जायेगी। पशु औषधियों की व्यवस्था केन्द्रीय पशु औषधि भण्डार/स्थानीय बाजार से नियमानुसार क्रय कर की जायेगी।
7. आपात्कालीन व्यवस्था के रूप में केन्द्रीय पशु औषधि भण्डार से खुरपका– मुँहपका रोग, बी.क्यू., एच.एस. रोग, पी.पी.आर. रोग के लिये वैक्सीन आदि की व्यवस्था की जायेगी।
8. एवजोरमेन्ट काटन, एन्टीबायोटिक, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल, पोटेषियम परमेंग्नेट, बैन्डेज, प्लास्टर आफ पेरिस, सर्जिकल पैक एवं अन्य आवष्यक औषधियां तुरन्त प्रभावित क्षेत्र में उपलब्ध कराई जायेंगी।
9. अधिसूचित पशु महामारियों की रोकथाम के लिये टीकाकरण किया जायेगा, किन्तु महामारी के फैलने की स्थिति में पुष्टि के लिये नमूने एकत्रित कर जांच हेतु पशु रोग निदान प्रयोगषालाओं में प्रेषित किये जायेंगे।

10. मृत पशुधन को चिन्हित करना। पशु शव को मलवे से निकालने हेतु दैनिक श्रमिकों को योजित करना। मृत पशुओं को चूना आदि डाल कर दफनाना। मृत पशुओं के शव का दाह संस्कार करने हेतु मिट्टी का तेल/डीजल की व्यवस्था करना। मृत पशुओं के शवों का निस्तारण यथा शीघ्र करना जिससे जन– स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। समस्त कार्यों की सूचना प्रतिदिन राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी को प्रेषित करना।
11. जनपद स्तर पर वाहन बुलैरो तथा राज्य स्तर पर वाहन संख्या यू.ए.–07 सी–4579 को आपदा प्रबन्धन हेतु नियत किया गया है।
12. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण हेतु प्रषिक्षित किया जायेगा तथा पशुपालकों को विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से पशु सेवा केन्द्रों/पशु चिकित्सालयों में सम्पर्क करने हेतु प्रेरित किया जाय।
13. नोडल अधिकारी, आपदा प्रबन्धन किसी जनपद में प्राकृतिक आपदा की सूचना प्राप्त करते ही निकटवर्ती क्षेत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों की टीम गठित कर तात्कालिक सहायतार्थ प्रभावित क्षेत्र में भेजना सुनिष्चित करायेंगे।
14. आपदा राहत हेतु सूचना देने के लिये समस्त उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जायेगा।
15. पशु पालकों को सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु आपदा नियन्त्रण कक्ष का उपयोग किया जायेगा।
16. जनपद स्तर पर आपदा के समय उपयोगी स्थानीय पशुपालकों/गैर सरकारी संस्थाओं की सूची रखी जायेगी।
17. पशुपालन विभाग, चमोली में निर्मित समस्त भवनों को भूकम्प प्रतिरोधी बनाया जायेगा।
18. प्राकृतिक आपदा की स्थिति में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का अवकाष निरस्त कर कार्य पर उपस्थित रहने का निर्देष दिया जायेगा। समस्त विभगीय अधिकारी/कर्मचारी सीधे जिलाधिकारी के सम्पर्क में रहेंगे।
19. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रान्तर्गत स्थापित पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्र पर कम से कम 500 लीटर का पानी का टैंक उपलब्ध कराया जायेगा।
20. आपदा नियन्त्रण की स्थिति में भयभीत होने की बजाय धैर्य और संयम बनाये रखें। निकटवर्ती पशुपालन विभाग की संस्थाओं के सम्पर्क में रहें तथा राहत कार्मिकों को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिये सहयोग करें।

18 सहकारिता सहभागिता योजना

1.0 अंगोरा शशक पालन योजना

1.1 योजना परिचय :

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियां अंगोरा षषक पाल कर सुगमतापूर्वक अपनी आजीविका को चला सकते हैं। पर्वतीय ग्रामीण एवं उप–नगरीय क्षेत्रों में ऊनी वस्त्रों की अत्यधिक मांग है। अंगोरा षषक पालन योजना के अन्तर्गत 16 जर्मन/ब्रिटिष अंगोरा षषक क्रय कर स्व–रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकते हैं। अंगोरा षषक को ऊन एवं मांस उत्पादन के लिए पाला जा सकता है।सहकारिता सहभागिता योजना के अन्तर्गत षषक पालन योजना संचालित करने हेतु कृषिइत्तर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

1.2 लाभार्थी चयन :

समस्त वयस्क लघु/सीमान्त कृषक एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार सहकारिता सहभागिता योजना के अन्तर्गत अंगोरा षषक योजना संचालित करने हेतु पात्र होंगे।

1.3 इकाई आकार : 16 मादा अंगोरा षषक एवं 4 नर अंगोरा षषक क्रय किये जा सकते हैं।

1.4 इकाई लागत :

क्र.सं.	विवरण/दर	मूल्य
1.	16 मादा अंगोरा षषक/रु. 400 प्रति षषक की दर से	6,400
2.	4 नर अंगोरा षषक /रु. 400 प्रति षषक की दर से	1,600
3.	16 मादा अंगोरा षषक हेतु प्रजनन केज/रु. 100 प्रति केज की दर से	1,600
4.	16 षषक कालोनी का मूल्य	5,250
5.	प्रजनक षषक हेतु 6 माह का आहार मूल्य	650
6.	उत्पन्न संतति हेतु षषक आहार मूल्य	660
7.	षषक बीमा पषु मूल्य का 8ण्44ः ण् की दर से पांच वर्ष हेतु	540
8.	अन्य व्यय	300
	योग	**17,000**

1.5 तकनीकी सेवाएं : अंगोरा षषक हेतु 6 दिवसीय व्यावसायिक प्रषिक्षण स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी द्वारा दिया जायेगा। समस्त अंगोरा षषकों को पषु चिकित्सा, कृमि नाषक दवापान, टीकाकरण की सुविधा षासकीय षुल्क प्राप्त कर स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी द्वारा पषु पालक के द्वार पर उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त पषु चिकित्साधिकारी स्थापित इकाईयों का समुचित अभिलेख सहकारिता सहभागिता योजना पंजिका में रखेंगे तथा मासिक प्रगति विवरण के साथ प्रति माह उपलब्ध करायेंगे।

1.6 वित्तीय समायोजन : अंगोरा षषक क्रय योजना की संदेषात्मक इकाई लागत एवं अन्य विवरण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मानकों के अनुरूप है। वित्तीय संस्थायें वित्तीय व्यावहारिकता एवं स्थायी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इकाई लागत में 10 प्रतिषत की सीमा में परिवर्तन कर सकती हैं।

1.7 सम्पर्क सूत्र :

स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी, राजकीय पषु चिकित्सालय।
सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता।
स्थानीय सचिव, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति।

2.0 खच्चर पालन योजना

2.1 योजना परिचय :

उत्तराखण्ड के सीमान्त ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार नवयुवक खच्चर पाल– कर सुगमता पूर्वक अपनी आजीविका का निर्वाह कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में फल, सब्जी, दूध आदि खाद्य पदार्थ उप–नगरीय क्षेत्रों को तथा दैनिक उपभोग की वस्तुएं एवं निर्माण सामग्री का ढुलान ग्रामीण क्षेत्रों की ओर करने हेतु खच्चर प्रजाति के पषुओं की अत्यधिक मांग है। खच्चर उत्पादन योजना के अन्तर्गत 2 खच्चर प्रजाति के पषु क्रय कर स्व–रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकते हैं। सहकारिता सहभागिता योजना के अन्तर्गत खच्चर क्रय करने हेतु कृषियेत्तर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

2.2 लाभार्थी चयन : समस्त वयस्क लघु/सीमान्त कृषक एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्ति/परिवार सहकारिता सहभागिता योजना के अन्तर्गत खच्चर क्रय करने हेतु पात्र होंगे।

2.3 इकाई आकार : 2 स्थानीय जाति के खच्चर क्रय किये जा सकते हैं।

2.4 इकाई लागत :

क्र.सं.	विवरण/दर	मूल्य
1.	2 खच्चर/रु. 22,000 प्रति पषु की दर से	44,000
2.	2 खच्चर का बीमा पषु मूल्य का 6ण्19: की दर से पांच वर्ष हेतु	1,900
3.	2 खच्चर की परिवहन लागत/रु. 2,000 प्रति पषु की दर से	4,000
4.	अन्य व्यय	1,100
	योग	**51,000**

2.5 तकनीकी सेवाएं : खच्चर पालने हेतु 3 दिवसीय व्यावसायिक प्रषिक्षण स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी द्वारा दिया जायेगा। समस्त खच्चरों को पषु चिकित्सा, कृमि नाषक दवापान, टीकाकरण की सुविधा षासकीय षुल्क प्राप्त कर स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी द्वारा पषु पालक के द्वार पर उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त पषु चिकित्साधिकारी स्थापित इकाईयों का समुचित अभिलेख सहकारिता सहभागिता योजना पंजिका में रखेंगे तथा मासिक प्रगति विवरण के साथ प्रति माह उपलब्ध करायेंगे।

2.6 वित्तीय समायोजन :

खच्चर पालन योजना की संदेषात्मक इकाई लागत एवं अन्य विवरण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मानकों के अनुरूप है। वित्तीय संस्थाएं वित्तीय व्यावहारिकता एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इकाई लागत में 10 प्रतिषत की सीमा में परिवर्तन कर सकती हैं।

2.7 सम्पर्क सूत्र :

स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी, राजकीय पषु चिकित्सालय।
सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता।
स्थानीय सचिव, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति

3.0 भेड़ पालन योजना

3.1 योजना परिचय : ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियां भेड़ पालन व्यवसाय को सुगमता पूर्वक अपनाकर आजीविका का निर्वाह कर सकते हैं। ग्रामीण एवं उप–नगरीय क्षेत्रों में मांस की अत्यधिक मांग है। भेड़ पालन योजना के अन्तर्गत 20 क्रास ब्रीड मैरीनो/नाली/ग्रेडेड नाली नस्ल की भेड़ क्रय कर स्व–रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकते हैं। सहकारिता सहभागिता योजना के अन्तर्गत भेड़ पालन करने हेतु कृषिइत्तर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

3.2 लाभार्थी चयन : समस्त वयस्क लघु/सीमान्त कृषक एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्ति/परिवार सहकारिता सहभागिता योजना के अन्तर्गत क्रास ब्रीड मैरीनो एवं नाली/ग्रेडेड नाली नस्ल की भेड़ क्रय करने हेतु पात्र होंगे।

3.3 इकाई आकार : 20 क्रास ब्रीड मैरीनो एवं नाली/ग्रेडेड नाली नस्ल की भेड़ क्रय की जा सकती है।

3.4 इकाई लागत :

क्र.सं.	विवरण/दर	मूल्य
1.	20 भेड/रु. 2,000 प्रति पषु की दर से	40,000
2.	01 मेंढ़ा/रु. 2,500 प्रति पषु की दर से	2,500
3.	पषु बीमा पषु मूल्य का 5ण्25 की दर से पांच वर्ष हेतु	2,200
4.	भेड़ बाड़ा	9,300
5.	अन्य व्यय	2,000
	योग–	**56,000**

3.5 तकनीकी सेवाएं : क्रास ब्रीड मैरीनो/नाली/ग्रेडेड नाली नस्ल की भेड़ पालने हेतु 3 दिवसीय व्यावसायिक प्रषिक्षण स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी द्वारा दिया जायेगा। समस्त क्रास ब्रीड मैरीनो/ग्रेडेड नाली नस्ल की भेड़ों को पषु चिकित्सा, कृमि नाषक दवापान, टीकाकरण की सुविधा षासकीय षुल्क प्राप्त कर स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी द्वारा पषु पालक के द्वार पर उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त पषु चिकित्साधिकारी स्थापित इकाईयों का समुचित अभिलेख सहकारिता सहभागिता योजना पंजिका में रखेंगे तथा मासिक प्रगति विवरण के साथ प्रति माह उपलब्ध करायेंगे।

3.6 वित्तीय समायोजन : क्रास ब्रीड मैरीनो/नाली/ग्रेडेड नाली नस्ल की भेड़ क्रय योजना की संदेशात्मक इकाई लागत एवं अन्य विवरण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मानकों के अनुरूप है। वित्तीय संस्थाएं वित्तीय व्यावहारिकता एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इकाई लागत में 10 प्रतिशत की सीमा में परिवर्तन कर सकती हैं।

3.7 सम्पर्क सूत्र :

स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी, राजकीय पषु चिकित्सालय।
सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता।
स्थानीय सचिव, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति।

4.0 ब्रायलर उत्पादन योजना

4.1 योजना परिचय : ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियां ब्रालर चूजे पालकर सुगमता पूर्वक अपनी आजीविका का निर्वाह कर सकते हैं। ग्रामीण एवं उप–नगरीय क्षेत्रों में कुक्कुट मांस की अत्यधिक मांग है। ब्रायलर उत्पादन योजना के अन्तर्गत 525 एक दिवसीय ब्रायलर चूजे क्रय कर स्व–रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकते हैं। सहकारिता सहभागिता योजना के अन्तर्गत ब्रायलर क्रय हेतु कृषिइत्तर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

4.2 लाभार्थी चयन : समस्त वयस्क लघु/सीमान्त कृषक एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्ति/परिवार सहकारिता सहभागिता योजना के अन्तर्गत ब्रायलर चूजे क्रय करने हेतु पात्र होंगे।

4.3 इकाई आकार : ब्रायलर उत्पादन योजना 525 एक दिवसीय ब्रायलर चूजे क्रय कर षुरू की जा सकती है।

4.4 इकाई लागत

क्र.सं.	विवरण/दर	मूल्य
1.	525 एक दिवसीय ब्रायलर चूजे/रु. 20 प्रति चूजे की दर से	10,000
2.	ब्रायलर चूजे आहार मूल्य/ रु. 9 प्रति किलो की दर से 3 किलो प्रति दिन	14,200
3.	ब्रायलर चूजे का बीमा/रु. 5 प्रति चूजे की दर से	2,500
4.	कुक्कुट आहार एवं पानी संयन्त्र आदि	5,300
5.	अन्य व्यय	500
	योग–	**32,500**

4.5 तकनीकी सेवाएं : 525 एक दिवसीय ब्रायलर चूजे पालने हेतु 3 दिवसीय व्यावसायिक प्रषिक्षण स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी द्वारा दिया जायेगा। समस्त क्रय किये एक दिवसीय ब्रालयर चूजे को चिकित्सा, कृमि नाषक दवापान, टीकाकरण की सुविधा षासकीय षुल्क प्राप्त कर स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी द्वारा पषु पालक के द्वार पर उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त पषु चिकित्साधिकारी स्थापित इकाईयों का समुचित अभिलेख सहकारिता सहभागिता योजना पंजिका में रखेंगे तथा मासिक प्रगति विवरण के साथ प्रति माह उपलब्ध करायेंगे।

4.6 वित्तीय समायोजन : ब्रायलर चूजे उत्पादन योजना की संदेषात्मक इकाई लागत एवं अन्य विवरण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मानकों के अनुरूप है। वित्तीय संस्थाएं वित्तीय व्यावहारिकता एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इकाई लागत में 10 प्रतिषत की सीमा में परिवर्तन कर सकती हैं।

4.7 सम्पर्क सूत्र :

स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी, राजकीय पषु चिकित्सालय।
सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता।
स्थानीय सचिव, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति।

5.0 सूकर पालन योजना

5.1 योजना परिचय : ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियां सूकर पालन योजना के द्वारा सुगमता पूर्वक अपनी आजीविका का निर्वाह कर सकते हैं। ग्रामीण एवं उप–नगरीय क्षेत्रों में सूकर मांस की अत्यधिक मांग है। सूकर पालन योजना के अन्तर्गत 5 मादा यार्कषायर सूकर क्रय कर स्व–रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकते हैं। सहकारिता सहभागिता योजना के अन्तर्गत सूकर क्रय करने हेतु कृषिइत्तर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

5.2 लाभार्थी चयन : समस्त लघु/सीमान्त कृषक एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्ति/परिवार सहकारिता सहभागिता योजना के अन्तर्गत सूकर क्रय करने हेतु पात्र होंगे।
5.3 इकाई आकार : सूकर पालन योजना का संचालन 5 मादा सूकर तथा 1 नर सूकर क्रय कर किया जा सकता है।
5.4 इकाई लागत

क्र.सं.	विवरण/दर	मूल्य
1.	5 मादा यार्क षायर सूकर/रु. 2000 प्रति की दर से	10,000
2.	1 नर यार्क षायर सूकर/रु. 2500 प्रति की दर से	2,500
3.	सूकर आहार मूल्य रु. 3 प्रति किलो की दर से 25 किलो प्रतिदिन	6,500
4.	सूकर बीमा षुल्क मूल्य का 5 प्रतिषत की दर से पांच वर्ष हेतु	625
5.	सूकर बाड़ा 100 वर्ग फिट प्रति सूकर रु. 30 प्रति वर्ग फुट की दर से	25,000
6.	अन्य व्यय	1,375
	योग–	**46,000**

5.5 तकनीकी सेवाएं : मादा यार्क षायर सूकर पालने हेतु 3 दिवसीय व्यावसायिक प्रषिक्षण स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी द्वारा दिया जायेगा। समस्त सूकरों को पषु चिकित्सा, कृमि नाषक दवापान, टीकाकरण की सुविधा षासकीय षुल्क प्राप्त कर स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी द्वारा पषु पालक के द्वार पर उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त पषु चिकित्साधिकारी स्थापित इकाईयों का समुचित अभिलेख सहकारिता सहभागिता योजना पंजिका में रखेंगे तथा मासिक प्रगति विवरण के साथ प्रति माह उपलब्ध करायेंगे।
5.6 वित्तीय समायोजन : सूकर पालन योजना की संदेषात्मक इकाई लागत एवं अन्य विवरण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मानकों के अनुरूप है। वित्तीय संस्थाएं वित्तीय व्यावहारिकता एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इकाई लागत में 10 प्रतिषत की सीमा में परिवर्तन कर सकती हैं।
5.7 सम्पर्क सूत्र :
स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी, राजकीय पषु चिकित्सालय।
सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता।
स्थानीय सचिव, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति।

6.0 बत्तख पालन योजना

6.1 योजना परिचय : ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियां बतख पाल कर सुगमतापूर्वक अपनी आजीविका का निर्वाह कर सकते हैं। ग्रामीण एवं उप–नगरीय क्षेत्रों में बतख मांस एवं अण्डों की अत्यधिक मांग है। बतख पालन योजना के अन्तर्गत 100 बतख चूजे क्रय कर स्व–रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकते हैं। सहकारिता सहभागिता योजना के अन्तर्गत चूजे क्रय करने हेतु कृषिइत्तर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

6.2 लाभार्थी चयन : समस्त वयस्क लघु/सीमान्त कृषक एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्ति/परिवार सहकारिता सहभागिता योजना के अन्तर्गत बतख क्रय करने हेतु पात्र होंगे।

6.3 इकाई आकार : बतख पालन योजना षुरू करने हेतु 100 खाकी केम्पवैल बतख प्रजाति के चूजे क्रय किये जा सकते हैं।

6.4 इकाई लागत :

क्र.सं.	विवरण/दर	मूल्य
1.	100 बतख चूजे/रु. 15 प्रति चूजे की दर से	1,500
2.	पानी एवं आहार बर्तन	1,000
3.	बतख बीमा	100
4.	ब्रूडर/ग्रोअर आवास	3,000
5.	बतख बाड़ा	6,000
6.	बत्तख आहार	4,400
7.	अन्य व्यय	500
	योग–	**16,000**

6.5 तकनीकी सेवाएं : बतख पालने हेतु 3 दिवसीय व्यावसायिक प्रषिक्षण स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी द्वारा दिया जायेगा। समस्य क्रय किये दुधारू पषुओं को पषु चिकित्सा, कृमि नाषक, टीकाकरण की सुविधा षासकीय षुल्क प्राप्त कर स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी द्वारा पषु पालक के द्वार पर उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त पषु चिकित्साधिकारी स्थापित इकाईयों का समुचित अभिलेख सहकारिता सहभागिता योजना पंजिका में रखेंगे तथा मासिक प्रगति विवरण के साथ प्रति माह उपलब्ध करायेंगे।

6.6 वित्तीय समायोजन : बतख क्रय योजना की संदेषात्मक इकाई लागत एवं अन्य विवरण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक के मानकों के अनुरूप है। वित्तीय संस्थाएं वित्तीय व्यावहारिकता एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इकाई लागत में 10 प्रतिषत की सीमा में परिवर्तन कर सकती हैं।

6.7 सम्पर्क सूत्र :

स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी, राजकीय पषु चिकित्सालय।
सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता।
स्थानीय सचिव, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति।

7.0 दुधारू पषु क्रय योजना

7.1 योजना परिचय : ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियां दुधारू पषु पालकर सुगमता पूर्वक अपनी आजीविका का निर्वाह कर सकते हैं। ग्रामीण एवं उप–नगरीय क्षेत्रों में दूध एवं दूध–जन्य पदार्थों की अत्यधिक मांग है। दुधारू पषु क्रय योजना के अन्तर्गत 2 क्रास ब्रीड जर्सी/हालिस्टीन–फ्रीजियन/षुद्ध साहीवाल/रेड सिन्धी गाय अथवा मुर्रा/तराई नस्ल की भैंस

क्रय कर स्व–रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकते हैं। सहकारिता सहभागिता योजना के अन्तर्गत दुधारू पषु क्रय करने हेतु कृषिइत्तर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

7.2 लाभार्थी चयन : समस्त वयस्क लघु/सीमान्त कृषक एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्ति/परिवार सहकारिता सहभागिता योजना के अन्तर्गत दुधारू पषु क्रय करने हेतु पात्र होंगे।

7.3 इकाई आकार : 2 दुधारू पषु क्रास ब्रीड जर्सी/हालिस्टीन–फ्रीजियन/षुद्ध साहीवाल/रेड सिन्धी गाय अथवा मुर्रा/तराई नस्ल की भैंस क्रय की जा सकती है।

7.4 इकाई लागत :

क्र.सं.	विवरण/दर	मूल्य
1.	2 दुधारू पषु रु. 15,000 प्रति पषु की दर से	30,000
2.	पषु आहार मूल्य रु. 500 प्रति पषु प्रति माह की दर से एक माह के लिए	1,000
3.	पषु बीमा पषु मूल्य का 8.44 प्रतिषत की दर से पांच वर्ष हेतु	2,500
4.	पषु परिवहन लागत/रु. 750 प्रति पशु की दर से	1,500
5.	पषु आश्रय	9,000
6.	अन्य व्यय, मेन्जर/चैफ कटर आदि	3,000
	योग–	**47,000**

7.5 तकनीकी सेवाएं : दुधारू पषु पालने हेतु 3 दिवसीय व्यावसायिक प्रषिक्षण स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी द्वारा दिया जायेगा। समस्त क्रय किये दुधारू पषुओं को पषु चिकित्सा, कृमि नाषक दवा पान, टीकाकरण सुविधा षासकीय षुल्क प्राप्त कर स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी द्वारा ष्षु पालक के द्वार पर उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त ष्षु चिकित्साधिकारी स्थापित इकाइयों का समुचित अभिलेख सहकारिता सहभागिता योजना पंजिका में रखेंगे तथा मासिक प्रगति विवरण के साथ प्रति माह उपलब्ध करायेंगे।

7.6 वित्तीय समायोजन : दुधारू पषु क्रय योजना की संदेषात्मक इकाई लागत एवं अन्य विवरण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मानकों के अनुरूप है। वित्तीय संस्थाएं वित्तीय व्यावहारिकता एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इकाई लागत में 10 प्रतिषत की सीमा में परिवर्तन कर सकती है।

7.7 सम्पर्क सूत्र :

स्थानीय पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय।
सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता।
स्थानीय सचिव, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति।

8.0 बकरी पालन योजना

8.1 योजना परिचय : ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियां बकरी पालन कर सुगमता पूर्वक अपनी आजीविका का निर्वाह कर सकते हैं। ग्रामीण एवं उप–नगरीय क्षेत्रों में बकरी के मांस की अत्यधिक मांग है। बकरी पालन योजना के अन्तर्गत 20 बकरी तथा 1 बकरा क्रय कर स्व–रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकते हैं। सहकारिता सहभागिता योजना के अन्तर्गत बकरी पालन हेतु कृषिइत्तर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

8.2 लाभार्थी चयन : समस्त वयस्क लघु/सीमान्त कृषक एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्ति/परिवार सहकारिता सहभागिता योजना के अन्तर्गत बकरी क्रय करने हेतु पात्र होंगे।

8.3 इकाई आकार : 20 बकरी/बीटल/जमनापारी/चौगरखा नस्ल की बकरी तथा संकर प्रजनन के उद्देष्य से 1 बकरा सांड क्रय किया जा सकता है।

8.4 इकाई लागत :

क्र.सं.	विवरण/दर	मूल्य
1.	20 बकरी/रु. 2,000 प्रति बकरी की दर से	40,000
2.	1 बकरा/रु. 2,500 प्रति की दर से	2,500
3.	पशु बीमा पशु मूल्य का 5.25 प्रतिशत की दर से पांच वर्ष हेतु	2,250
4.	बकरी बाड़ा	15,000
5.	अन्य व्यय	250
	योग–	**60,000**

8.5 तकनीकी सेवाएं : बकरी पालने हेतु 3 दिवसीय व्यावसायिक प्रषिक्षण स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी द्वारा दिया जायेगा। समस्त बकरियों को पषु चिकित्सा, कृमि नाषक दवापान, टीकाकरण की सुविधा षासकीय षुल्क प्राप्त कर स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी द्वारा पषु पालक के द्वार पर उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त पषु चिकित्साधिकारी स्थापित इकाईयों का समुचित अभिलेख सहकारिता सहभागिता योजना पंजिका में रखेंगे तथा मासिक प्रगति विवरण के साथ प्रति माह उपलब्ध करायेंगे।

8.6 वित्तीय समायोजन : बकरी क्रय योजना की संदेषात्मक इकाई लागत एवं अन्य विवरण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मानकों के अनुरूप है। वित्तीय संस्थाएं वित्तीय व्यावहारिकता एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इकाई लागत में 10 प्रतिषत की सीमा में परिवर्तन कर सकती है।

8.7 सम्पर्क सूत्र :

स्थानीय पषु चिकित्साधिकारी, राजकीय पषु चिकित्सालय।
सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता।
स्थानीय सचिव, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति।

19 सूखा राहत कार्यक्रम

उत्तराखण्ड में सूखे के प्रकोप से कृषि क्षेत्र में व्यापक क्षति हुई तथ्य विलम्ब से हुई। षीतकालीन वर्षा के कारण खड़ी फसलें नष्ट हो गयी है। जिसका सीधा प्रभाव पषुधन विषेष कर दूध देने वाले पषुओं पर पड़ेगा तथ्य पर्यटक सीजन के दौरान दूध एवं दूधजन्य उत्पादों की भारी कमी प्रकाषित है।

जनपद चमोली में सामान्य मानसून के दौरान पषुओं को उनकी आवष्यकता का केवल 50 प्रतिषत चारा ही उपलब्ध हो पाता है। सूखे के कारण हरे एवं सूखे चारे की उपलब्धता में 50 प्रतिषत तक कमी होने का अनुमान है। वन एवं चारागाह चमोली जनपद के पशुधन चारे का मुख्य आधार है। सूखे के कारण चारागाहों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है। बिलम्ब से हुई बारिष से उम्मीद बंधी है कि चरान चुगान के लिये बुग्यालों में रौनक लौट आयेगी। सूखा ग्रस्त जनपद के पशुपालकों को राहत देने के उद्देष्य से सूखा राहत योजना तैयार की गई है।

सूखा राहत योजनाः–

1. कम्पैक्ट फीड ब्लाक वितरणः– पशु चारे की कमी को ध्यान में रखते हुये प्रति विकास 1000 वयस्क दुधारू पशुओ के लिये 30 दिन हेतु प्रति पशु एक फीड ब्लाक प्रति दिन की दर से 50 प्रतिषत अनुदान पर वितरण करने की योजना है। समस्त फीड ब्लाक का क्रय उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद, देहरादून द्वारा भारत सरकार के 100 प्रतिषत वित्तीय सहयोग से स्थापित एवं संचालित कम्पेक्ट फीड ब्लाक निर्माण शाला, पशुलोक, ऋषिकेष से उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जायेगा।

- प्रति विकास खण्ड लाभार्थियो की संख्या 1000
- कुल लाभार्थियों की संख्या
  1000 ग 9 = 9000
- कम्पैक्ट फीड ब्लाक का मूल्य/ब्लाक रु. 24/–
- 30 दिन की अवधि के लिये प्रति लाभार्थी मांग = 30 फीड ब्लाक
- कुल फीड ब्लाक की मांग 9000 ग 30 = 2,70,000 फीड ब्लाक
- फीड ब्लाक का कुल मूल्य = 2,70,000 ग 24 = 64,80,000
- लाभार्थी अंष = 32,40,000
- राज्य सरकार का अंष = 32,40,000
- कुल योजन परिव्यय = 64, 80,000

2. सन्तुलित पषु आहार का वितरण :–

सूखे के कारण कृषि फसलों की उपज के साथ–साथ फसल अवषेष, जो कि मुख्य पशु आहार के रूप में दुधारू पशुओं के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं, में उत्पादन में भारी कमी की सम्भावना को दृष्टिगोचर करते हुए संतुलित पशु आहार के वितरण की योजना प्रस्तुत की गयी है। प्रति विकास खण्ड 1000 पशुओं के लिए जीवन निर्वाह एवं उत्पादकता शषन के रूप में एक किलो संतुलित पषु आहार 50 प्रतिषत मूल्य पर पषु पालकों को उपलब्ध कराये जाने की योजना है। समस्त संतुलित पशु आहार का क्रय पशु आहार निर्माणषाला, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेषन, लि. रुद्रपुर के द्वारा उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जायेगा। संतुलित पषु आहार को 50 प्रतिषत मूल्य लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा। एक किलो प्रति पषु प्रति दिन की दर से 1000 पशुओं के लिए 30 दिन हेतु पशु आहार वितरित किया जायेगा।

- प्रति विकास खण्ड लाभार्थियो की संख्या = 1000
- कुल लाभार्थियों की संख्या
  = 1000 ग 9 = 9000
- संतुलित पशु आहार का मूल्य/किलो = रु. 61/किलो
- 30 दिन की अवधि के लिये प्रति लाभार्थी मांग = 30ग1 किलो = 30कि.ग्रा.

- संतुलित पशु आहार की कुल मांग 9000ग30 = 2,70,000कि.ग्रा.
- संतुलित पशु आहार का मूल्य = 2,70,000 ग 6 रु.16,20,000
- लाभार्थी अंष (50 प्रतिषत) = रु. 8,10,000/–
- राज्य सरकार का अंष (50 प्रतिषत) = रु. 8,10,000/–
- कुल योजन परिव्यय = 16,20,000

3. मिनिरल मिक्चर का वितरणः–

संतुलित पशु आहार तथा सूखे और हरे चारे की कमी के कारण दुधारु पशुओ के शरीर में पोषक तत्वो की कमी के कारण विभिन्न पशु रोगो के संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तथा दुधारु पशुओं का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। पशुपालक के लिये पशु पालन लाभ के स्थान पर घाटे का व्यवसाय बन जाता है। चूंकि पशु पालक प्रत्यक्ष रूप से पशुओ के प्रबन्धन एंव रखरखाव पर कोई निवेष नही करते है। इसलिये उत्पादन में कमी के कारण हो रही क्षति का अनुमान नही लगा पाते हैं। किन्तु यह कटु सत्य है कि महिलाएं पूरा दिन अथक शारीरिक श्रम के उपरान्त पशु चारा जंगल से एकत्र कर लाती है। तथा उत्पादन कम होने के कारण एस शारीरिक श्रम का समूचित मूल्य पशु पालको को नही मिल पाता। दुधारू पशुओ की उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता को बनाये रखने के लिये यह नितान्त आवष्यक है, कि विटामिन्स, मिनरलस,तथा खनिज लवणों की शारीरिक क्रियाओं के सम्पादन के लिये आपूर्ति सुनिष्चित की जाय। इसलिये प्रत्येक विकास खण्ड में 1000 पशुओ के लिये 50 ग्राम प्रतिदिन की दर से 30 दिना के लिये मिनरल मिक्चर का वितरण निःषुल्क किये जाने की योजना प्रस्तुत की गई है।

1. प्रति विकास खण्ड लाभार्थियो की संख्या = 1000
2. कुल लाभार्थियो की संख्या 9 1000
   = 9000
3. मिनरल मिक्चर का मूल्य/किलो0
   रु. 25.00
4. 30 दिन की अवधि के लिये मिनरल मिक्चर
   की मांग प्रति लाभार्थी 50 ग्राम प्रतिदिन (50 ग्रा.ग30) = 1500 ग्राम
5. मिनरल मिक्चर की कुल मांग(9000ग1.5 कि.ग्रा.) = 13,500 कि.ग्रा.
6. मिनरल मिक्चर का कुल व्यय रु0 25.00 प्रति कि.ग्रा. = 3,37,500
7. लाभार्थी अंष
   रु. = 10,000.00
8. राज्य सरकार का अंष 100 प्रतिषत
   = 3,37,500.00
9. कुल योजना परिव्यय
   = 3,37,500.00

मिनरल मिक्चर का क्रय उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित दों पर आपूर्ति हेतु अनुवंधित फर्मों से किया जयेगा।

सूखा राहत योजना का क्रियान्वयन

1. राज्य स्तर पर :–
2. जनपद स्तर पर :– सूखा राहत योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर मुख्य पषु चिकित्साधिकारी चमोली नोडल अधिकारी होगें। जनपद स्तर पर सूखा राहत प्रकोष्ठ

3. की स्थापना की जायेगी तथा पषु चिकित्साधिकारी गोपेष्वर सूखा राहत प्रकोष्ठ को प्रभारी अधिकारी होगे।

सूखा राहत प्रकोष्ठ का दूरभाष नम्बर : 01372–251382 है। यह प्रकोष्ठ केन्द्रीय पषु औषधि भण्डार, गोपेष्वर पहुचने वाली समस्त सूखा राहत समाग्री का लेखा–जोखा रखेगी तथा सक्षमय विकास खण्ड स्तर समस्त सूखा राहत सामाग्री का परिवहन सुनिष्चित करायेगा।

राज्य स्तर पर : उत्तराखण्ड राज्य में सूखा राहत कार्यक्रमों के क्रिया–वचन एवं संचालन हेतु अपर निदेषक, पषुपालन विभाग, षिविर कार्यालय पषुलोक, ऋषिकेष, देहरादून, नियनत्रक अधिकारी होगे। राज्य स्तर पर एक सूखा राहत प्रकोष्ठ की स्थापना उप निदेषक, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, पषुलोक, ऋषिकेष, में की गयी है जिसका दूरभाष नं. है। समस्त जनपद स्तरीय सूखा राहत कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी नियमित रूप से सूखा राहत कार्यक्रमों की प्रगति राज्य स्तरीय सूखा राहत प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायेगें। अपर निदेषक, दैनिक गतिविधयों का मूल्याकंन एवं अनुश्रवण करेगें तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों का निराकरण सुनिष्चित करायेगे तथा नियमित रूप से उत्तराखण्ड षासन की सूचनायें एवं प्रगति विवरण प्रस्तुत करेगें।

4. विकासखण्ड स्तर पर :– समस्त विकास खण्ड में सूखा राहत सामग्री का वितरण सम्बन्धित विकास खण्ड स्तर पर पदस्थ पषु चिकित्साधिकारी के माध्यम से किया जायेगा। विकास खण्ड स्तर पर समस्त आपूर्ति की गयी सामग्री का लेखा–जोखा प्रथक सूखा राहत पंजिका में अंकित किया जायेगा। लाभार्थियों से सूखा राहत सामग्री के 50 प्रतिषत मूल्य की प्राप्ति करना तथा साप्ताहिक अन्तराल पर प्रगति विवरण जनपद स्तर पर उपलब्ध कराने की उत्तरदयी होंगे। प्रथक–प्रथक सामग्री हेतु प्रथक–प्रथक पंजिका रखी जायेगी तथा पषुचिकित्सा शुल्क विवरण प्रथक से अंकित किया जायेगा।
5. ग्राम पंचायत स्तर पर :– समस्त सूखा राहत सामग्री का विवरण पषु सेवा केन्द्र पर पदस्त पषुधन पसार अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

जनपद स्तर पर प्राप्त समस्त सूखा राहत सामग्री का परिवहन प्रभारी अधिकारी, सूखा राहत प्रकोष्ठ, गोपेष्वर, विकास ख्ाण्ड मुख्यालय तक किया जायेगा। विकास खण्ड मुख्यालय से समस्त सूखा राहत सामग्री पषुधन प्रसार अधिकारी प्राप्त करना सुनिषिचत करेगें तथा लाभार्थी पषुपालकों को सूखा राहत सामग्री का वितरण ग्राम पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

लाभार्थियो का चयन

सूखा राहत योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे प्रगतिषील पषुपालकों का चयन किया जायेगा।

20 पषुधन संगणना

पषुधन, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी है। राष्ट्रीय स्तर पर पषुधन एवं पषुधन उत्पाद के क्षेत्र में आ रहे परिर्वतनों का आंकलन करने तथा भविष्य में कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर राष्ट्रीय पषु संगणना का कार्य किया जाता है केन्द्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पषु संगणना कराने का उत्तरदायित्व पषु पालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग कृषि मंत्रालय नई दिल्ली तथा राज्य स्तर पर पषु पालन विभाग को सौंपा गया है। राष्ट्रीय पषुधन संगणना सर्वप्रथम 1919–20 में कराई गयी थी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त सर्वप्रथम राष्ट्रीय पषुधन संगणना – 1951 में सम्पन्न कराई गयी। तदौपरान्त प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर पषु धन संगणना करायी जाती है। 17वीं राष्ट्रीय पषुधन संगणना – 2003 में करायी गई थी। पषुपालन दिग्दर्षिका में उपलब्ध आंकड़े राष्ट्रीय पषुधन संगणना – 2003 पर आधारित है 18वीं राष्ट्रीय पषुधन संगणना – 2008 में करायी जानी प्रस्तावित है। राष्ट्रीय पषुधन संगणना का कार्य अर्थ एवं संख्या विभाग से स्थानान्तरित कर पषु पालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग को सौंपा गया। 17वीं राष्ट्रीय पषुधन संगणना – 2003 के लिये 15 अक्टूवर को सन्दर्भ तिथि तथा पषुपालन विभाग को नोडर विभाग नामित किया गया। 17वीं राष्ट्रीय पषुधन संगणना का कार्य अत्यन्त चुनौती पूर्ण था जिसमें पषुपालन विभाग के कार्मिकों के साथ–साथ षिक्षा, ग्राम्य विकास, बाल विकास वन विभाग, राज्वस्व विभाग, नगर विकास विभागों का भी सक्रिय सहयोग लिया गया। पंचवर्षीय अन्तराल पर की जाने वाली पषुधन संगणना के अतिरिक्त नियोजन, अर्थ एवं संख्या अनुभाग, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, ऋषिकेष, देहरादून, द्वारा पषुधन उत्पाद एवं पषुधन प्रबन्धन पद्धतियों के अध्ययन हेतु प्रति वर्ष ग्रीष्म/षीतकालीन समन्वित प्रतिदर्षी सर्वेक्षण कार्य सम्बधित पषुधन प्रसार अधिकारियों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं। पषुधन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराने से पूर्व रेन्डम सैंम्पलिंग के आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड के एक/दो ग्रामों का चयन कर प्रत्येक ग्राम उपलब्ध पषुधन का विस्तृत व्यौरा परिवार वार तैयार किया जाता है। पषुधन सर्वेक्षण कार्यो का उद्देष्य पषुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का पषुधन की प्रगति पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन करना तथा योजनाओं की प्रभावषीलता का मूल्यांकन करना है। पषुधन एवं पषुधन उत्पादों का लेखा–जोखा रखने के लिये प्रत्येक जनपद स्तर पर एक सांख्यकीय सहायक के पद का सृजन किया गया है। जनपद चमोली में वर्तमान में सांख्यकीय सहायक का पद रिक्त है।

21 कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण(आत्मा)

कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण (आत्मा) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि ग्राम्य मंत्रालय नई दिल्ली के वित्तीय सहयोग से संचालित परियोजना है। जिसका मुख्य उद्देष्य राज्य सरकार द्वारा कृषि, पशुपालन, डेरी, मत्स्य, रेषम, जलागम, सहकारिता आदि के क्षेत्र में संचालित विभिन्न प्रसार कार्यक्रमो को गति प्रदान करना है। तथा कृषको, पशुपालको को विकसित तकनीकी के उपयोग में आ रही कठिनाइयों का निस्तारण करना है। आत्मा परियोजना वित्तीय वर्ष 2005–06 में आरम्भ की गई थी।

आत्मा परियोजना का संचालन के लिये जनपद स्तर ,जिलाधिकारी, चमोली की अध्यक्षता में शासी निकाय का गठन किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी, शासी निकाय के उपाध्यक्ष है। शासी निकाय विकास नीति के रूप में कार्य करता है तथा परियोजना के कार्य के संचालन हेतु मार्गदर्षन एवं समीक्षा करेगी। आत्मा परियोजना के दैनिक कार्य कलापों के नियोजन एवं क्रियान्यवयन हेतु जनपद स्तर पर प्रबन्धन समिति का गठन किया गया है। आत्मा परियोजना के परियोजना निदेषक, प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष तथा मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली प्रबन्धन समिति के सदस्य एवं संयोजक है। विकास खण्ड स्तर पर सूचना एवं परामर्ष केन्द्र की स्थापना की गई है। जिसके अन्तर्गत कृषक, सलाहकार समिति एवं ब्लाक तकनीकी टीम का गठन किया गया है। कृषक सलाहकार समिति, कृषक प्रतिनिधियों की इकाई है तथा ब्लाक तकनीकी टीम में विभिन्न विभागो की सहायता सहायक विकास अधिकारी/समकक्ष कार्मिक सदस्य है। विकास खण्ड स्तर पर समसत कार्य का समन्वय सबधित विभाग के द्वारा ब्लाक तकनीकी टीम के अनुमोदन उपरान्त क्रियान्वयन किया जायेगा।

आत्मा परियोजना, के सहयोग से पशुपालन विभाग, चमोली द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैंः–

क्र.सं.	गतिविधि	धनराषि	व्यय	अवशेष
1	फार्मर इन्ट्रक्सन	0.20	–	0.20
2	फार्मर इन्ट्रक्सन ग्रुप	0.50	–	0.50
3	रिवाल्विंग फंड	0.50	–	0.50
4	रिर्वार्ड प्रोत्साहन	0.20	–	0.20
5	प्रचार/प्रसार एवं प्रकाषन	0.40	0.40	–
6	सूचना तंत्र	0.50	–	0.50
7	पशु पालक मेला/प्रर्दषनी	0.50	–	0.50
8	पशुपालक गोष्ठी	0.50	–	0.50
9	पशुपालक किट	0.09	0.09	–
	योग			

22 सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम

चमोली, उत्तराखण्ड राज्य का सीमान्त जनपद है जिसकी सीमाएं उत्तर पूर्व दिषा में चीन के स्वायत्तशासी प्रान्तः तिब्बत से मिलती है। सीमान्त क्षेत्र की आर्थिकी मुख्य रूप से धार्मिक, साहसिक पर्यटन एवं पशुपालन पर आधारित है। पशुपालन के क्षेत्र में भेड़/बकरी पालन सीमान्त क्षेत्रो में मुख्य व्यवसाय है। तथा भूमिहीन मजदूर तथा लघु/सीमान्त कृषकों की आजीविका निर्वहन का मुख्य आधार है। भारत– चीन सीमा व्यापार माणा तथा नीती दर्रे से 1962 पूर्व संचालित किया जाता था किन्तु सन् 1962 में भारत–चीन युद्ध के उपरान्त अर्न्त राष्ट्रीय सीमा को व्यापार एवं आवागमन के लिये बन्द कर दिया गया जिससे सीमान्त क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में भारी कमी आई तथा सीमान्त क्षेत्रों से पलायन की गति को बढ़ावा मिला। भारत– चीन युद्ध के तीस साल बाद सन् 1992 में कुमाऊँ मण्डल में स्थित लिपूलेखा दर्रे से सीमा व्यापार पुनः शुरू किया गया है किन्तु गढ़वाल के निवासियों की सबल मांग के उपरान्त भी नीती/माणा घाटी से सीमा व्यापार शुरू नहीं हो सका है।

सीमान्त क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देष्य से केन्द्र सरकार के वित्तीय सहयोग से सीमान्त क्षेत्र विकास योजना संचालित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2003–04 में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुपालन विभाग को जोषीमठ विकास खण्ड में प्रस्तावित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओ के संचालन के लिये रु. 20.55 लाख ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये।

1. भेड़/बकरी पालन योजना के लिये रु. 9.00 की धनराषि प्राप्त हुई। भेड़/ बकरी पालन इकाइयों की स्थापना ग्राम– द्रोणागिरी, बाम्पा, फरकिया, कैलासपूर, मलारी, कोसा, झेलम, जुम्मा और नीती में प्रत्येक ग्राम से पांच– पांच लाभार्थियो का चयन कर यूनिट स्थापित की गई है।

भेड़/बकरी पालन योजना

10 भेड़/बकरियों का स्थानीय क्रय प्रति यूनिट 1700.00

17000.00

एक मेंढ़ा/बकरा का क्रय राजकीय प्रक्षेत्र से 1525.00 प्रति

1525.00

पषु बीमा 5 प्रतिषत

930.

00

फोटोग्राफी (3 प्रति)

100.

00

मेंढ़ा परिवहन

200.00

पशु औषधि आदि

245.00

कुल इकाइ लागत–

20.000.00

2. कुक्कुट पालन योजना के लिये रु. 1.15 लाख की धनराषि प्राप्त हुई। कुल 35 कुक्कुट पालन इकाइयों की स्थापना उर्गम, किमाणा, कलगोठ, मोल्टा, ढाक, थर्ग, टंगणी मल्ली, प्रत्येक ग्राम में पांच इकाइयों की स्थापना की गई है।

100 एक दिवसीय चूजे रु. 10.00 प्रति चूजा	1000.00
वाटरर/फीडरर पर व्यय	400.00
कुक्कुट आहार/ढुलान 25 कि.ग्रा.	770.00

कुक्कुट बीमा पर व्यय रु. 5.5 प्रतिषत प्रति कुक्कुट	75.00
वाटरर / फीडरर / जाली / कुक्कुट ढुलान	1000.00
फोटोग्राफी पर व्यय (तीन प्रति)	100.00
कुल इकाई लागत	3285.00

3. जर्सी गाय पालन योजना के अन्तर्गत रु. 10.40 लाख की धनराषि प्राप्त हुई। कुल 58 जर्सी गाय युनिट पाखी, लंगसी, करछों,तपोण, तपोवन, भल्लागांव, सलधार, तोलमा एवं पाण्डुकेषर में प्रत्येक ग्राम में पांच– पांच यूनिट स्थापित की गई है।

एक जर्सी क्रास गाय	16000.00
संतुलित पशु आहार 50 कि.ग्रा. परिवहन सहित	1074.00
पशु बीमा व्यय	757.00
फोटोग्राफी व्यय (तीन प्रति)	100.00
कुल इकाई लागत–	17931.00

समस्त धनराषि रु. 20.55 लाख को जून, 2005 तक व्यय कर समायोजन प्रस्तुत करने के निर्देष दिये गये थे। जिला अधिकारी, चमोली द्वारा लाभार्थियों के चयन में पारदर्षिता रखते हुए ग्राम सभा की खुली बैठक में पशु चिकित्सा अधिकारी, जोषीमठ एवं खण्ड विकास अधिकारी के प्रतिनिधि सहायक विकास अधिकारी, के सहयोग से लाभार्थियों का चयन करने के निर्देष दिये गये थे। समस्त चयनित लाभार्थियों की सूची का अनुमोदन माननीय क्षेत्र प्रमुख द्वारा भी कराया गया। जिला अधिकारी, चमोली द्वारा पशु क्रय हेतु पशु चिकित्सा अधिकारी, जोषीमठ, खण्ड विकास अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि तथा लाभार्थी अथवा लाभार्थी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि की समिति बनाई गयी थी। समस्त इकाइयों का गठन 138 पशु पालकों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया गया।

प्रेषक,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
चमोली ।

सेवा मे

नोडल अधिकारी सूचना अधिकार अधिनियम
उप निदेशक पशु पालन विभाग,
केन्द्रीय भेड़ एंव ऊन अनुसंधान संस्थान,
पशुलोक –ऋषिकेश देहरादून।

पत्र सं0 /सू0अ0अ0/2009–10/दिनांक अप्रैल2009,

महोदय,

अपर निदेशक पशु पालन विभाग उत्तराखण्ड गोपेश्वर के पत्र संख्या 5929 / सू0अ0अ0/दिनांक : 31–3–2009 के क्रम में वर्ष 2007–08 के अपडेट मैनुअलो में सूचना आयोग द्वारा लगायी गई आप्पतियों का निराकरण करने के उपरान्त वर्ष 2007 अपडेट मैनुअलो को आपके निर्देशानुसार तैयार कर सी0डी0 सहित पुनः आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न – सी0डी0

भवदीय,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
चमोली।

पृ0स0 / दिनांकित

प्रतिलिपि– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड गोपेश्वर गोपेश्वर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
चमोली।